नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

5वीं वार्षिक रिपोर्ट

2020-21

गुजरात में जारी एमएएचएसआर का कार्य।

विज़न:

जीवन की बेहतर गुणवत्ता और देश के विकास के लिए, तकनीकी उत्कृष्टता के साथ सुरक्षित, विश्वसनीय और दीर्घकालिक हाई स्पीड रेल सेवाएं मुहैया कराना।

मिशन:

1. ग्राहकों के लिए, एक दक्ष, सुरक्षित, संधारणीय और विश्वसनीय परिवहन का विकल्प उपलब्ध कराना।
2. अत्याधुनिक हाई स्पीड रेल यातायात की अवसंरचना के निर्माण, परिचालन और अनुरक्षण के द्वारा संपूर्ण राष्ट्र के लोगों को एक-दूसरे से जोड़ना।
3. हाई स्पीड रेल तकनीक के समावेशीकरण, स्वदेशीकरण और नवोन्मेष को बढ़ावा देना।

5वीं वार्षिक रिपोर्ट 2020-21

विषय-सूची	पृष्ठ संख्या
निदेशक मंडल	1-2
अध्यक्ष का संबोधन	3-4
रिपोर्ट्स:	
निदेशकों की रिपोर्ट	5-35
कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व (सीएसआर) संबंधी गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	36-40
सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट	41-43
वित्तीय विवरण:	
लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट	44-55
तुलन पत्र	56-57
लाभ और हानि का विवरण	58-59
नकदी प्रवाह का विवरण	60-61
इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण	62-63
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ - टिप्पणी 1 से 42 तक	64-124
वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियाँ	125

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल

(31.08.2021 को)

सुनीत शर्मा
अंशकालिक अध्यक्ष

सतीश चंद्र अग्निहोत्री
प्रबंध निदेशक

राजेंद्र प्रसाद
निदेशक परियोजना

अरुण बिजलवान
निदेशक वित्त

विजय कुमार
निदेशक चल स्टॉक

संदीप कुमार
निदेशक (विद्युत् एवं प्रणाली)

आर. एन. सिंह
अंशकालिक निदेशक

अंजू रंजन
अंशकालिक निदेशक

पी. आर. पटेलिया
अंशकालिक निदेशक

कंपनी सचिव

सुमीता शर्मा

पंजीकृत कार्यालय

दूसरी मंजिल, एशिया भवन, रोड नं. 205,
सेक्टर - 9, द्वारका, नई दिल्ली - 110077
दूरभाष: 91-11-2807000/01; फैक्स: 91-11-28070250
ई-मेल: psmd@nhsrcl.in;
वेबसाइट: www.nhsrcl.in/hi
सीआईएन: U60200DL2016GOI291002

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स एकेजीवीजी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

सचिवीय लेखा परीक्षक

अनिल आनंद
कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस

अध्यक्ष का संबोधन

अध्यक्ष का संबोधन

प्रिय मित्रों,

मैं वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की इस 5वीं वार्षिक आम बैठक में सभी शेयरधारकों का हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं।

वर्ष 2020-21 में 33,689 करोड़ रुपये (लगभग) के तीन अनुबंध पैकेज प्रदान करते हुए कंपनी ने मुंबई से अहमदाबाद तक भारत की पहली हाई स्पीड रेल (एचएसआर) परियोजना के निर्माण कार्य में प्रगति की है, जिसमें अवसंरचना के क्षेत्र में भारत में निर्माण कार्य हेतु सबसे बड़ी निविदा (यानी सी-4 पैकेज) भी शामिल है।

अब तक, कंपनी द्वारा कुल आठ **अनुबंध पैकेज प्रदान** किए गए हैं यानि टीआई-2; टीआई-3; प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण हेतु एसवीजीसी; सी-4; सी-6; पी-4; और दो पैकेज यानि पी1(बी) और पी1(सी) वर्ष 2020-21 की समाप्ति के बाद प्रदान किए गए हैं।

प्रदान किए गए अनुबंध पैकेजों के लिए जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, पाइल फाउंडेशन, ओपन फाउंडेशन के कार्य वायडक्ट व स्टेशनों के लिए, कास्टिंग यार्ड प्रीकास्ट सुपरस्ट्रक्चर वर्क्स, जैसे **भौतिक कार्य** शुरू हो चुके हैं।

परियोजना के कार्यान्वयन में **भूमि अधिग्रहण** एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें कंपनी ने अब तक गुजरात तथा डीएनएच में 96% भूमि और महाराष्ट्र में लगभग 25% भूमि का अधिग्रहण किया है, इस तरह से 31 मार्च 2021 तक परियोजना हेतु आवश्यक कुल 73.60% भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है।

मौजूदा भारतीय रेलवे सुविधाओं तथा उपयोगिताओं का स्थानांतरण भी परियोजना के कार्यान्वयन का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है, जो 31 मार्च 2021 तक 1651 में से 1,279 ओएचई लाइनों के स्थानांतरण के साथ पूरे जोरों पर है।

कंपनी प्रतिपूरक वनीकरण के साथ-साथ वृक्षों के प्रत्यारोपण के ज़रिए **पर्यावरण संरक्षण** के क्षेत्र में लगातार कार्य करना जारी रखे हुए है। 31 मार्च 2021 तक प्रतिपूरक वनीकरण के तहत कुल 74,857 नए वृक्ष लगाए गए हैं और 6,921 वृक्षों का प्रत्यारोपण किया गया है।

एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट संगठन के रूप में, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में उल्लिखित गतिविधियों के तहत कंपनी ने 1.53 करोड़ रुपये के अपने संपूर्ण **सीएसआर** बजट (वर्ष 2019-20 से अग्रानीत 45.65 लाख रुपये सहित) को खर्च कर दिया है।

हमारा देश अब **फुल स्पैन लॉन्चिंग उपकरणों के डिजाइन तथा निर्माण** में सक्षम देशों की चुनिंदा श्रेणी में शामिल हो गया है। सी-4 तथा सी-6 पैकेजों हेतु कंपनी द्वारा नियुक्त ठेकेदार एलएंडटी लिमिटेड ने स्वदेशी रूप से 1100 मीट्रिक टन की क्षमता वाले फुल स्पैन लॉन्चिंग उपकरण का डिजाइन तथा निर्माण किया है, जिसका उपयोग वायडक्ट के लिए एकल खंड के रूप में पूर्ण लंबाई के प्री-कास्ट गर्डर्स को लॉन्च करने हेतु किया जाएगा और यह एक-एक खंड को लॉन्च करने की विधि की तुलना में सात गुना तेजी से कार्य कर सकता है।

पहली एचएसआर परियोजना से **भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव** पड़ने की अपेक्षा हैः (क) इस्पात व सीमेंट क्षेत्र के विकास के साथ-साथ ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारी मशीनरी के निर्माण को बढ़ावा मिलने; (ख) प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण के ज़रिए आत्मनिर्भर भारत के संवर्धन; (ग) 5 वर्षों की अवधि में विभिन्न श्रेणियों के तहत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों तरह से लगभग 90,000 नौकरियों का सृजन; और (घ) जापानी कंपनियों/संगठनों द्वारा एचएसआर के विभिन्न पहलुओं जैसे निर्माण, संचालन व रखरखाव तकनीकों में कार्यबलों के प्रशिक्षण, जिसके परिणामस्वरूप न केवल कंपनी के कर्मचारियों का बल्कि ठेकेदार के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों का भी कौशल विकास होगा।

मुंबई-अहमदाबाद एचएसआर कॉरिडोर के निष्पादन के साथ-साथ **सात नए एचएसआर कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)** पर भी काम चल रहा है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से संबंधित महत्वपूर्ण गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार चल रही हैं।

मैं अपने संबोधन के अंत में कहना चाहूंगा कि विश्व स्तरीय एचएसआर अवसंरचना के निर्माण की यात्रा अभी शुरू हुई है, और कंपनी अपने सुनिश्चित लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठा चुकी है। आगे लंबा रास्ता तय करना है। यह रास्ता चुनौतीपूर्ण होगा लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि यह यात्रा बेहद संतोषजनक होगी। एक टीम के रूप में काम करने की हमारी प्रतिबद्धता से हम लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे, और इसके ज़रिए हम भारत को एक अत्याधुनिक अवसंरचना प्रदान करने में सक्षम हो सकेंगे।

(सुनीत शर्मा)
अध्यक्ष

दिनांक : 16.11.2021
स्थान: नई दिल्ली

रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट

सम्मानीय शेयरधारकों,

आपकी कंपनी के निदेशकों को, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के मामलों पर, अपनी 5वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है।

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(45) के प्रावधानों के अनुसार एक सरकारी कंपनी है और यह भारत सरकार, गुजरात सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच, क्रमशः 50:25:25 के अनुपात में इक्विटी की सहभागिता वाला एक संयुक्त उपक्रम है। कंपनी को डीएमआरसी के समान लाइन पर निगमित किया गया है।

आपकी कंपनी जापान की शिंकानसेन तकनीक पर आधारित भारत की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना यानी मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एम.ए.एच.एस.आर.) परियोजना को लागू कर रही है जिसके लिए 12 दिसंबर 2015 को भारत और जापान के बीच एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। एम.ए.एच.एस.आर. प्रोजेक्ट अपनी नवीनतम तकनीक के माध्यम से, यात्री परिवहन प्रणाली को पूरी तरह से बदल देगा और इससे यात्री परिवहन / रेल संचालन के एक नए युग का प्रारंभ होगा। इससे न केवल रोजगार के अवसरों का सृजन होगा, अपितु यह देश के आर्थिक विकास को गति भी प्रदान करेगा।

एम.ए.एच.एस.आर. परियोजना की वर्तमान स्थिति

क) परिदृश्य

एम.ए.एच.एस.आर. प्रोजेक्ट, मुंबई में बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लैक्स से प्रारंभ होकर, अहमदाबाद में साबरमती रेलवे स्टेशन के नजदीक समाप्त होता है। एम.ए.एच.एस.आर. कॉरिडोर का लगभग 508 किमी का संरेखण क्रमशः, गुजरात (8 जिलों में), दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव तथा महाराष्ट्र (3 जिलों में) से होकर गुजरेगा। उपरोक्त हाई स्पीड रेल कॉरीडोर में (i) 12 स्टेशन होंगे, जिनके नाम हैं, मुंबई, ठाणे, विरार, बोइसर, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद/नाडियाड, अहमदाबाद और साबरमती। (ii) तीन रोलिंग स्टॉक रखरखाव डिपो भी हैं जो क्रमशः ठाणे में एक डिपो तथा सुरत में एक लघु डिपो और साबरमती में एक डिपो-सह-वर्कशॉप; (iii) ओवरहेड इलेक्ट्रिकल (ओ.एच.ई.) लाइनों, ट्रैक, आदि के रखरखाव हेतु आवश्यक सामग्री के निरीक्षण तथा रखरखाव कारों / उपकरणों और भंडारण / हैंडलिंग के लिए आठ रखरखाव डिपो; तथा (iv) दो पुष्टिकरण कार डिपो है। परियोजना की अनुमानित समापन लागत रुपये 1,08,000 करोड़ के (लगभग) है।

ख) तकनीकी विशिष्टताएँ

i) इस वर्ष के दौरान ट्रैक कार्यों के लिए तकनीकी विशिष्टताओं (टीएस) को अंतिम रूप दे दिया गया है।

गुजरात के वडोदरा में स्थित प्री-कास्ट यार्ड।

ii) वर्ष के दौरान, जनरल कंसल्टेंट यानी जापान इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स कंसोर्टियम (जेआईसीसी) द्वारा ओएचई, ट्रैक आदि के निरीक्षण/रखरखाव के लिए कार/उपकरणों के निरीक्षण और रखरखाव हेतु टीएस को अंतिम रूप दिया गया है।

ग) डिज़ाइन

वर्तमान में, डिजाइन का कार्य पूरे जोरों पर है। वर्ष के दौरान पूरे किए गए प्रमुख डिजाइन कार्य निम्नानुसार हैं:

i) मुंबई के बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लैक्स (बीकेसी) में टर्मिनल स्टेशन को मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) की भूमि पर भूमिगत स्टेशन के रूप में नियोजित किया गया है।

एमएमआरडीए ने अधिकतम वाणिज्यिक विकास के लिए, इस स्टेशन के ऊपर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेन्टर (आईएफएससी) के लिए गगन-चुंबी इमारतों की योजना बनाई है। टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स (टीसीई) ऊपर की इमारत के वजन को ध्यान में रखते हुए, भूमिगत स्टेशन का समेकित डिजाइन भी बना रहा था। आईआईटी - मुंबई को उक्त डिजाइन के लिए प्रूफ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। टीसीई ने सी1- पैकेज के लिए डिजाइन और ड्राइंग पूरी कर ली है। उक्त अनुबंध के लिए निविदा आमंत्रित की गई हैं। वर्ष के दौरान, निर्माण की रुपरेखा भी तैयार की गई है और अंतिम रूप दिया गया है।

ii) (क) ट्रैक डिजाइन - 'जे-स्लैब ट्रैक सिस्टम' (जापानी शिंकानसेन पर प्रयुक्त) हेतु जरुरी प्रबलित कंक्रीट (आरसी) ट्रैक बेड, ट्रैक स्लैब, सीमेंट डामर मोर्टार (सीएएम), आदि के लिए मानक डिजाइन ड्राइंग का कार्य पूरा किया गया।

कार्यों के निष्पादन हेतु, ट्रैक पैकेज के ठेकेदार द्वारा विस्तृत डिजाइन और रेखाचित्र तैयार करना जरुरी है। कंपनी ने ट्रैक पैकेज ठेकेदार की सहायता के लिए नामित उप-ठेकेदार (एनएससी) के रूप में परियोजना से जुड़ने के लिए 12 मार्च 2021 को जापानी रेलवे तकनीकी सलाहकार (जेआरटीसी), जापान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उपरोक्त एमओयू के अनुसार, जेआरटीसी (शिंकानसेन ट्रैक को डिजाइन करने में विशेषज्ञ होने के कारण) प्रमुख एचएसआर ट्रैक घटकों जैसे आरसी ट्रैक बेड, ट्रैक स्लैब व्यवस्था, सतत वेल्डेड रेल (सीडब्ल्यूआर) बलों आदि के विस्तृत डिजाइन और ड्राइंग प्रदान करेगा।

(ख) इसके अलावा, जापानी पक्ष भारतीय ठेकेदारों के लिए ट्रैक कार्य खोलने के लिए (भारतीय पक्ष के अनुरोध पर) सहमत हो गया है। यह इस शर्त के साथ दी गई है कि भारतीय कार्यबल को ट्रैक निर्माण में प्रशिक्षण दिया जाएगा, यह ट्रैक निर्माण विशिष्ट हैं और इसके लिए विशेष मशीनों का उपयोग आवश्यक है।

इसलिए, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, आपकी कंपनी ने टी-1, टी-2 और टी-3 अनुबंध पैकेज हेतु स्लैब ट्रैक सिस्टम का निर्माण करने के लिए प्रशिक्षण तथा प्रमाणन और सलाहकार सेवाओं के लिए विदेशी रेलवे प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए जापानी संगठन, जापान रेलवे तकनीकी सेवा (जेएआरटीएस) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे साइट पर केवल प्रशिक्षित श्रमिकों का ही काम करना सुनिश्चित होगा। उम्मीद है कि जापानी विशेषज्ञों के द्वारा (इस समझौते के तहत) 1000 से अधिक इंजीनियरों/पर्यवेक्षकों को जापानी ट्रैक प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित किया जाएगा।

iii) एचएसआर वायडक्ट की विस्तृत योजना और प्रोफाइल तथा वडोदरा में संशोधित क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर संरचनाओं के डिजाइन के साथ-साथ संशोधित संरेखण का कार्य पूरा कर लिया गया है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा वडोदरा यार्ड पर निर्माण कार्य आसान होगा।

iv) दस एचएसआर स्टेशनों की निविदा के लिए विस्तृत कार्य पूरा होने के पश्चात, शेष दो एचएसआर स्टेशनों यानि ठाणे और वडोदरा में संशोधित स्थान हेतु विस्तृत वास्तुकला, नलसाजी और अग्निशमन कार्य ड्राइंग को अंतिम रूप दिया गया है।

v) पांच एचएसआर स्टेशनों (यानि वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच और आनंद) के लिए तकनीकी वास्तुकला डिजाइन का कार्य संबंधित ठेकेदार (यानी सी-4 और सी -6 अनुबंध पैकेज) ने संभाला है।

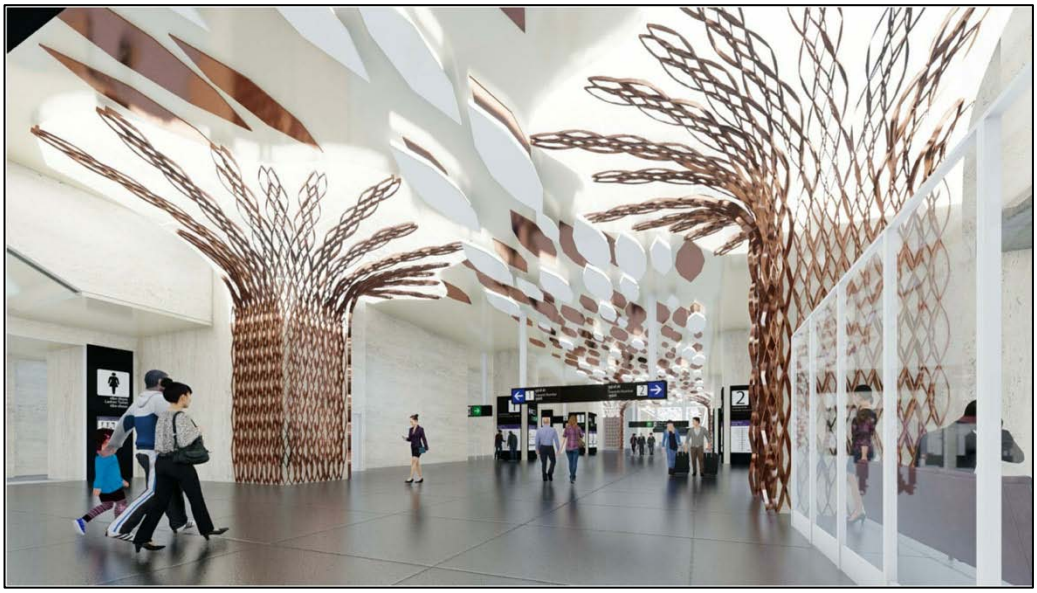

वडोदरा, गुजरात में प्रस्तावित एचएसआर स्टेशन का अंदरूनी हिस्सा।

vi) निम्न के लिए मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन (एमएमआई) योजनाओं:

(क) तीन एचएसआर स्टेशनों (यानि वडोदरा, अहमदाबाद और साबरमती) को 2018-19 के दौरान अंतिम रूप दिया गया और सभी हितधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया।

(ख) पांच एचएसआर स्टेशनों (यानि आनंद/नडियाद, सूरत, बिलिमोरा, बोइसर और विरार) को अंतिम रूप दिया गया और 2019-20 के दौरान हितधारकों को अनुमोदन हेतु भेजा गया।

उपरोक्त सभी पांच एचएसआर स्टेशनों के लिए हितधारकों से अनुमोदन प्राप्त हो गया है, इसके अलावा शेष चार एचएसआर स्टेशनों (यानि वापी, ठाणे, बीकेसी और भरूच) के लिए भी हितधारकों का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। इन चार एचएसआर स्टेशनों को 2020-21 के दौरान अंतिम रुप दिया गया और अनुमोदन हेतु हितधारकों को भेजा गया।

इसके अलावा, 2020-21 के दौरान, दो एचएसआर स्टेशनों (यानि ठाणे और वडोदरा) के लिए एमएमआई योजनाओं को क्रमशः मैंग्रोव की उपस्थिति एवं स्टेशन स्थान में बदलाव की वजह से भू-जरुरतों में परिवर्तन के कारण संशोधित किया गया है। उक्त एमएमआई योजनाओं को मंजूरी के लिए स्थानीय नगरपालिका अधिकारियों को भेजा गया है।

vii) रेल मंत्रालय ने आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) को स्टेशन क्षेत्र विकास (एसएडी) के लिए जापानी सहायता की जरुरत वाले चिन्हित एचएसआर स्टेशनों पर तकनीकी सहयोग के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

एचएसआर साबरमती टर्मिनल, गुजरात में विभिन्न स्तरों पर निर्माणाधीन स्लैब।

डीईए ने अनुमोदन के बाद इसे जापान दूतावास को भेज दिया है।

viii) साबरमती टर्मिनल हब भवन का निर्माण कार्य जोरों पर है, साथ ही ऊंचाई, आंतरिक और फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) के डिजाइन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

ix) कुल छह बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज (बीसीबी) में से दो बीसीबी को (2019-20 के दौरान स्वीकृत किए गए तीन के अलावा) और मेन लाइन पर वायडक्ट हेतु सब-स्ट्रक्चर और स्प्रेड फाउंडेशन के लिए मानक डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया है और जापान की विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। शेष एक बीसीबी और छह लॉन्ग स्पैन स्टील ब्रिज हेतु विस्तृत डिजाइन भी पूरा कर लिया गया है।

इसके अलावा, 695 मानक डिजाइन और 24000 विस्तृत डिजाइन ड्राइंग, स्टेशनों और स्टेशन के पहुंच, डिपो/रखरखाव डिपो और नदी के पुलों सहित मुख्य लाइन वायडक्ट हेतु ड्राइंग तैयार कर लिए गए हैं।

x) 20 स्टील ब्रिज सुपरस्ट्रक्चर के लिए विस्तृत डिजाइन का कार्य पूरा कर लिया गया है।

घ) निविदा

एचएसआर प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण सहित संपूर्ण एमएएचएसआर परियोजना को अब 27 अनुबंध पैकेजों के माध्यम से निष्पादित करने की योजना है, जिसमें प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित पांच अनुबंध पैकेज भी शामिल हैं।

जापान के राजदूत की उपस्थिति में एलएंडटी के साथ सी-4 पैकेज के अनुबंध पर हस्ताक्षर समारोह।

वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा निम्नलिखित **प्रमुख अनुबंध पैकेजों के लिए निविदाएं आमंत्रित** की गई हैं:

i) सी-7 पैकेज [489.467 किमी और एमएएचएसआर किमी 507.599 के बीच सिविल और भवन निर्माण कार्यों व संबद्ध कार्यों के लिए];

ii) सी-8 पैकेज [507.599 किमी और 509.726 किमी के बीच साबरमती में डिपो और अन्य संबद्ध कार्यों के लिए सिविल व भवन निर्माण कार्यों के लिए];

iii) डी-2 पैकेज [साबरमती डिपो और संबंधित कार्यों के लिए];

iv) टी-2 पैकेज [ट्रैक और ट्रैक से संबद्ध कार्यों के लिए जो 508 किमी के कुल संरेखण में से लगभग 237.1 किमी है)];

v) पी-1(बी) और पी-1(सी) पैकेज [क्रमशः ग्यारह और पांच पुलों के निर्माण के लिए]; तथा

vi) सिविल कार्य पैकेजों के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं।

कंपनी ने 2017-18 के दौरान, प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण के लिए तीन अनुबंध पैकेज प्रदान किए थे, यानि टीआई-2, टीआई-3, और टीआई-2 एवं टीआई-3 अनुबंध पैकेज के लिए पर्यवेक्षण सामान्य परामर्श सेवाएं। इसके अलावा, 2020-21 के दौरान तीन और अनुबंध पैकेज यानि सी-4 (सिविल कार्यों के लिए अवसंरचना क्षेत्र की सबसे बड़ी निविदा), सी-6, और पी-4 प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 31 मार्च 2021 तक छह अनुबंध पैकेज दिए गए हैं।

ङ) कार्य की भौतिक प्रगति

भौतिक कार्य जैसे जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, पाइल फाउंडेशन, ओपन फाउंडेशन के कार्य वायडक्ट व स्टेशनों के लिए, कास्टिंग यार्ड प्रीकास्ट सुपरस्ट्रक्चर वर्क्स, सी-4 और सी-6 अनुबंध पैकेज पर शुरू हो गया है, जो 2020-21 के दौरान लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (एलएंडटी) को

प्रदान किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, पी4 (X) और पी4 (Y) अनुबंध पैकेजों पर काम, जिन्हें जनवरी 2021 में एलएंडटी - आईएचआई कंसोर्टियम को प्रदान किया गया है, मार्च 2021 से शुरू हो गया है। शुरुआत में, ये पैकेज जापानी ठेकेदारों को दिए जाने थे। भारतीय पक्ष की पहल पर, जापानी शिंकानसेन हेतु गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण के कुछ विशेष प्रावधानों के साथ, इन अनुबंधों को भारतीय ठेकेदारों के लिए भी खोल दिया गया है।

वलसाड, गुजरात में जारी पियर शटरिंग का कार्य।

च) मौजूदा रेलवे सुविधाओं और जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण

मौजूदा भारतीय रेलवे सुविधाएं एवं अवसंरचना जो एमएएचएसआर संरेखण का उल्लंघन करते हैं अर्थात् अहमदाबाद, वडोदरा, और साबरमती क्षेत्रों में अन्य महत्वपूर्ण उत्पादन तथा रखरखाव सुविधाओं और कार्यालयों/स्टाफ क्वार्टरों सहित रेलवे प्लेटफॉर्मों को पश्चिम रेलवे के समन्वय में स्थानांतरित किया जा रहा है।

एमएएचएसआर संरेखण का उल्लंघन करने वाली कई ओएचई लाइनों और अन्य उपयोगिताओं को भी स्थानांतरित किया जाना है या उपयोगिता के मालिकों के समन्वय में ऐसी संरचनाओं की ऊंचाई बढ़ाई जानी है।

इसके अतिरिक्त, एमएएचएसआर संरेखण के कुछ हिस्से घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों से गुजर रहे हैं, इसलिए कई भूमिगत व नागरिक उपयोगिताओं जैसे गैस लाइन, पानी व जल निकासी पाइप, लाइट्स, बिजली और दूरसंचार केबल और अन्य अवसंरचना को भी मुंबई, ठाणे, वडोदरा और अहमदाबाद के चुने गए स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है, ताकि एचएसआर निर्माण के दौरान इन उपयोगिताओं में कोई परेशानी न आए और बड़े पैमाने पर आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए सिविल निर्माण का कार्य निर्बाध गति से जारी रह सके।

वर्ष के दौरान मौजूदा रेलवे सुविधाओं और उपयोगिताओं के स्थानांतरण की प्रगति/स्थिति निम्नानुसार है:

i) 2020-21 के दौरान, 344 ओएचई लाइनों (31 मार्च 2020 तक स्थानांतरित 935 लाइनों के अतिरिक्त) को स्थानांतरित कर दिया गया है। इस प्रकार, 31 मार्च, 2021 तक स्थानांतरित कुल ओएचई लाइनों की संख्या 1279 हैं। ओएचई लाइनों की शेष 372 उपयोगिताओं को स्थानांतरित करने का कार्य जारी है।

ii) कॉनकॉर के इनलैंड कंटेनर डिपो और रोड अंडर ब्रिज (साबरमती क्रिकेट ग्राउंड के पास) को स्थानांतरित कर दिया गया है और पूर्ण होने के बाद सुपुर्द कर दिया गया है।

साबरमती क्रिकेट ग्राउंड, गुजरात के पास आरयूबी-1 का स्थान परिवर्तन।

iii) पश्चिम रेलवे की संपत्तियां जैसे स्टोर डिपो और सेंट्रल पीरियोडिक ओवरहालिंग (सीपीओएच) वर्कशॉप को स्थानांतरित कर दिया गया है और पूर्ण होने के बाद सुपुर्द कर दिया गया है। इंजीनियरिंग वर्कशॉप में सभी प्रमुख सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्य पूरे हो गए हैं और प्रवर्तन में लाने का कार्य प्रगति पर है।

ट्रैक मशीन का रखरखाव, सीपीओएच वातवा, गुजरात।

iv) रेलवे के विभिन्न कार्यालयों; रेलवे विद्युत उपयोगिताओं; और अहमदाबाद और वडोदरा में स्थित अन्य विविध संरचनाओं को उनके वर्तमान स्थानों से नए स्थानों तक का स्थानांतरण का कार्य, पूर्ण होने वाला है।

v) सिग्नलिंग और दूरसंचार उपयोगिताओं के स्थानांतरण की प्रगति निम्नानुसार है:

(क) अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के अंत में यानि सरसपुर स्थित एकीकृत दूरसंचार सेटअप जिसमें 70 मीटर लंबा टेलीकॉम टॉवर, टेलीफोन एक्सचेंज, फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम (एफओआईएस) के लाइव सर्किट, यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) रेडियो सेवा, अनारक्षित टिकटिंग सिस्टम (यूटीएस), फाइबर वितरण प्रबंधन प्रणाली (एफडीएमएस) शामिल हैं, आदि को सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया गया है और नए नामित स्थानों पर चालू कर दिया गया है।

(ख) गेरतपुर से साबरमती (लगभग 15 किलोमीटर की दूरी) के बीच दूरसंचार अवसंरचना; सिग्नलिंग केबल और गियर्स को स्थानांतरित करने का कार्य 2020-21 में पूरा हो गया है। इस कार्य में क्वाड केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी), और मल्टी

पेयर केबल सहित लगभग 1200 किलोमीटर सिग्नलिंग केबल बिछाने और उन्हें परियोजना के राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) से दूर स्थानांतरित करना शामिल है।

अहमदाबाद (एडीआई) रूट रिले इंटरलॉकिंग (आरआरआई) क्षेत्र को छोड़कर, साबरमती को कवर करने वाले पूरे खंड के सर्किट को स्थानांतरित करने से संबंधित कार्य भारतीय रेलवे के ट्रेन संचालन को बाधित किए बिना 2020-21 के दौरान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। एडीआई आरआरआई क्षेत्र में अभी कुछ सर्किट के स्थानांतरण का कार्य प्रगति में हैं।

(ग) भारतीय रेलवे के व्यस्त दिल्ली-मुंबई राजधानी मार्ग पर ट्रेन संचालन को बाधित किए बिना, लगभग 160 किलोमीटर की सिग्नलिंग और दूरसंचार केबल (विश्वामित्री और वडोदरा के बीच) बिछाने और लाइव सिग्नलिंग सर्किट को स्थानांतरित करने का कार्य प्रगति पर है।

vi) अहमदाबाद के पास ओएनजीसी पाइपलाइनों को स्थानांतरित करने का कार्य पूरा हो गया है। मुंबई के बीकेसी क्षेत्र में टाटा पावर के भूमिगत केबल, एमएमआरडीए के स्टॉर्म वाटर ड्रेन और महानगर गैस पाइपलाइनों को भी स्थानांतरित कर दिया गया है।

vii) अहमदाबाद के पास नांदेड में तेल के कुओं की शिफ्टिंग 2019-20 में पूरी हो गई है। अब, एमएएचएसआर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने हेतु उक्त तेल के कुओं की कैपिंग भी पूरी कर ली गई है।

viii) वड़ोदरा शहर के सैटेलाइट स्टेशन के रूप में छायापुरी नामक एक नए स्टेशन का उद्घाटन किया गया है, जिसके लिए कंपनी द्वारा वडोदरा स्टेशन के यात्रियों की जरुरतों को पूरा करने हेतु धन उपलब्ध कराया गया था। इसे एचएसआर स्टेशन के निर्माण हेतु तोड़े गए प्लेटफॉर्म सं. 7 की जगह पर बनाया गया है। वडोदरा यार्ड के नए आरआरआई भवन का निर्माण कर पश्चिम रेलवे को सौंप दिया गया है जिसे हाल ही में सेंट्रल ऑपरेशन सेंटर (सीओसी) के रूप में चालू किया गया है।

ix) एचएसआर के लिए वडोदरा यार्ड में कंपनी द्वारा की गई जांच/स्थायी लाइनों के बदले में संबद्ध सुविधाओं के साथ एक प्रमुख कैरिज व वैगन (सी एंड डब्ल्यू) परीक्षण डिपो कराछिया यार्ड में चालू किया गया है।

x) वडोदरा में एमएएचएसआर संरेखण के कारण प्रभावित संरचनाओं के बदले वडोदरा यार्ड में 60 टाइप II रेलवे क्वार्टर (84 में से) का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

छ) एचएसआर प्रशिक्षण संस्थान

वडोदरा में एक समर्पित हाई स्पीड रेल (एच.एस.आर.) प्रशिक्षण संस्थान बनाया जा रहा है। इस संस्थान में जापान के शिन शिराकावा में स्थिति ईस्ट जापान रेलवे कंपनी (जेआर-ईस्ट) के हाई स्पीड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के समकक्ष सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जैसे ड्राइवर सिमुलेटर, ट्रैक सर्किट, ओएचई में सम्मिलित विद्युत् आपूर्ति, सैंपल ट्रैक आदि। वडोदरा का हाई स्पीड रेल प्रशिक्षण संस्थान, ज्ञान के एक केन्द्र तथा भारत में भविष्य में बनाई जाने वाली अन्य हाई स्पीड कॉरिडोरों के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह भी काम करेगा।

वर्ष के दौरान, कोविड-19 महामारी के बीच, संस्थान ने एचएसआर के विभिन्न विषयों / पहलुओं यानि भू-तकनीकी प्रशिक्षण; परियोजना के वैधानिक प्रावधानों के लिए पर्यावरण मंजूरी; एचएसआर डिपो और मशीनों का अवलोकन; ट्रैक व निर्माण पद्धति; साबरमती एचएसआर डिपो; ट्रेन नियंत्रण प्रणाली में स्वचालन के ग्रेड; आदि पर 1,262 प्रतिभागियों को 4,196 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया है। प्रशिक्षण का ज्यादातर हिस्सा कंपनी के भीतर डोमेन विशेषज्ञों के इन-हाउस संकायों द्वारा प्रदान किया गया था। कंपनी के इंट्रानेट वेब पेज पर सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और संदर्भ सामग्री का एक ई-लर्निंग डिजिटल रिपोजिटरी उपलब्ध कराया गया है।

आपकी कंपनी ने एचएसआर प्रशिक्षण संस्थान के छात्रावास भवन को कोविड-19 महामारी के लिए क्वारंटाइन सेंटर के रूप में उपलब्ध कराया है।

ज) विद्युत आपूर्ति स्रोत के क्रियाकलाप

आपकी कंपनी को, एक "मानद लाइसेंसधारी" के रूप में, गुजरात तथा महाराष्ट्र के बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनियों से एमएएचएसआर [ट्रैक्शन सब-स्टेशन (टीएसएस): 14 नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन सब-स्टेशन (डीएसएस): 15 नंबर] में विभिन्न सबस्टेशनों के लिए कनेक्टिविटी / कनेक्शन प्रदान कर दिया है।

वर्ष के दौरान, उक्त विद्युत आपूर्ति कंपनियों द्वारा निष्पादित किए जा रहे पारेषण लाइन कार्यों और खंड वृद्धि विस्तार कार्यों की भौतिक प्रगति निम्नानुसार है:

कार्य का विवरण		**गुजरात** *(9 टीएसएस और 9 डीएसएस)*	**महाराष्ट्र** *(5 टीएसएस और 6 डीएसएस)*
ग्रिड सब-स्टेशन (जीएसएस) में बे संवर्धन कार्य	टीएसएस	- 1 जीएसएस पर 100% - 7 जीएसएस पर 90%	बोइज़र डीएसएस में 100% पूर्ण
	डीएसएस	- 7 जीएसएस पर 90%	
जीएसएस से टीएसएस तक ट्रांसमिशन लाइन का कार्य	डीएसएस	- 3 डीएसएस के लिए कार्य प्रगति पर है	टीएसएस और डीएसएस के लिए भूमि अधिग्रहण के बाद शुरू होगा

झ) भूमि अधिग्रहण

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार समग्र स्थिति नीचे दी गई है:

i) संयुक्त मापन सर्वेक्षण (जेएमएस) रिपोर्ट के आधार पर, 2020-21 के दौरान और 31 मार्च 2021 तक अधिग्रहित भूमि की स्थिति के साथ एमएएचएसआर परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि की आवश्यकता इस प्रकार है:

राज्य	प्रभावित गांवों की संख्या	भूमि की आवश्यकता (हेक्टेयर में) / भूखंड (संख्या में)					अधिग्रहीत		टिप्पणियां
		सरकार	निजी	भारतीय रेल	वन	कुल	2020-21 के दौरान	संचयी 31 मार्च 2021 तक	
गुजरात	198	86.96 हेक्टेयर / 894	740.34 हेक्टेयर/ 6096	125.87 हेक्टेयर / 96	2.83 हेक्टेयर/ 10	**956 हेक्टेयर/ 7096**	195.5 हेक्टेयर	**914.82 हेक्टेयर**	सहमति एवं नियमित अवार्ड के माध्यम से 709.97 हे क्टेयर निजी भूमि शामिल है
महाराष्ट्र	97	61.18 हेक्टेयर / 332	273.34 हेक्टेयर / 2048	1.63 हेक्टेयर / 5	95.85 हेक्टेयर / 200	**432.00 हेक्टेयर / 2585**	10.48 हेक्टेयर	**104.86 हेक्टेयर**	55.91 हेक्टेयर निजी भूमि को सीधी खरीद पद्धति के माध्यम से शामिल किया गया
दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली (डीडी और डीएनएच)	2	0.48 हेक्टेयर / 7	7.52 हेक्टेयर / 136	0	0	**8.00 हेक्टेयर/ 143**	0.52 हेक्टेयर	**7.65 हेक्टेयर**	नियमित पुरस्कार के माध्यम से
कुल	**297**	**148.62 हेक्टेयर/ 1233**	**1021.20 हेक्टेयर/ 8280**	**127.50 हेक्टेयर/ 101**	**98.68 हेक्टेयर/ 210**	**1396 हेक्टेयर/ 9824**	**206.5 हेक्टेयर**	**1027.33 हेक्टेयर**	

ii) 295 गांवों (कुल 297 गांवों में से) यानी गुजरात के 198 गांवों, महाराष्ट्र के 95 गांवों तथा केंद्र शासित प्रदेश डीडी और डीएनएच के 2 गांवों के लिए जेएमएस रिपोर्ट को पूरा किया जा चुका है।

iii) निजी भूमि के लिए 31 मार्च 2021 तक 4998.01 करोड़ रुपये का भूमि मुआवजा [गुजरात में और डीडी एवं डीएनएच में: 4,103.24 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र में: 894.77 करोड़ रुपये] वितरित किया गया है।

भूमि अधिग्रहण हेतु गुजरात, सूरत के कुदसाड गांव में स्थित अनुज्ञा शिविर

ञ) पर्यावरणीय आंकलन, वैधानिक अनुमतियाँ और वृक्ष प्रत्यारोपण :

वर्ष के दौरान, पर्यावरणीय और वैधानिक अनुमतियों में प्राप्त प्रगति निम्नानुसार है:

i) वन मंजूरी - इस परियोजना में गुजरात में (5.847 हेक्टेयर) और महाराष्ट्र में (129.7197 हेक्टेयर) का संरक्षित / आरक्षित वन भूमि का पथांतर शामिल है। वन मंजूरी (स्टेज II) क्रमशः पत्रांक संख्या एफ नं. 6-GjC08/2018-BHO/309 दिनांक 13 मार्च 2020 द्वारा गुजरात के लिए प्राप्त किया गया है। वर्ष के दौरान महाराष्ट्र के लिए स्टेज-II की मंजूरी अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

अहमदाबाद, गुजरात में जारी प्रत्यारोपण का कार्य

सूरत, गुजरात में जारी वृक्षारोपण का कार्य।

ii) कंपनी पर्यावरण के संरक्षण के लिए कई कदम उठा रही है जैसे वन विभाग द्वारा अधिसूचित वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वृक्षों (यानी वन वृक्ष) के प्रतिपूरक वृक्षारोपण और अन्य वृक्ष जो यद्यपि वन क्षेत्र में नहीं आते हैं (यानी गैर-वन पेड़ो) लेकिन जे.एम.एस. अध्ययन के अनुसार प्रत्यारोपित करने की आवश्यकता है, के अतिरिक्त काटने के स्थान

पर पेड़ो के प्रत्यारोपण का सहारा लेना, आदि। कंपनी ने 31 मार्च 2021 तक 6,921 वृक्षों का प्रतिरोपण किया है और विभिन्न स्थानों पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण के कारण अतिरिक्त 74,857 वृक्ष लगाए गए हैं।

iii) उक्त वन मंजूरी/वन्यजीव मंजूरी/तटीय विनियमन क्षेत्र मंजूरी के लिए प्रतिपूरक वनीकरण/वन और वन्यजीव निगरानी/संरक्षण आदि के लिए कोष में धन जमा करना नियत है। यह कार्य 2019-20 के दौरान पहले ही किया जा चुका है।

ट) पुनर्वास कार्य योजना (आरएपी)

अगस्त 2018 में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे एवं पारदर्शिता के अधिकार के तहत प्रस्तुत की गई पुनर्वास कार्य योजना (आरएपी) रिपोर्ट को जेआईसीए ने स्वीकार कर लिया था। परियोजना के लिए स्वदेशी लोगों की योजना (आईपीपी) के साथ एक आरएपी बनाई गई है, ताकि परियोजना के प्रभावों का आंकलन किया जा सके और प्रभाव को कम करने के उपायों को विकसित कर योजना से प्रभावित लोगों (पीएपी) को मुआवजा प्राप्त करने, आर.एण्ड आर. सहायता के साथ दूसरे उपायों जिससे उनके सामाजिक-आर्थिक मानक और जीविकोपार्जन क्षमता को सुधारने के उपाय हैं, में सहायता दी जा रही है। परियोजना के लिए प्रस्तावित आमदनी नवीकरण योजना (आईआरपी) का उद्देश्य परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएच) की आमदनी को परियोजना पूर्व स्तरों या उससे अच्छी स्थिति तक विकसित करना है और यह परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में पी.ए.एच. के पुनर्वास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीएएच के पास उनकी वर्तमान गतिविधियों एवं कौशलों का लाभ उठाने के लिए, विभिन्न उपलब्ध विकल्पों में से एक को चुनने का अवसर होगा। सभी पीएएच को उपलब्ध विकल्पों के बारे में उचित जानकारी हो और उन्हें भागीदारी का पर्याप्त अवसर मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया गया है।

कंपनी ने 2020-21 के दौरान कौशल संवर्धन प्रशिक्षण हेतु पीएएच के लिए आय बहाली योजना (आईआरपी) को जारी रखा है।

कौशल संवर्धन प्रशिक्षण हेतु, गुजरात में लगभग सात संस्थानों तथा महाराष्ट्र में चार संस्थानों का चयन किया गया है। 31 मार्च 2021 तक, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत लगभग 703 पी.ए.पी. {2153 पी.ए.पी. में से जिन्होंने आई.आर.पी. के तहत प्रशिक्षण की इच्छा दिखाई है} को पंजीकृत किया गया था। 31 मार्च 2021 तक, गुजरात राज्य के अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद, वडोदरा तथा भरूच जिलों में और महाराष्ट्र राज्य के मुंबई, ठाणे और पालघर जिलों में (उक्त पंजीकृत पी.ए.पी. में से) लगभग 316 पी.ए.पी. ने अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 113 पी.ए.पी. अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं। कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के आधार पर शेष पी.ए.पी. भी उत्तरोत्तर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

आईआरपी के तहत गुजरात तथा महाराष्ट्र में विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन।

पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) पुरस्कार जिसमें स्थानांतरण के लिए परिवहन अनुदान; जीवन-निर्वाह अनुदान; छोटे व्यापारियों को एकमुश्त अनुदान; पुनर्वास भत्ता; वार्षिकी; घर के निर्माण के लिए एक बार वित्तीय सहायता, खुदरा दुकानें, पशु शेड, आदि; नई आस्तियों की खरीद पर पीएपी को स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति; आदि शामिल हैं।] शुरू किया गया है जो एमएएचएसआर परियोजना के प्रत्येक पीएएच के लिए पात्रता मैट्रिक्स के व्यक्तिगत प्रभाव पर, जेआईसीए सामाजिक और पर्यावरण विचार नीति 2010, और मुआवजा और भूमि अर्जन में पारदर्शिता, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित अधिकार अधिनियम, 2013 की दूसरी अनुसूची पर आधारित है।

वर्ष के दौरान, कुल 5115 भूखंडों [अर्थात गुजरात राज्य में 4980 भूखंड और केन्द्र शासित प्रदेश डीडी और डीएनएच में 135 भूखंड] के लिए आर एंड आर अवार्ड घोषित किए गए हैं ।

ठ) सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली

कंपनी ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित पहल शुरु की हैं:

i) सी-4 अनुबंध पैकेज के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण (एसएचई) प्रबंधन योजना को मंजूरी मिल गई है।

ii) सी-4 और सी-6 अनुबंध पैकेजों के लिए संचार, परामर्श और भागीदारी हेतु ठेकेदार, उप-ठेकेदार, इंजीनियर और नियोक्ता के प्रमुख सदस्यों को शामिल करते हुए प्रोजेक्ट एसएचई समिति का गठन किया गया है।

प्रोजेक्ट एसएचई समिति की पांच बैठकें (अर्थात सी-4 के लिए तीन और सी-6 के लिए दो) हो चुकी हैं। समिति ने विनिर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा व स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली, निर्माण पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, श्रम कल्याण उपायों, शिकायतों और सुरक्षा एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य के संबंध में अन्य गतिविधियों के कार्यान्वयन पर चर्चा की।

iii) सुरक्षा प्रेरण, प्रशिक्षण एवं क्षमता: कामगारों को शामिल करने और उनको प्रशिक्षण देने की एक प्रणाली तैयार की गई है। इसके तहत या तो केवल सक्षम कामगारों को विशेष कार्य में भर्ती करने की अनुमति दी जाती है या काम करने से पहले कामगारों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। सभी कामगारों को ठेकेदार की सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, और काम से संबंधित खतरों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के बाद काम पर रखा जा रहा है। उप-ठेकेदार के कामगार भी निगरानी कार्यक्रमों से गुजर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शारीरिक रूप से फिट श्रमिकों को ही कार्य पर रखा जा सके।

ठेकेदार के कामगारों और कर्मचारियों को नौकरी-विशिष्ट प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम भी प्रदान किए जा रहे हैं। एसएचई प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम पर कुल 4871 घंटे का समय भी दिया गया है।

वर्ष की समाप्ति के बाद, सी-6 अनुबंध पैकेज के लिए भी एसएचई प्रबंधन योजना को मंजूरी मिल गई है। सी-4 और सी-6 अनुबंध पैकेजों के लिए एसएचई प्रबंधन योजनाओं को दिन-प्रतिदिन की निर्माण गतिविधियों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। निर्माण पर्यावरण प्रबंधन योजना (सीईएमपी) को भी सी-4 और सी-6 अनुबंध पैकेजों के लिए अनुमोदित किया गया है, और इसे दिन-प्रतिदिन की निर्माण गतिविधियों के अनुरूप लागू किया जा रहा है।

अन्य हाई स्पीड रेल (एचएसआर) कॉरिडोर परियोजनाएं

आपकी कंपनी 2020-21 के दौरान रेलवे बोर्ड द्वारा सौंपे गए वाराणसी-हावड़ा एचएसआर कॉरिडोर के लिए डीपीआर तैयार करने सहित निम्नलिखित सात एचएसआर कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का काम कर रही है :

i) दिल्ली-वाराणसी एचएसआर (865 किमी के लिए);
ii) दिल्ली-अहमदाबाद एचएसआर (886 किमी के लिए);
iii) मुंबई - नागपुर एचएसआर (753 किमी);
iv) मुंबई - हैदराबाद एचएसआर (711 किमी के लिए);
v) चेन्नई-मैसूर एचएसआर (435 किमी के लिए); तथा
vi) दिल्ली-अमृतसर एचएसआर (459 किमी के लिए)]
vii) वाराणसी - हावड़ा (760 किमी)

इन कॉरिडोर के संबंध में डीपीआर कार्य करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं:

क. दिल्ली - वाराणसी एचएसआर

डीपीआर - 2020-21 के दौरान, कंपनी ने क्रमशः 200 किमी प्रति घंटे और 300 किमी प्रति घंटे की परिचालन गति के लिए संरेखण डिजाइन के साथ दो डीपीआर प्रस्तुत किए हैं। उक्त रिपोर्टें आंतरिक रूप से तैयार की गई थीं और उपग्रह डेटा पर आधारित थीं।

उक्त दो रिपोर्टें एकत्र किए गए निम्नलिखित डेटा/इनपुट के आधार पर तैयार की गई थीं:

i) निम्न के बारे में इनपुट -
   (क) रोलिंग स्टॉक, रोलिंग स्टॉक डिपो, निरीक्षण व रखरखाव कारें, रखरखाव डिपो व संबद्ध विवरण;
   (ख) सिग्नलिंग कम्युनिकेशन, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर (ओसीसी), प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर (पीएसडी) और टिकटिंग सिस्टम / स्वचालित किराया संग्रह (एएफसी) सिस्टम;
   (ग) वास्तुकला अवधारणा चित्र;
   (घ) सैटेलाइट डेटा में संरेखण डिजाइन;
   (ङ) सामान्य व्यवस्था चित्र तैयार करना (जीएडी);
   (च) डेटा संग्रह एवं संबद्ध सर्वेक्षण कार्य;
   (छ) उपयोगिता सर्वेक्षण एवं पावर सोर्सिंग;
   (ज) एचएसआर परिचालन गति के 300 किमी प्रति घंटे के लिए ट्रैक संरचना / सुपर संरचना का डिजाइन और निर्माण;
   (झ) सिग्नलिंग सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की खरीद;
   (ञ) योजना और प्रोफाइल कार्य; तथा
   (ट) डेस्कटॉप अध्ययन कार्य, आदि।

ii) कंपनी द्वारा प्रौद्योगिकी के चयन का अध्ययन, बुनियादी डिजाइन, विद्युत प्रणालियों की लागत का अनुमान (ट्रैक्शन पावर सप्लाई, ओवरहेड उपकरण, वितरण प्रणाली और बिल्डिंग ईएंडएम सिस्टम) इन-हाउस किया गया था। पावर सोर्सिंग के लिए उल्लंघन करने वाली उपयोगिताओं और जीएसएस का भौतिक साइट स्थान सर्वेक्षण बाहर से कराया गया था।

iii) विभिन्न स्थितियों में सिस्टम के डिजाइन और संचालन के लिए ट्रेन के चलाने के समय, हेडवे, रूट, टाइम टेबल आदि का निरीक्षण करने हेतु सिमुलेशन सॉफ्टवेयर पर सिग्नलिंग सिमुलेशन अध्ययन आयोजित किए गए थे।

अंतिम डीपीआर रिपोर्ट - लीडार सर्वेक्षण, सामाजिक प्रभाव आंकलन, पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अध्ययन; आदि के आधार पर 200 किमी प्रति घंटे / 300 किमी प्रति घंटे की परिचालन गति के लिए तैयारी की जा रही है, जिसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i) आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट ड्रॉइंग की तैयारी के लिए सलाहकारों की नियुक्ति (सितंबर 2020 में)

ii) प्रस्तावित कॉरिडोर के अनुरुप न होने वाली उपयोगिताओं की पहचान और सब-स्टेशनों के लिए बिजली व्यवहार्यता विवरण संबंधित उपयोगिता मालिकों से लिए गए हैं।

iii) प्रारंभिक हितधारक परामर्श (चरण I) पूरा कर लिया गया है और सलाहकार द्वारा स्ट्रिप मैप्स के साथ पर्यावरण प्रभाव आंकलन (ईआईए) रिपोर्ट का मसौदा प्रस्तुत किया गया है। चरण II हितधारक परामर्श (जिला स्तर पर औपचारिक) 13 जिलों (महामारी के कारण शेष 10) के लिए पूरा कर लिया गया है। अंतिम ईआईए रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

iv) विस्तृत यातायात सर्वेक्षण और लीडार सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर उपयोगिता सर्वेक्षण और पावर सोर्सिंग का अंतिम अद्यतनीकरण प्रगति पर है।

v) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, लीडार सर्वेक्षण पूरा हो गया है और लीडार के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा के आधार पर अंतिम संरेखण डिजाइन (एफएडी) किया जा रहा है।

ख. अन्य छह एचएसआर कॉरिडोर

कंपनी ने वर्ष के दौरान सभी सात एचएसआर कॉरिडोर के लिए प्रारंभिक मार्ग विकास हेतु डेस्कटॉप अध्ययन कार्य पूरा कर लिया है।

चार एचएसआर कॉरिडोर (अर्थात मुंबई-हैदराबाद, चेन्नई-मैसूर, वाराणसी-हावड़ा, और दिल्ली-अमृतसर) के लिए संयुक्त जीएडी निविदा हेतु तकनीकी मूल्यांकन प्रगति पर है।

दिल्ली-अमृतसर एचएसआर कॉरिडोर का कार्य पंजाब राज्य में किसान विरोध के कारण रुका हुआ है। कंपनी ने रेलवे बोर्ड से सैटेलाइट आधारित डीपीआर के विकल्प पर विचार करने का अनुरोध किया है। विरोध के बावजूद, कंपनी ने ईआईए अध्ययन/पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) कार्य और साइट उपयोगिता पहचान और पावर सोर्सिंग कार्य हेतु सलाहकार नियुक्त किए हैं। इसके अलावा, दिल्ली क्षेत्र में 20 किमी के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है।

वित्तीय रुपरेखा

क. वित्तीय सारांश या मुख्य विशेषताओं के साथ निष्पादन

आपकी कंपनी ने अभी तक अपना व्यावसायिक परिचालन शुरू नहीं किया है। इस वर्ष के दौरान, कोई परिचालन आय नहीं हुई है, हालांकि, कंपनी ने 36.93 करोड़ रुपये का ब्याज अर्जित किया है।

वित्तीय प्रदर्शन संकेतक:

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	2020-21	2019-20
1.	परिचालन आय	**शून्य**	**शून्य**
2.	अन्य आय	**36.93**	**78.26**
3.	कर-पूर्व लाभ	**25.40**	**70.88**
4.	करोपरांत लाभ	**22.43**	**56.26**
5.	निवल मूल्य	**10721.35**	**7700.74**
6.	प्रतिधारित आय के लिए स्थानांतरण	**20.60**	**51.27**

ख. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

वर्ष के दौरान 19,567.75 लाख रुपये के विदेशी मुद्रा व्यय को छोड़कर आपकी कंपनी ने वर्ष 2020-21 के दौरान कोई विदेशी मुद्रा आय अर्जित नहीं की है।

ग. शेयर पूंजी की संरचना

आपकी कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 20,000 करोड़ रुपये है, जिसमें भारत सरकार (जीओआई), गुजरात सरकार (जीओजी) और महाराष्ट्र सरकार (जीओएम) क्रमशः 50:25:25 के अनुपात में योगदान करेगी। कंपनी को एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया है, जिसे समय-समय पर जे.वी. भागीदारों / प्रमोटरों से इक्विटी अंशदान प्राप्त होता है।

31 मार्च 2021 तक, आपकी कंपनी की पेड-अप शेयर पूंजी 9,580 करोड़ रुपये है जिसे भारत सरकार (यथा 8,950 करोड़ रुपये - भारत के राष्ट्रपति और उनके बारह नामितों के नाम पर संघटित) और गुजरात सरकार (यथा 630 करोड़ रुपये - गुजरात के राज्यपाल के नाम पर संघटित) द्वारा योगदान दिया गया है।

अनुपालन

क. कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन

i) **जमा**

इस वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने आम जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

ii) **इंटर-कार्पोरेट ऋणों, प्रतिभूतियों या निवेशों का विवरण**

आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 186 अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार कोई भी इंटर-कॉरपोरेट ऋण प्रदान नहीं किया है या गारंटी नहीं प्रदान की है या कोई निवेश, (सुरक्षित या असुरक्षित), नहीं किया है।

माही नदी, वडोदरा, गुजरात में जारी बाथमीट्री सर्वेक्षण का कार्य।

iii) **संबंधित पक्ष के लेन-देनों का प्रकटीकरण**

संबंधित पक्ष के लेन-देनों का विस्तृत प्रकटीकरण, वर्ष 2020-21 के वित्तीय विवरणों में नोट सं. 32 के तहत दिया गया है।

iv) समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आपकी कंपनी ने कोई **क्रेडिट रेटिंग** प्राप्त नहीं की है।

v) चूंकि आपकी कंपनी अभी निर्माण के चरण में है और इसने अपना व्यवसायिक परिचालन अभी तक प्रारंभ नहीं किया है, अतः 2020-21 के दौरान शेयरधारकों के लिए किसी प्रकार के **लाभांश** की अनुशंसा नहीं की गई है।

vi) समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आपकी **कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं** आया था।

vii) ये वित्तीय विवरण जिस अवधि से संबंधित हैं, उस वित्तीय वर्ष के समापन तथा रिपोर्ट करने की तारीख के बीच, ऐसे कोई **वस्तुगत बदलाव और वादे नहीं** हुए हैं, जो आपकी कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले हों।

viii) समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार **लागत रिकार्डों का अनुरक्षण** लागू नहीं है, क्योंकि आपकी कंपनी ने व्यवसायिक परिचालन अभी तक प्रारंभ नहीं किया है और तदनुसार 2019-20 के दौरान कंपनी का कोई व्यवसायिक टर्नओवर नहीं है।

ix) **सचिवीय मानकों का अनुपालन**

आपकी कंपनी, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आई.सी.एस.आई.) के द्वारा जारी प्रयोज्य सचिवीय मानकों का अनुपालन कर रही है।

x) **जोखिम प्रबंधन**

आपकी कंपनी मुंबई से अहमदाबाद तक पहली हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का कार्यान्वयन कर रही है। कई ठेकेदारों और एजेंसियों द्वारा परियोजना स्थलों पर निर्माण गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं। कंपनी नियमित आधार पर जोखिम पहचान, जोखिम मूल्यांकन, जोखिम प्रबंधन और शमन की प्रक्रिया के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है।

जहां तक संपत्ति और कुछ देनदारियों से जुड़े जोखिमों का संबंध है, संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक समय पर और अनुशंसित उपाय करने के अलावा, इस तरह के जोखिमों को बीमा कंपनियों से उचित मूल्य के बीमा कवर प्राप्त कर संपत्तियों के जोखिम को कम किया गया है।

वित्तीय जोखिम के संबंध में, कंपनी ने बाहरी पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कंपनियों को, आंतरिक लेखा परीक्षक के तौर पर शामिल कर, पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण उपाय किए हैं। आंतरिक नियंत्रण और उपायों में सुधार के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों, सांविधिक लेखा परीक्षकों और सी.एंड.ए.जी. ऑडिट टीम द्वारा प्रदान की गई सिफ़ारिशें समय-समय पर लागू की जाती हैं।

xi) समीक्षा अवधि के दौरान, नियामकों या अदालतों या ट्रिब्यूनलों ने ऐसा कोई भी **महत्वपूर्ण एवं वस्तुगत आदेश नहीं पारित** किया है जो जारी व्यवसाय की स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालनों को प्रभावित करे।

xii) **ऊर्जा संरक्षण एवं ग्रीन हाई स्पीड रेल**

ऊर्जा संरक्षण को अपनाने वाले ऊर्जा संरक्षण निर्माण कोड (ईसीबीसी) के प्रावधानों को, सी-7 पैकेज के [अर्थात अहमदाबाद और साबरमती स्टेशन से जुड़े सिविल और भवन निर्माण कार्यों के लिए]; सी-8 पैकेज [अर्थात डिपो के लिए सिविल और भवन निर्माण कार्यों के लिए]; और डी-2 पैकेज [अर्थात साबरमती डिपो के लिए] तकनीकी स्पेसिफिकेशन में शामिल किया गया है।

वडोदरा, गुजरात में जारी पाइल बोरिंग का कार्य।

2020-21 के दौरान, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) एचएसआर ग्रीन रेटिंग के लिए पायलट संस्करण की आईजीबीसी के साथ समीक्षा की गई, जिसमें इस क्षेत्र के संगठन और उद्योग के विशेषज्ञ भी शामिल थे। वित्तीय वर्ष के अंत में, उक्त आईजीबीसी ग्रीन रेटिंग 21 जून 2021 को शुरू की गई थी।

xiii) **तकनीकी समावेशन**

आपकी कंपनी ने, एक ट्रस्ट यानि हाई स्पीड रेल इनोवेशन सेंटर (एचएसआरआईसी) का गठन किया है जिसमें भारतीय तकनीकी क्षमताओं का लाभ उठाकर हाई-स्पीड रेल प्रौद्योगिकी के प्रासंगिक क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास हो, ताकि स्वदेशी क्षमताओं और लागत प्रभावी समाधानों के विकास के माध्यम से रेल परिवहन, एक खुशहाल समाज, और एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के लिए योगदान दे सके। एच.एस.आर.आई.सी. ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया था जिसमें भारत और विदेश दोनों से अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों के प्रमुख व्यक्तियों को शामिल किया गया था उदाहरण के लिए, आईआईटी, आरटीआरआई एवं टोक्यो विश्वविद्यालय। सलाहकार परिषद ने आगे के अनुसंधान और विकास के लिए हाई-स्पीड रेल के क्षेत्र में निम्नलिखित छः प्रमुख परियोजनाओं की पहचान की है:

i) ट्रैक्शन विद्युत आपूर्ति के स्वदेशी सिमुलेशन मॉडल का विकास।

ii) ओएचई पेंटोग्राफ इंटरेक्शन के डिजाइन सत्यापन के लिए एक स्वदेशी सिमुलेशन मॉडल का विकास।

iii) एचएसआर और रेलवे अनुप्रयोगों के लिए प्रबलित पृथ्वी का डिजाइन (आरई) दीवार को बनाये रखना और आरई की सीमा डिजाइन।

iv) हाई-स्पीड रेलवे ट्रैक के लिए सीमेंट डामर मोर्टार (सीएएम) पर विस्तृत अध्ययन।

v) एचएसआर अनुप्रयोगों के लिए अग्नि सुरक्षा और अग्निरोधी सामग्रियों का अध्ययन करना; तथा

vi) एचएसआर वायडक्ट का अनुकूलन।

वर्ष के दौरान, प्रक्रियाधीन 'एचएसआर वायडक्ट डिजाइन का अनुकूलन' को छोड़कर उक्त परियोजनाओं को अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ रिसर्च एसोसिएशन (एटीआईआरए), एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (एएमटीडीसी), और विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) और भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को सौंपा गया है।

इन संस्थानों की टीमों के साथ कई चर्चाएं और स्पष्टीकरण बैठकें भी हुई हैं, और आपकी कंपनी इन परियोजनाओं के निष्पादन में डोमेन ज्ञान एवं अनुभव साझा कर रही है।

उक्त छह परियोजनाओं के अलावा, एक अन्य परियोजना यथा 'भारत में एक नए एचएसआर/सेमी एचएसआर कॉरिडोर के चयन हेतु वैज्ञानिक मॉडल का विकास' पर भी ट्रस्ट द्वारा चर्चा की गई है।

इसके अलावा, आपकी कंपनी ने 2020-21 में, दुनिया भर में कुछ हाई स्पीड रेल प्रौद्योगिकियों (सिग्नलिंग, दूरसंचार, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर (ओसीसी), रोलिंग स्टॉक और डिपो सिस्टम सहित) का अध्ययन करने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार को नियुक्त किया है। सलाहकार द्वारा 2020-21 के दौरान समीक्षा के लिए मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान अध्ययन पूरा हो जाएगा।

महाराष्ट्र के पालघर जिले में जारी भू-तकनीकी जांच का कार्य।

ख) वर्ष 2020-21 के दौरान आपकी कंपनी को, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 151 के तहत कोई **अध्यक्षीय निर्देश नहीं** प्राप्त हुआ है।

ग) सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई)

आरटीआई अधिनियम, 2005 की कानूनी आवश्यकताओं के संदर्भ में कंपनी की वेबसाइट पर अपीलीय प्राधिकरण, लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक जन सूचना अधिकारी के नाम, सहित आवश्यक अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

आमतौर पर आरटीआई के प्रश्न, भूमि अधिग्रहण, नियुक्ति तथा बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में सामान्य सूचनाएँ, इत्यादि से संबंधित होते हैं और उनका जवाब सामान्यतः नियत समय में दे दिया जाता है। वर्ष के दौरान, प्राप्त होने वाले सभी 61 आवेदन का निस्तारण कर दिया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की उपयुक्तता

बोर्ड ने अपने कारोबार के व्यवस्थित एवं कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नीतियों एवं प्रक्रियाओं को अपनाया है, इनमें कंपनी की नीतियों का पालन करना, कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं ग़लतियों की रोकथाम एवं पहचान करना, लेखा अभिलेखों की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करना और समय पर विश्वसनीय वित्तीय विवरण तैयार करना शामिल है। कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, कंपनी के संचालन आकार, पैमाने और जटिलताओं के अनुरूप है।

सूचना प्रौद्योगिकी विकास

2020-21 के दौरान की गई प्रगति इस प्रकार है:

i) आपकी कंपनी ने ओरेकल (यूनिफायर) से दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के साथ-साथ कंपनी के कर्मचारियों द्वारा आधिकारिक उपयोग के उद्देश्य से इंट्रानेट सुविधा विकसित की है।

ii) आईटी सेल (ओरेकल पेशेवरों, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, और अन्य आईटी विशेषज्ञों सहित) की स्थापना प्रक्रियाधीन है। आईटी सेल कंपनी के आईटी नेटवर्क की सुरक्षा और आईटी परिसंपत्तियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करेगा।

iii) मानकीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कंपनी के आईटी बुनियादी ढांचे की भेद्यता मूल्यांकन और प्रक्रिया लेखा परीक्षा प्रक्रियाधीन है। उक्त ऑडिट में कंपनी के सर्वर, फायरवॉल, स्विच, लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन) कंट्रोलर और अन्य नेटवर्क डिवाइस शामिल हैं।

iv) विभिन्न स्थितियों में ट्रेन संचालन के डिजाइन और परीक्षण के लिए ट्रेन रन टाइम, हेडवे, रूट, टाइम टेबल आदि का अनुकरण करने हेतु कंपनी के अधिकारियों के लिए सिग्नलिंग सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की खरीद और ऑनलाइन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है।

मानव संसाधन (एचआर)

आपकी कंपनी मानव संसाधनों को बहुत महत्व देती है। कंपनी की एचआर नीतियाँ, उपलब्ध उत्कृष्ट प्रतिभाओं को आकर्षित करने और अपने साथ जोड़ने का उद्देश्य रखती हैं। कर्मचारियों को पीएसयू,

मैट्रो कंपनियों, निजी क्षेत्र से नियुक्त किया जाता है या सामान्य तौर पर केंद्र / राज्य सरकारों के विभागों और केंद्रीय / राज्य पी.एस.यू. आदि से प्रतिनियुक्ति पर रखा जाता है।

कंपनी की श्रमशक्ति क्षमता 31 मार्च 2020 को 302 (प्रतिनियुक्ति पर रखे गए 60 सहित) से बढ़कर 31 मार्च 2021 तक 313 (प्रतिनियुक्ति पर रखे गए 67 सहित) हो गई है।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कर्मचारियों को विशेष बीमारी के रूप में क्वारंटाइन अवकाश और उपचार प्रदान करके महामारी से निपटने में कर्मचारियों की सहायता करने की नीतियां बनाईं और इस तरह से कर्मचारियों की मदद की। कोविड के प्रभाव को कम करने हेतु आपकी कंपनी बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए कम क्षमता के साथ भी काम करने में सफल रही। आपकी कंपनी ने सभी कर्मचारियों के लाभ हेतु नीतियों/नियमों की समीक्षा की और उनमें संशोधन किया, जागरूकता सह स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया। कंपनी ने वर्तमान विभिन्न कर्मचारी कल्याण के उपायों, जैसे कर्मचारियों के लिए एग्रोनॉमिक रूप से डिजाइन किए गए वर्कस्टेशन और कुर्सियाँ, कार्यस्थल पर कम आवाज वाला धूल-रहित वातावरण, कर्मचारियों के लिए पूल यातायात, एक विशेष उम्र के उपरांत कर्मचारियों के लिए नियमित निवारक स्वास्थ्य जाँच की सुविधा आदि मुहैया कराई।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने संगठन के प्रभावी योगदानकर्ता बनने हेतु नए कर्मचारियों के भीतर आवश्यक कौशल, ज्ञान और व्यवहार को विकसित करने के उद्देश्य से संगठन के नए शामिल लोगों के लिए एक ऑन-बोर्डिंग सह अभिविन्यास योजना भी तैयार की।

आपकी कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए जापान फाउंडेशन के साथ मिलकर जापानी भाषा प्रवीणता परीक्षा (जेएलपीटी) भी शुरू किया है।

आपकी कंपनी, महिला कर्मचारियों को अनुकूल और सुरक्षित कार्य करने का वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। कार्यस्थलों पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न और शोषण के मामलों की जांच करने के लिए, महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोषण) अधिनियम 2013, के प्रावधानों के अनुरूप एक आंतरिक शिकायत समिति का भी गठन किया है। समिति ने निश्चित अंतराल पर बैठकें कीं। 2020-21 के दौरान, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष के दौरान, यौन उत्पीड़न के बारे में अधिकारियों को जागरूक करने के लिए, कंपनी के सभी कर्मचारियों के लिए एक वर्चुअल वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जिसमें महिलाओं से संबंधित प्रेरक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को साझा किया गया।

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों के प्रदर्शन को पोषित करती है और उनका सम्मान करती है एवं रचनात्मकता एवं उत्कृष्टता को बढ़ावा देती है। कंपनी अपने कर्मचारियों के पेशेवर विकास के लिए नियमित रूप से राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है। 2020-21 के दौरान, सामान्य प्रबंधन से लेकर तकनीकी विषयों तक के विषयों पर विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों /

सूरत, गुजरात में जारी एमएएचएसआर निर्माण का कार्य

निकायों के सहयोग से कंपनी द्वारा आयोजित घरेलू ऑनलाइन प्रशिक्षण में 159 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।

सतर्कता

श्री एच.एल. सुथार, कार्यकारी निदेशक / डिजाइन को, सतर्कता संबंधी कार्यों की देखरेख के लिए अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में नामित किया गया है। उन्हें दो सतर्कता अधिकारियों की एक टीम द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। कंपनी ने पूर्णकालिक सीवीओ नियुक्त करने के लिए कदम उठाए हैं।

पुरस्कार तथा सम्मान

कंपनी ने सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए और सीमित मेहमानों की मौजूदगी में 12 फरवरी 2021 को अपना 5वां स्थापना दिवस मनाया। रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और जापानी दूतावास, जेआईसीसी और जेआईसीए के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, कंपनी ने ट्रेड मार्क एक्ट, 1999 के तहत अपने पहले से पंजीकृत लोगो के विभिन्न रूपों के साथ-साथ संक्षिप्त नाम 'एनएचएसआरसीएल' को भी पंजीकृत करावा लिया है।

विज़न और मिशन

आपकी कंपनी ने निम्नलिखित को अपना मिशन और विज़न अपनाया है:

सूरत, गुजरात में जारी पाइलिंग का कार्य

I. **विज़न :**

जीवन की बेहतर गुणवत्ता और देश के विकास के लिए, तकनीकी उत्कृष्टता के साथ सुरक्षित, विश्वसनीय और दीर्घकालिक हाई स्पीड रेल सेवाएं मुहैया कराना।

II. **मिशन :**

1. ग्राहकों के लिए, एक दक्ष, सुरक्षित, संधारणीय और विश्वसनीय परिवहन का विकल्प उपलब्ध कराना।
2. अत्याधुनिक हाई स्पीड रेल यातायात की अवसंरचना के निर्माण, परिचालन और अनुरक्षण के द्वारा संपूर्ण राष्ट्र के लोगों को एक-दूसरे से जोड़ना।
3. हाई स्पीड रेल तकनीक के समावेशीकरण, स्वदेशीकरण और नवोन्मेष को बढ़ावा देना।

बोर्ड की समितियां

क. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

कंपनी ने अभी तक व्यावसायिक परिचालन शुरू नहीं किया है और इसलिए वित्तीय वर्ष के दौरान कोई परिचालन लाभ अर्जित नहीं किया है।

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर कार्यों को करने के उद्देश्य से एक बोर्ड स्तर की 'कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति' का गठन किया है, जिसे 'सीएसआर समिति' के रूप में जाना जाता है। उक्त समिति की सहायता नोडल अधिकारी और उनकी टीम द्वारा की जा रही है।

सीएसआर समिति, इसकी संरचना, उपस्थिति, सीएसआर बजट, सीएसआर गतिविधियों आदि के बारे में विवरण 'सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट' में दर्ज हैं जो निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है और इस रिपोर्ट में **परिशिष्ट -** I के रूप में संलग्न हैं।

ख. अन्य समितियां

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4), जिसे कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पढ़ा जाए (कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 05.07.2017 द्वारा संशोधित) के अनुसार आपकी कंपनी को संयुक्त उपक्रम की असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी होने के नाते अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों को रखने की आवश्यकता नहीं है।

तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 178 के साथ सहपठित कंपनी (बोर्ड की बैठकें एवं उसके अधिकार) नियम, 2014 के नियम 6 तहत पढ़ा जाए जिसके अनुसार लेखापरीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति एवं शेयरधारक संबंध समिति का गठन भी अनिवार्य नहीं है।

कॉरपोरेट गवर्नेंस

कंपनी कॉरपोरेट गवर्नेंस की वास्तविक भावना का पालन करती है और पारदर्शिता, जवाबदेही, संचालन संबंधी नैतिक प्रथाओं और पेशेवर प्रबंधन पर फोकस के साथ सर्वोत्तम शासन प्रथाओं को लागू करती है।

निदेशक मंडल

क. बोर्ड की संरचना

31 मार्च 2021 तक, आपकी कंपनी के बोर्ड में नौ (9) निदेशक हैं, यथा पाँच (5) पूर्णकालिक निदेशक (यानि प्रबंध निदेशक, निदेशक परियोजना, निदेशक वित्त, निदेशक चल स्टॉक, और निदेशक विद्युत् एवं प्रणाली) तथा रेल मंत्रालय के द्वारा तीन (3) मनोनीत निदेशक (अंशकालिक अध्यक्ष समेत) तथा गुजरात सरकार के द्वारा एक (1) मनोनीत निदेशक।

वर्ष की समाप्ति के बाद, 30 जून 2021 को सेवानिवृत्त हुए श्री अचल खरे की जगह 1 जुलाई 2021 को श्री सतीश चंद्र अग्निहोत्री ने कंपनी के बोर्ड में प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है।

ख. मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी

आपकी कंपनी के बोर्ड के द्वारा प्रबंध निदेशक, निदेशक परियोजना, निदेशक वित्त (एंड सीएफओ), निदेशक चल स्टॉक और निदेशक विद्युत् एवं प्रणाली तथा कंपनी सचिव को, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी घोषित किया गया है।

ग. निदेशकों का पारिश्रमिक

सरकारी कंपनी होने के कारण, आपकी कंपनी के पूर्ण कालिक निदेशक, सरकार की नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार, व्यावसायिक महंगाई भत्ता (आईडीए)/ केंद्रीय महंगाई भत्ता (सीडीए) वेतनमान के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं।

भारत सरकार द्वारा तथा शामिल होने वाले राज्य सरकारों (कंपनी के पेड-अप शेयर पूँजी में शेयर होने पर) के द्वारा नामित, मनोनीत निदेशकों को कंपनी में निदेशक की भूमिका निभाने के लिए किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं मिलता बल्कि उन्हें सरकारी अधिकारियों की तरह संबंधित सरकार (रों) से केंद्रीय महंगाई भत्ते (सी.डी.ए.) वेतनमान के तहत पारिश्रमिक दिया जाता है।

घ. बोर्ड की बैठकें और उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की चार (4) बैठकें यानि 23 जून 2020, 1 सितंबर 2020, 21 दिसंबर 2020, और 17 मार्च 2021 को हुई हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठक एवं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	बोर्ड की बैठकों की संख्या		अंतिम एजीएम में उपस्थिति (28.09.2020 को आयोजित)
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति	
1.	श्री सुनीत शर्मा (डीआईएन- 08596091) अध्यक्ष और सीईओ, रेलवे बोर्ड	अंशकालिक अध्यक्ष (भारत सरकार द्वारा मनोनीत) (19 जनवरी 2021 से प्रभावी)	1	1	लागू नहीं
2.	श्री अचल खरे (डीआईएन- 07576351)	प्रबंध निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक)	4	4	हां
3.	श्री राजेंद्र प्रसाद (डीआईएन- 08006234)	निदेशक परियोजना (पूर्णकालिक निदेशक)	4	4	हां
4.	श्री अरुण बिजलवान (डीआईएन- 08012372)	निदेशक वित्त (पूर्णकालिक निदेशक)	4	4	हां
5.	श्री विजय कुमार (डीआईएन- 08205585)	निदेशक चल स्टॉक (पूर्णकालिक निदेशक)	4	4	हां

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	बोर्ड की बैठकों की संख्या		अंतिम एजीएम में उपस्थिति (28.09.2020 को आयोजित)
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति	
6.	श्री संदीप कुमार (डीआईएन- 08206781)	निदेशक विद्युत एवं प्रणाली (पूर्णकालिक निदेशक)	4	4	हां
7.	श्री रविंद्र नाथ सिंह (डीआईएन- 08488013), प्रधान कार्यकारी निदेशक/इंफ्रा, रेलवे बोर्ड	अंशकालिक निदेशक (भारत सरकार द्वारा मनोनीत)	4	4	हां
8.	सुश्री अंजू रंजन (डीआईएन- 06681154), कार्यकारी निदेशक (वित्त) / एक्स-I, रेलवे बोर्ड	अंशकालिक निदेशक (भारत सरकार द्वारा मनोनीत)	4	4	हां
9.	श्री प्रभातकुमार रमनलाल पटेलिया (डीआईएन- 06480313) मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग) एवं अपर. सचिव, सड़क एवं भवन विभाग, गुजरात सरकार	अंशकालिक निदेशक (गुजरात सरकार द्वारा मनोनीत)	4	4	हां
10.	श्री विनोद कुमार यादव (डीआईएन- 08346269) सीईओ और अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड	अंशकालिक अध्यक्ष (भारत सरकार द्वारा मनोनीत) [30 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2020 तक पद पर रहे]	3	3	हां

सुश्री सुमीता शर्मा, कंपनी सचिव, ने 2020-21 के दौरान आयोजित कंपनी की सभी बोर्ड बैठकों और एजीएम में हिस्सा लिया।

आचार संहिता एवं आचार नीति

आपकी कंपनी ने अपने कर्मचारियों, वरिष्ठ प्रबंधन और निदेशक मंडल के लिए, आचार संहिता एवं आचार नीति बनाई है, जो 1 जून 2018 से प्रभावी है तथा जो काम से जुड़े मुद्दों से निपटने और कर्मचारियों के आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन संबंधी दुविधाओं से निपटने के लिए मार्गदर्शन देती है।

निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन दल ने, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए उक्त आचार संहिता के अनुपालन की अपनी पुष्टि प्रदान की है।

वार्षिक आम बैठकें

क. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, कंपनी की चौथी वार्षिक आम बैठक का आयोजन 28 सितंबर 2020 को दोपहर 1200 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था।

ख. 2020-21 के लिए, कंपनी की प्रस्तावित 5वीं एजीएम का आयोजन निम्न विवरण के साथ नियत किया गया है:

दिन - मंगलवार

तारीख- 16 नवंबर 2021

समय - 1630 बजे

स्थान - वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए

कंपनी की वेबसाइट

कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट www.nhsrcl.in है। व्यवहार्यता रिपोर्ट, परियोजना की स्थिति सहित परियोजना के तकनीकी विवरण, एस.आई.ए. / आर.ए.पी. तथा आई.पी.पी. रिपोर्ट, निविदाएं, विभिन्न रिक्तियां एवं उनके लिए की गई भर्ती परीक्षाओं का परिणाम, महाराष्ट्र, गुजरात एवं दादर और नगर हवेली के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजा आदि समेत कंपनी से संबंधित सभी प्रमुख जानकारियाँ आपकी कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर विभिन्न भाषाओं में (अंग्रेजी भाषा के अलावा) हिंदी, गुजराती, मराठी और जापानी भाषा में उपलब्ध हैं।

कंपनी की वार्षिक विवरणी निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है - https://www.nhsrcl.in/hi/about-us/annual-report

लेखा परीक्षक

क. वैधानिक लेखा परीक्षक

मैसर्स एकेजीवीजी एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने 2020-21 के लिए कंपनी का वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

ख. सचिवीय लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार 2020-21 के लिए प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव श्री अनिल आनंद को कंपनी का सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

ग. आंतरिक लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत 2020-21 के लिए, मैसर्स के.जी. सोमानी एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को कंपनी का आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी का निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि:

i) वार्षिक लेखों की तैयारी में, सामग्री विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है।

ii) ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है और लगातार उनका प्रयोग किया जाता है और उचित एवं दूरदर्शी फैसले किए गए और अनुमान लगाए गए हैं ताकि वित्त वर्ष के समाप्त होने पर कंपनी के मामलों और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ-हानि पर उचित एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान किया जा सके।

iii) कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा करने एवं धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनकी पहचान करने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव में उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

iv) जारी व्यवसाय के आधार पर वार्षिक लेखांकन किया गया है। और

v) लागू होने वाले सभी कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने लिए उचित प्रणाली बनाई गई थी और ये प्रणालियां पर्याप्त थीं एवं प्रभावशाली ढंग से काम कर रही है।

अन्य प्रासंगिक दस्तावेज

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप नियमों के साथ पठित, प्रासंगिक अनुलग्नकों के साथ निम्नलिखित रिपोर्ट, दस्तावेज इस रिपोर्ट का अभिन्न हिस्सा हैं और इन्हें यहां परिशिष्टों के रूप में क्रमांकित किया गया है :

1. सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट — **परिशिष्ट - I**
2. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट — **परिशिष्ट - II**

आभार

हम कंपनी का लगातार समर्थन करने के लिए भारत सरकार, जापान सरकार, रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों; महाराष्ट्र सरकार, गुजरात सरकार, भारत एवं जापान के राजदूतों एवं दूतावासों; पासपोर्ट प्राधिकरण; नीति आयोग, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), जेईटीआरओ के अधिकारियों, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए), जापान इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स (जेआईसी), जेआर ईस्ट के अधिकारियों; भारतीय रिजर्व बैंक, हमारे बैंक कर्मियों एवं विभिन्न मीडिया चैनलों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

हम कंपनी के कर्मचारियों की कंपनी के प्रति समर्पण एवं ईमानदारी की भावना के साथ काम करने की भी सराहना करते हैं।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

(अरुण बिजलवान)	**(सतीश चंद्र अग्निहोत्री)**
निदेशक वित्त	**प्रबंध निदेशक**
[डीआईएन: 08012372]	**[डीआईएन: 01637856]**

दिनांक : 31.08.2021
स्थान : नई दिल्ली

परिशिष्ट - I

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा -

एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई के रूप में, कंपनी समाज के उत्थान और बेहतरी के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की अवधारणा के संदर्भ में प्रतिबद्ध है। कंपनी अपने कर्मचारियों / भागीदारों की भागीदारी के ज़रिए नैतिकता, समावेशिता, पारदर्शिता और शासन हेतु उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से अपने व्यवसाय का संचालन करने का प्रयास करती है। कंपनी देश में सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम करती है।

सीएसआर नीति का उद्देश्य हितधारकों की उम्मीदों के अनुसार, परिणाम-आधारित और प्रभाव-उन्मुख तरीके से कार्य करना है। समाज के वंचित, उपेक्षित और कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी, और जहां कंपनी संचालित हो रही है या उससे सटे जिलों के निवासियों के उत्थान को प्राथमिकता दी जाएगी।

कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों के चयन हेतु एक प्रणाली तय की है, जिससे क्षेत्रीय स्तर के कार्यालय हितधारकों के साथ बातचीत के पश्चात, स्थानीय जरूरतों के आधार पर सीएसआर प्रस्ताव की सिफारिश कर सकते हैं।

2. सीएसआर समिति की संरचना -

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने एक बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति (एक नामित निदेशक की अध्यक्षता में) का गठन किया है। उक्त समिति को एक नोडल अधिकारी और उनकी टीम द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। सीएसआर समिति कंपनी के सीएसआर एजेंडा की निगरानी और कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान यानी 26 अगस्त 2020 और 30 मार्च 2021 को सीएसआर समिति की दो (2) बार बैठक हुई। 2020-21 के दौरान उपस्थिति के विवरण के साथ सीएसआर समिति की संरचना निम्नवत् है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशक पद की प्रकृति	सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	
			वर्ष के दौरान आयोजित बैठक	भागीदार
1	अंजू रंजन, अध्यक्ष	नामित निदेशक (भारत सरकार द्वारा मनोनीत)	2	2

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशक पद की प्रकृति	सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	
			वर्ष के दौरान आयोजित बैठक	भागीदार
2	राजेन्द्र प्रसाद, सदस्य	निदेशक परियोजना (पूर्ण-कालिक निदेशक)	2	2
3	अरुण बिजलवान, सदस्य	निदेशक वित्त (पूर्ण-कालिक निदेशक)	2	2

अनुमोदित सीएसआर प्रस्तावों के कार्यान्वयन की समीक्षा एवं निगरानी के साथ-साथ संचालन/जांच करने की जिम्मेदारी श्री अंजुम परवेज, पीईडी/पी एंड डी, की है, जो सीएसआर के नोडल अधिकारी हैं।

नोडल अधिकारी और कंपनी सचिव दोनों ने 2020-21 के दौरान आयोजित उक्त दोनों सीएसआर समिति की बैठकों में भाग लिया है।

3. सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं की जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर दी जाती है।

वेब-लिंक इस प्रकार हैं:

क) सीएसआर समिति की संरचना - https://nhsrcl.in/hi/about-us/latest-social-initiatives

ख) जून 2019 से, कंपनी ने अपनी सीएसआर नीति तय की है (यह कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार तैयार की गई)।

उक्त सीएसआर नीति (समय-समय पर संशोधित की जाती है) को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट - https://nhsrcl.in/sites/default/files/2019-09/CSR-Policy_0.pdf पर प्रदर्शित किया गया है।

ग) कंपनी द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाएं - https://nhsrcl.in/hi/about-us/latest-social-initiatives

4. 2020-21 के दौरान कोई भी सीएसआर परियोजना शुरू या पूरी नहीं हुई है जिसके लिए कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8(3) के अनुसरण में प्रभाव आंकलन रिपोर्ट लागू है।

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7(3) के अनुसरण में किसी भी राशि को समायोजित करने की आवश्यकता नहीं है।

6. विगत तीन वित्तीय वर्षों [यानि 2017-18, 2018-19, और 2019-20] के दौरान कंपनी का औसत शुद्ध लाभ धारा 135(5) के अनुसार 5,373.40 लाख रु. है।

7. (क) वित्तीय वर्ष 2020-21 में कंपनी का **सीएसआर बजट** धारा 135(5) के अनुसार 107.47 लाख रुपये (जो कंपनी के औसत शुद्ध लाभ यानी 5,373.40 लाख रुपये का 2% है) है।

इसके अलावा, 2019-20 के बजट आवंटन की तुलना में व्यय में कमी के कारण 2019-20 से 45,65,352/- रुपये की राशि को आगे बढ़ाया गया था।

वर्ष के दौरान कुल 1,53,12,352/- रुपये की राशि खर्च की गई है।

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों का **कोई अधिशेष नहीं है।**

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए कोई राशि निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क + 7ख - 7ग) 1,53,12,352/- रुपये है।

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए **खर्च या अव्ययित सीएसआर राशि -**

वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कुल राशि (रुपये में)	अव्ययित राशि				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी राशि का हस्तांतरण		
	राशि (रुपये में)	स्थानांतरण की तिथि	फंड का नाम	राशि (रुपये में)	स्थानांतरण की तिथि
1,53,12,352	--	--	--	--	--

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए **जारी परियोजनाओं** के प्रति व्यय की गई **सीएसआर राशि** का विवरण - शून्य

(ग) वित्तीय वर्ष में **जारी परियोजनाओं के अलावा** अन्य पर खर्च की गई **सीएसआर राशि का विवरण**:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान (जिला और राज्य)	परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का प्रकार-प्रत्यक्ष (हाँ/नही)	कार्यान्वयन का प्रकार - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से (नाम / सीएसआर पंजीकरण संख्या)
1.	मई 2020 में पीएम केयर्स फंड में योगदान (दो किस्तों में)	पीएम केयर्स या किसी अन्य फंड में योगदान [क्र. सं. (viii)]	हां	राष्ट्रीय स्तर	21,61,509	हां	प्रयोज्य नहीं
2.	मास्क, साबुन और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री का वितरण।	स्वास्थ्य देखभाल का संवर्धन [क्र. सं. (i)]	हां	सूरत, गुजरात	2,00,083	हां	प्रयोज्य नहीं
3.	आवश्यक दवाओं, मास्क और अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण।	स्वास्थ्य देखभाल का संवर्धन [क्र. सं. (i)]	हां	वडोदरा, गुजरात	4,99,998	हां	प्रयोज्य नहीं
4.	मास्क, साबुन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण।	स्वास्थ्य देखभाल का संवर्धन [क्र. सं. (i)]	हां	अहमदाबाद, गुजरात	67,033	हां	प्रयोज्य नहीं
5.	चिकित्सा उपकरणों, मास्क, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) आदि के लिए संवितरण।	स्वास्थ्य देखभाल का संवर्धन [क्र. सं. (i)]	हां	अहमदाबाद, गुजरात	4,00,000	नहीं	कलेक्टर अहमदाबाद, आपदा शाखा के माध्यम से
6.	कोविड-19 अस्पताल में इस्तेमाल के लिए जेनरेटर, बेड आदि के लिए संवितरण।	स्वास्थ्य देखभाल का संवर्धन [क्र. सं. (i)]	हां	पालघर, महाराष्ट्र	10,00,000	नहीं	डिप्टी कलक्टर पुनर्वास पालघर के माध्यम से
7.	निम्नलिखित निधियों में योगदान:	निधियों में योगदान:	हां	राष्ट्रीय स्तर		हां	प्रयोज्य नहीं
	क) स्वच्छ गंगा कोष	[क्र. सं. (iv)]			27,45,932		
	ख) पीएम केयर्स फंड	[क्र. सं. (viii)]			27,45,933		
	ग) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	[क्र. सं. (viii)]			27,45,932		
	घ) स्वच्छ भारत कोष	[क्र. सं. (i)]			27,45,932		
				कुल	1,53,12,352		

(घ) प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशि - शून्य

(ङ) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि - प्रयोज्य नहीं

(च) वित्तीय वर्ष 2020-21 (8ख+8ग+8घ+8ङ) के लिए खर्च की गई कुल राशि - रु. 1,53,12,352/-

(छ) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि - शून्य

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण --

क्र. सं.	गत वित्त वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में स्थानांतरित राशि, यदि कोई हो,			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि। (रुपये में)
				फंड का नाम	राशि (रुपये में)	स्थानांतरण की तिथि	
1.	2019-20	--	45,65,352	--	--	--	--
	कुल		**45,65,352**				--

(ख) **पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की जारी परियोजनाओं के लिए इस वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का** विवरण - प्रयोज्य नहीं

10. पूंजीगत संपत्ति का सृजन या अधिग्रहण - वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के ज़रिए इस तरह सृजित या अधिग्रहण की गई संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (संपत्ति-वार विवरण)

(क) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) के सृजन या अधिग्रहण की तिथि - शून्य

(ख) पूंजीगत संपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि - शून्य

(ग) इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि - प्रयोज्य नहीं

(घ) सृजित या अधिग्रहण की गई पूंजीगत संपत्ति (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) का विवरण - प्रयोज्य नहीं

11. कारण, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है - प्रयोज्य नहीं

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(अरुण बिजलवान)	(राजेन्द्र प्रसाद)	(अंजू रंजन)	(सतीश चंद्र अग्निहोत्री)
निदेशक वित्त एवं सदस्य, सीएसआर समिति	निदेशक परियोजना एवं सदस्य, सीएसआर समिति	नामित निदेशक एवं अध्यक्ष, सीएसआर समिति	प्रबंध निदेशक
[डीआईएन: 08012372]	[डीआईएन: 08006234]	[डीआईएन: 06681154]	[डीआईएन: 01637856]

दिनांक : 31.08.2021
स्थान : नई दिल्ली

परिशिष्ट - II

सीएस अनिल आनंद

(कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस)

प्रपत्र सं. एमआर-**3**

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

***31* मार्च, *2021* को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए**

[*कंपनी अधिनियम*, 2013 *की धारा* 204(1) *और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम*, 2014 *के नियम संख्या* 9 *के अनुसार]*

सेवा में,
सदस्यगण,
नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
दूसरी मंजिल, एशिया भवन
मार्ग सं. **205,** सेक्टर-**9**
द्वारका, दिल्ली-110077

हमने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीआईएन: U60200DL2016GOI291002) (इसके पश्चात् कंपनी के रुप में उद्धृत किया जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन एवं सर्वोत्तम कॉर्पोरेट प्रशासन के अनुपालन का सचिवीय लेखा परीक्षण किया है। सचिवीय लेखा परीक्षण इस संदर्भ से आयोजित किया गया था कि, जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का आंकलन करने और इस पर अपनी राय व्यक्त करने का उचित आधार मिल सके।

कंपनी की बही, कागजात, कार्यवृत्त बही, प्रपत्रों, कंपनी के फॉर्म और दाखिल रिटर्न और अनुरक्षित किए गए अन्य रिकॉर्ड और साथ ही कंपनी, इसके अधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्द्वारा सूचित करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की अवधि के संदर्भ में होने वाली लेखापरीक्षा के दौरान यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कंपनी में उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र मौजूद हैं:

हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा दर्ज की गई बही, कागजात, कार्यवृत्त बही, प्रपत्रों और दाखिल किए गए रिटर्न और अन्य दस्तावेजों की जांच निम्न प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके तहत बनाए गए नियम;

351, प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश के पास, नई दिल्ली - 110 065
ईमेल: csanilanand96@gmail.com फोन: +91 9873925927

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने उक्त अधिनियमों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के प्रावधानों का पूरी तरह से अनुपालन किया है।

हम आगे सूचित करते हैं कि,

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निदेशकों की उचित संख्या को ध्यान में रखते हुए विधिवत किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए किए गए थे।

बोर्ड/समिति की बैठकों का समय तय करने हेतु सभी निदेशकों को सूचित किया गया है, वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठक आयोजित करने के संदर्भ में निदेशकों को कम से कम सात दिन पूर्व एजेंडा और एजेंडे पर विस्तृत नोट्स भेजे गए थे, और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर और जानकारी व स्पष्टीकरण देने और बैठक में सार्थक भागीदारी हेतु एक प्रणाली बनाई गई है।

अध्यक्ष द्वारा विधिवत रिकॉर्ड और हस्ताक्षरित बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, बोर्ड के सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए थे और किसी तरह की असहमति को दर्ज नहीं किया गया है।

हम आगे सूचित करते हैं कि,

i. लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी तथा अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं मौजूद हैं, और

ii. लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, उक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों का अनुपालन करने में कंपनी के मामलों पर प्रभाव डालने वाली कोई भी विशिष्ट घटना/कार्रवाई नहीं हुई है।

इस रिपोर्ट को हमारे इसी तिथि को जारी पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो "अनुलग्नक क" के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

सीएस अनिल आनंद
एसीएस: 10328, सीपी सं: 11295
यूडीआईएन: A010328C000864676

दिनांक: 31.08.2021
स्थान: नई दिल्ली

सीएस अनिल आनंद

(कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस)

अनुलग्नक-क

सेवा में,

सदस्यगण,

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

दूसरी मंजिल, एशिया भवन

मार्ग सं. **205,** सेक्टर-**9**

द्वारका, दिल्ली-110077

इस पत्र के साथ इसी तिथि की जारी हमारी रिपोर्ट भी पढ़ी जानी है।

प्रबंधन की जिम्मेदारी

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी यह है कि मैं अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर अपनी राय व्यक्त करूं।

सचिवीय लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

2. हमने सचिवीय अभिलेखों की यथार्थता को लेकर आश्वास्त होने के लिए लेखापरीक्षा की उपयुक्त पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में दर्ज तथ्य सही हैं, इसका सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। मेरा माननाहै कि मैंने जिन प्रक्रियाओं और पद्धतियों का पालन किया है, वे मेरी राय को उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बही की यथार्थता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है।
4. जहां कहीं भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और कार्यक्रमों आदि के बारे में प्रबंधन से अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. हम आगे रिपोर्ट करते हैं, कि कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों के अनुपालन की समीक्षा इस लेखापरीक्षा में नहीं की गई है क्योंकि वे वैधानिक वित्तीय लेखापरीक्षा और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन हैं।
6. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण द्वारा प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।

अस्वीकरण

7. सचिवीय लेखा परीक्षा न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता और न ही कंपनी की दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है, जिसके तहत प्रबंधन ने कंपनी का संचालन किया है।

सीएस अनिल आनंद

एसीएस: 10328, सीपी सं: 11295

यूडीआईएन: A010328C000864676

दिनांक: 31.08.2021

स्थान: नई दिल्ली

351, प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश के पास, नई दिल्ली - 110 065

ईमेल: csanilanand96@gmail.com फोन: +91 9873925927

वित्तीय विवरण

एकेजीवीजी एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकांउटेंट

भारतीय लेखा मानकों (इंड-एएस) वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

मैसर्स नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सभी सदस्यगण

राय

हमने **मैसर्स नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी")** के संलग्नित इंड-एएस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें **31 मार्च, 2021** तक की स्थिति के अनुसार, तुलन पत्र (बैलेंस शीट), लाभ एवं हानि विवरण, उस तारीख को समाप्त हो रही अवधि के लिए साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन के विवरण और नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार और अन्य स्पष्टकारक जानकारी सहित वित्तीय विवरणों के संबंध में टिप्पणियां शामिल हैं। (इसके पश्चात् "इंड-एएस वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित है)

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त इंड-एएस वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के तहत अपेक्षित जानकारी और भारत में कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत स्वीकार्य भारतीय लेखा मानकों, संशोधित, ("इंड एएस") के अनुरूप दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के कार्यों की स्थिति, इसके लाभ एवं हानि (अन्य विस्तृत आय सहित) और उस तारीख को समाप्त हो रही अवधि के लिए साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन और इसके नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) के बारे में सत्य एवं स्पष्ट तथ्य प्रकट करते हैं।

राय का आधार

हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी' खंड में की गई है। हम, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई नैतिक संहिता के साथ-साथ नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी से स्वतंत्र है, जो कि कंपनी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत हमारे द्वारा की गई वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए संगत है और हमने, इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को निर्वहन किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट से अलग सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचनाओं में प्रबंधन चर्चा व विश्लेषण में समावेशित जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित बोर्ड की रिपोर्ट व शेयरधारकों की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरण पर हमारी राय में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम इस पर किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते।

वितीय विवरणों के लेखा परीक्षण के संबंध में हमारा दायित्व अन्य जानकारियों को पढ़ना है और ऐसा करते समय यह ध्यान रखना है कि क्या अन्य सूचनाएं वित्तीय विवरणों या लेखा परीक्षण के दौरान हमें प्राप्त जानकारी के साथ असंगत हैं या फिर यह कोई गलत बयानी है।

यदि हमारे कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अन्य सूचनाओं के संदर्भ में गलत बयानी हुई है, तो हमें अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य को दर्ज करना होता है। इस संदर्भ में रिपोर्ट करने लायक हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि उक्त सूचना लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जानी है।

इंड-एएस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और प्रशासन प्रभारियों के दायित्व

कम्पनी का निदेशक मंडल कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के प्रति उत्तरदायी हैं। ये मामले कम्पनी की वित्तीय स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष जानकारी देने, उसके वित्तीय प्रदर्शन (अन्य व्यापक आय सहित), अधिनियम के अनुच्छेद 133 के तहत इंड-एएस अधिनियम और कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित, जैसा कि संशोधित है, सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप कम्पनी के शेयरों और नकद प्रवाह में बदलाव से संबंधित हैं।

इस दायित्व में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन व उनको लागू करना; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव शामिल है, जो इंड-एएस वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति हेतु प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्यान्वित थे, जो वास्तविक और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं तथा गलत बयानी से मुक्त, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या भूल के कारण, वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित है।

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के लिए लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य प्राप्त मत सहित लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना और इस बात की ठोस आश्वस्ति पाना है कि वितीय विवरण किसी भी प्रकार की गलत बयानी से मुक्त हो, चाहे यह किसी धोखाधड़ी के कारण हुआ हो या किसी भूल के कारण। तर्कसम्मत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं है कि मानक लेखा परीक्षण के अनुरूप किया गया लेखा परीक्षण हमेशा भौतिक गलत बयानी का पता लगा लेगा। इस प्रकार की

गलत बयानी, धोखाधड़ी या किसी भूल के कारण हो सकती है। लेकिन, इन्हें असर डालने वाला तभी माना जाएगा, जब एकल या सामूहिक रूप से इनसे उपयोगकर्ताओं के आर्थिक फैसलों पर असर पड़ने की आशंका हो।

मानक लेखांकन के अनुरूप लेखा परीक्षण में हमने पेशेगत निर्णय लिए हैं और पूरे परीक्षण के दौरान कड़ी निगरानी बनाए रखी है। हमने ये कदम भी उठाए हैं :

- वित्तीय विवरणों के असर डालने वाले गलत बयानों को पहचानने और उनके आंकलन का प्रयास किया है। चाहे ये धोखाधड़ी के कारण हुए हो या भूल के कारण। इन जोखिमों से निपटने वाली लेखा परीक्षण प्रक्रिया तय की है और उसे अपनाया है तथा हमारे मत का समुचित आधार उपलब्ध कराने वाले लेखा परीक्षण साक्ष्य हासिल किए हैं। धोखाधड़ी के कारण गलत बयानीका पता न चल पाने का जोखिम के कारण हुई गलत बयानी के जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी के पीछे साठगांठ, जालसाज़ी, जानबूझ कर की गई त्रुटि, गलत प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन कारण हो सकते हैं।
- परिस्थितियों के उपयोग से लेखा परीक्षण प्रक्रिया तय करने के उद्देश्य से परीक्षण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की जानकारी हासिल करना। अधिनियम के अनुच्छेद 143(3)(i) के तहत हम यह स्पष्ट करने के लिए भी उत्तरदायी है कि क्या कम्पनी के पास अपनी पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और यदि हां, तो इसकी संचालन प्रभावकारिता क्या है।
- प्रयुक्त लेखा परीक्षण नीतियों की उपयुक्तता के आंकलन, और लेखा परीक्षण अनुमानों की तर्कसंगतता और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित स्पष्टीकरण के मूल्यांकन के लिए भी कदम उठाए गए हैं।
- लेखा परीक्षण के लिए प्रबंधन द्वारा आधारों के उपयोग की उपयुक्तता तथा प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्यों के आधार पर कम्पनी के जारी रहने की क्षमता पर संदेह खड़ा करने वाली अनिश्चितता के बारे में निष्कर्ष निकालना। यदि हम पाते हैं कि कोई वस्तुगत अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें लेखा परीक्षक रिपोर्ट में वितीय विवरण के संबंधित अंश की ओर अथवा यदि ऐसे खुलासे हमारा मत बदलने में अपर्याप्त हैं, तो इस ओर भी ध्यान दिलाना होगा। हमारे निष्कर्ष लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तक प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। हालांकि भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां कम्पनी को जारी रखे जाने से रोक सकती हैं।
- स्पष्टीकरण सहित समग्र वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन, और इस बात का भी आंकलन करना कि क्या वित्तीय विवरण निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए लेनदेन और अन्य मामलों को दर्शाता हैं या नहीं।

हम लेखा परीक्षण के नियोजित दायरे और परीक्षण के दौरान सामने आई आंतरिक नियंत्रण सबंधी बड़ी खामी सहित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षण निष्कर्षों के बारे में उन लोगों से सम्पर्क करते हैं, जिन्हें इस संबंध में प्रशासन का जिम्मा दिया गया था।

हम प्रशासन से संबंधित लोगों को एक विवरणी भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने संबंधित नीतिगत आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और हमारी स्वतंत्रता पर असर डालने वाले अन्य संबंधों और मामलों तया सुरक्षा उपायों से उन्हें अवगत करा दिया है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. हमने धारा 143 की उप धारा (5) के निर्देशानुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अपेक्षित अनुपालन को **"अनुलग्नक-क"** में दिया है।

2. केंद्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा 11 के तहत जारी कम्पनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट आदेश, 2016 ("आदेश") की अपेक्षा अनुसार हमने आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में दर्शाए मामलों के बारे में लागू होने की सीमा तक, **"अनुलग्नक-ख"** में विवरणी दी है।

3. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि -

क) हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोतम जानकारी के अनुसार लेखा परीक्षण के लिए जरूरी थे।

ख) हमारे मत में कानून द्वारा अपेक्षित पर्याप्त लेखा परीक्षण पुस्तके कम्पनी के पास हैं, जैसा कि इन पुस्तकों के हमारे परीक्षण से प्रतीत होता है।

ग) रिपोर्ट में तुलनपत्रक, अन्य व्यापक आय सहित लाभ व हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह में परिवर्तन संबंधी मामले विवरणी लेखा पुस्तकों में उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुरूप हैं।

घ) हमारी राय में, उपरोक्त इंड-एएस वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों, इसके तहत जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़ा जाए, का अनुपालन करते हैं।

ङ) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, 'क्या कोई निदेशक, निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य है; के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर 463(ई) दिनांक 05.06.2015 के मद्देनजर कंपनी पर लागू नहीं है।

च) कम्पनी की वितीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रों की संचालन प्रभावकारिता के संदर्भ में **"अनुलग्नक-ग"** में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।

छ) अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए लागू नहीं हैं;

ज) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :

i. कंपनी का कोई भी कानूनी मामला लंबित नहीं है, जो इसकी वितीय स्थिति पर असर डाल सके;

ii. कंपनी के पास डरेव्हेटिव्स और अनुबंध सहित लंबी अवधि का कोई भी अनुबंध नहीं है, जिसके लिए किसी वस्तुगत हानि की आशंका हो।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी, जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षा कोष में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

एकेजीवीजी एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकांउटेंट
आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या: 018598N

अविनाश अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या: 501182
हस्ताक्षर का स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 31.08.2021
यूडीआईएन सं. - 21501182AAAAB05775

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक-क"

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" खंड के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के संदर्भ में अनुलग्नक।

क्रमांक सं.	दिशा निर्देश	लेखापरीक्षक के उत्तर
(i)	क्या कम्पनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के जरिए सभी लेनदेन की लेखांकन प्रक्रिया की उपयुक्त प्रणाली है? यदि हां, तो लेखे के साथ साथ वित्तीय पक्षों की प्रामाणिकता पर सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से अलग लेनदेन लेखांकन प्रक्रिया का प्रभाव, यदि कोई है, तो उल्लेख किया जा सकता है।	हमारे लेखापरीक्षा के दौरान, हमें ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला जिससे यह माना जाए कि आईटी प्रणाली के ज़रिए सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने हेतु कंपनी के पास प्रणाली मौजूद नहीं है। हमारे ऑडिट और प्रासंगिक अभिलेखों की जांच के आधार पर, हमारी राय में सभी लेखांकन लेनदेन का लेखा आईटी प्रणाली के ज़रिए किया जाता है और खातों की अखंडता पर इसके वित्तीय प्रभाव हमारे द्वारा नहीं पाया गया।
(ii)	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण का पुनर्गठन किया गया है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋण/माफी/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डाला गया है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का उचित विवरण दिया जाता है? (यदि ऋणदाता सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	वर्तमान में, कंपनी द्वारा कोई ऋण नहीं लिया गया है और इसलिए, पुनर्गठन, माफी या छूट या कर्ज या ऋण या ब्याज, आदि का कोई मामला नहीं है।
(iii)	क्या केंद्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/मिलने वाली निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? यदि नहीं, तो ऐसे मामलों का उल्लेख करें।	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान केंद्र/ राज्य एजेंसियों से किसी विशिष्ट योजना के लिए धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए , संवितरण के नियमों और शर्तों के अनुसार इस प्रकार प्राप्त निधियों के लेखांकन/उपयोग के लिए कोई प्रयोज्यता नहीं है।

एकेजीवीजी एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकांउटेंट
आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या: 018598N

अविनाश अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या: 501182
हस्ताक्षर का स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 31-08-2021
यूडीआईएन सं. - 21501182AAAAB05775

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक-ख"

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट 'अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकता पर रिपोर्ट' शीर्षक के तहत पैराग्राफ 2 के संदर्भ में अनुलग्नक:

1) (क) कंपनी ने परिमाणात्मक विवरण और अचल संपत्तियों की स्थिति समेत पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है;

(ख) कंपनी के पास चरणबद्ध तरीके से सभी अचल संपत्तियों को कवर करने हेतु सत्यापन का एक कार्यक्रम है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी संपत्ति की प्रकृति के संबंध में उचित है। कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान कुछ अचल संपत्तियों को प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया था। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन में कोई विषयगत विसंगतियां नहीं पाई गईं।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों और हमें प्रदान किए गए हस्तांतरण विलेख / पंजीकृत बिक्री विलेख के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में अर्जित कुल सकल ब्लॉक मूल्य और 41,675,620,034 रुपये के वाहक मूल्य के साथ निम्नलिखित भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिनका कंपनी के नाम पर पंजीकरण होना बाकी है:

1. गुजरात राज्य और दादरा नगर और हवेली में	
विवरण	**भूमि का अपंजीकृत क्षेत्र (हेक्टेयर में)**
सरकार के अलावा अन्य पक्षों से अधिग्रहित भूमि	546.442
सरकार/वन भूमि से अधिग्रहित भूमि	18.739
2. महाराष्ट्र राज्य में	
विवरण	**भूमि का अपंजीकृत क्षेत्र (हेक्टेयर में)**
सरकार के अलावा अन्य पक्षों से अधिग्रहित	3.925
सरकार/वन भूमि से अधिग्रहित भूमि	35.842

विभिन्न राज्यों में/ भारतीय रेलवे से लीज पर ली गई भूमि और भवनों की निम्नलिखित अचल संपत्तियों के संबंध में, कंपनी के नाम पर लीज एग्रीमेंट अभी तक पंजीकृत नहीं हैं।

1. गुजरात राज्य और दादरा नगर और हवेली में	
विवरण	**भूमि का अपंजीकृत क्षेत्र (हेक्टेयर में)**
सरकार/वन भूमि से अधिग्रहित भूमि	53.564
2. महाराष्ट्र राज्य में	
विवरण	**भूमि का अपंजीकृत क्षेत्र (हेक्टेयर में)**
सरकार/वन भूमि से अधिग्रहित भूमि	106.540

2) लेखा परीक्षा और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ii) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की जा रही है;

3) कंपनी ने अधिनियम की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पक्षों को सुरक्षित या असुरक्षित तरह का कोई भी ऋण नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (iii) (क) से (ग) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए उन पर टिप्पणी नहीं की जा रही है।

4) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया है या कोई गारंटी प्रदान नहीं की है या कोई सुरक्षा नहीं दी है या कोई निवेश नहीं किया है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 का प्रावधान है। इसलिए, आदेश का पैरा 3 (iv) लागू नहीं होता है।

5) कंपनी ने वर्ष के दौरान जमा स्वीकार नहीं किया है और 31 मार्च, 2021 तक कोई जमा स्वीकार नहीं किया है और इसलिए, आदेश के खंड 3 (v) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

6) केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की धारा (1) के तहत कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में लागत रिकॉर्ड की रखरखाव निर्धारित नहीं किया है।

7) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और खाते बही, और रिकॉर्ड्स की हमारी परीक्षा के आधार पर, कंपनी आमतौर पर भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सेवा कर, सामान और सेवा कर और उचित प्राधिकरणों के साथ किसी भी अन्य सांविधिक बकाये सहित निर्विवाद सांविधिक बकाया जमा करने में नियमित रही है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2021 को भुगतान योग्य होने की तिथि से 6 माह से अधिक की अवधि का कोई अविवादित सांविधिक बकाया नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार किसी भी विवाद के कारण आयकर, सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर का कोई बकाया नहीं है।

8) कंपनी ने बैंक या वित्तीय संस्थानों या सरकार से कोई भी ऋण नहीं लिया है और कोई भी डिबेंचर जारी नहीं किए हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (viii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं और इसलिए टिप्पणी नहीं की गई है।

9) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या ऋण उपकरणों और सावधि ऋण सहित अधिक सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से राशि नहीं ली है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ix) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं और इसलिए टिप्पणी नहीं की गई है।

10) लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर लेखा परीक्षण वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कम्पनी के किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा धोखाधड़ी का कोई मामला सामने नहीं आया या इसकी सूचना या रिपोर्ट नहीं मिली।

11) प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और अनुसूची V, सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी पर लागू नहीं है।

12) हमारी राय में, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए उन पर टिप्पणी नहीं की जा रही है।

13) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन अधिनियम की धारा 177 और 188 का अनुपालन करते हुए किया गया है, जहां कहीं भी लागू हो, और इस तरह के लेनदेन के विवरण का खुलासा इंड-एएस वित्तीय विवरण में किया गया है, जो लागू लेखा मानक द्वारा अपेक्षित है।

14) लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (xiv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए उन पर टिप्पणी नहीं की जा रही है।

15) लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने निदेशकों या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए उन पर टिप्पणी नहीं की जा रही है।

16) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-IA के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए, आदेश के खंड 3 (xvi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की जा रही है।

एकेजीवीजी एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकांउटेंट
आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या: 018598N

अविनाश अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या: 501182
हस्ताक्षर का स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 31.08.2021
यूडीआईएन सं. - 21501182AAAAB05775

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक-ग"

(नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 3 (एफ) के संदर्भ में अनुलग्नक)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतगर्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए **मैसर्स नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ("कंपनी")** के वित्तीय विवरणों के साथ कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-जोखा परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल वितीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वितीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के बारे में इंस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी 'गाइडेंस नोट' के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए, आंतरिक वित्तीय नियंत्रों की स्थापना और उन्हें बनाए रखने के प्रति जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में ऐसे समुचित आंतरिक वितीय नियंत्रण की रूपरेखा तय करना, उनका कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल है, जो इसके व्यवसाय के सुचारू और सक्षम संचालन सुनिश्चित करने के लिए लागू किए जा सके। इनमें कंपनी की नीतियों का अनुसरण, उसकी परिसम्पतियों का संरक्षण, धोखाधड़ी और जुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकार्डो की परिशुद्धता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय जानकारी समय पर तैयार करना भी शामिल है।

लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में राय जाहिर करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई) द्वारा 'वितीय रिपोटिंग पर आंतरिक वितीय नियंत्रणों' की लेखा परीक्षा के बारे में जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रों' की लेखा परीक्षा के लिए व्यवहार्य सीमा तक निर्धारित समझे गए, 'परामर्श टिप्पणी ("गाइडेंस नोट") और लेखांकन मानकों के अनुसार की है। ये दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू होते हैं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए हैं। ये मानक और गाइडस नोट यह अपेक्षा करते हैं कि हम उद्देश्यपरक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखा परीक्षण योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वितीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वितीय नियंत्रण कायम किए गए और बनाए रखे गए तथा सभी महत्वपूर्ण मामलों में संचालित किए गए।

हमारी लेखा-परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उसकी प्रचालनगत सक्षमता के बारे में लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की हमारी लेखा परीक्षा के अंतर्गत वितीय रिपोटिंग पर आंतरिक वितीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी खामी के जोखिम का आंकलन करना, और आंकलन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक

नियंत्रण की रूपरेखा और उसकी प्रचालनगत क्षमता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों के बारे में गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई हो, के जोखिम का आंकलन शामिल होता है।

हमारा विश्वास है कि हमें जो लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त हए, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वितीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

वितीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

किसी कंपनी की वितीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने और आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए तय की जाती है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो

(1) ऐसे रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हो, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन तथा उसकी स्थिति को सही-सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हों;

(2) इस आशय का युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करती हों कि उनके लेनदेन का रिकॉर्ड आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार, इंड-एएस वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए आवश्यक रूप से रखा गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कम्पनी प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार किए जा रहे हैं; और

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के ऐसे अनधिकृत अर्जन, इस्तेमाल या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त किया जा सके, जिनका वितीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला हो।

वितीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण के ओवरराइड या अनुचित प्रबंधन को ओवरराइड करने की संभावना, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री में किसी भी त्रुटि का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भावी अवधियों से संबंधित वितीय रिपोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रों के मूल्यांकन के निष्कर्ष इस जोखिम के अधीन होते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन, अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन में कमी के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं।

हमारी राय

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी विषयगत पहलुओं के संदर्भ में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर निर्देशित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचाराधीन कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2021 तक प्रभावी ढंग से परिचालन में थे।

एकेजीवीजी एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकांउटेंट
आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या: 018598N

अविनाश अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या: 501182
हस्ताक्षर का स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 31.08.2021
यूडीआईएन सं. - 21501182AAAAB05775

31 मार्च 2021 का तुलन-पत्र

राशि (रु. लाख में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
I.	**परिसंपत्तियां**			
1	**गैर-चालू परिसंपत्तियां**			
	(a) सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	3	5,55,879.31	3,53,956.33
	(b) जारी पूँजीगत कार्य	4	2,72,586.26	1,23,325.25
	(c) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	5	1,742.27	9,360.57
	(d) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	5.1	1,558.66	1,220.86
	(e) राइट-ऑफ़-यूज़ एसेट	5.2	2,311.98	729.65
	(f) वित्तीय परिसंपत्तियां	6		
	(i) ऋण	6.1	230.90	297.99
	(g) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	7	383.41	222.93
	(h) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	8	3,57,302.04	2,28,589.03
			11,91,994.83	7,17,702.61
2	**चालू परिसंपत्तियां**			
	(a) वित्तीय परिसंपत्तियां	9		
	(i) नकदी तथा नकदी समतुल्य	9.1	1,18,179.38	15,203.56
	(ii) उपर्युक्त (i) के अतिरिक्त बैंक शेष	9.2	-	53,000.00
	(iii) ऋण	9.3	500.56	344.57
	(iv) अन्य वित्तीय चालू परिसंपत्तियां	9.4	329.84	891.07
	(b) चालू-कर परिसंपत्तियां (निवल)	19	125.22	343.02
	(c) अन्य चालू परिसंपत्तियां	10	2,185.20	319.32
			1,21,320.20	70,101.54
	कुल परिसंपत्तियां		**13,13,315.03**	**7,87,804.15**
II.	**इक्विटी तथा दायित्व**			
1	**इक्विटी**			
	(a) इक्विटी शेयर पूँजी	11	9,58,000.00	7,58,000.00
	(b) अन्य इक्विटी	12	1,14,134.55	12,074.16
			10,72,134.55	7,70,074.16
2	**दायित्व**			
(i)	**गैर-चालू दायित्व**			
	(a) वित्तीय दायित्व	13		
	(i) अन्य	13.1	2,06,116.09	10,655.24
	(b) प्रावधान-गैर-चालू	14	480.63	310.41
	(c) अन्य गैर-चालू दायित्व	15	611.21	14.56
			2,07,207.93	10,980.21
(ii)	**चालू दायित्व**			
	(a) वित्तीय दायित्व	16		
	(i) अन्य	16.1	20,556.82	5,959.80
	(b) अन्य चालू दायित्व	17	13,240.77	604.20
	(c) प्रावधान -चालू	18	125.72	185.78
	(d) चालू-कर परिसंपत्तियां (निवल)	19	49.24	-
			33,972.55	6,749.78
	कुल इकिटी तथा दायित्व		**13,13,315.03**	**7,87,804.15**

सामान्य सूचना	1
प्रमुख लेखांकन नीतियों का सारांश	2
वित्तीय विवरण निर्मित करने वाले भाग के नोट	1 से 42

यह हमारे संलग्न अद्यतनीकृत प्रतिवेदन में सन्दर्भित तुलन पत्र है।

एकेजीवीजी एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स
एफआरएन: 018598N

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

साझेदार: अविनाश अग्रवाल	**सतीश चंद्र अग्निहोत्री**	**अरुण बिजलवान**	**सुमीता शर्मा**
सदस्यता सं.: 501182	**प्रबंध निदेशक**	**निदेशक वित्त एंड सीएफओ**	**कंपनी सचिव**
	डीआईएन: 01637856	**डीआईएन: 08012372**	**सदस्यता सं.: FCS5250**

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 31.08.2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि विवरण

राशि (रु. लाख में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
I.	प्रचालनों से राजस्व	-	-	-
II	अन्य आय	20	3,693.07	7,826.31
III	**कुल राजस्व (I+II)**		**3,693.07**	**7,826.31**
	व्यय			
	कर्मचारी लाभ व्यय	21	155.17	91.59
	वित्तीय लागत	22	1.44	5.85
	मूल्य ह्रास तथा परिशोधन व्यय	23	209.98	15.34
	अन्य व्यय	24	786.97	625.37
IV	**कुल व्यय (IV)**		**1,153.56**	**738.15**
V	**असाधारण मदों तथा कर पूर्व लाभ (III - IV)**		**2,539.51**	**7,088.16**
VI	असाधारण मदें		-	-
VII	**कर पूर्व लाभ (V - VI)**		**2,539.51**	**7,088.16**
VIII	कर व्यय:			
	(1) चालू कर	25	463.28	1,623.72
	(2) आस्थगित कर	25	(166.43)	(162.38)
IX	**चालू प्रचालनों से अवधि हेतु लाभ (हानि) (VII-VIII)**		**2,242.66**	**5,626.82**
X	असतत प्रचालनों से लाभ /(हानि)		-	-
XI	असतत प्रचालनों का कर व्यय		-	-
XII	असतत प्रचालनों से लाभ /(हानि) (X - XI)		-	-
XIII	**वर्ष हेतु लाभ (हानि) (IX + XII)**		**2,242.66**	**5,626.82**
XIV	**अन्य व्यापक आय**			
	A. (i) लाभ अथवा हानि में पुन: वर्गीकृत होने वाली मदें		-	-
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत किए जाएंगे		-	-
	B. (i) लाभ अथवा हानि में पुन: वर्गीकृत नहीं होने वाली मदें	26	23.69	9.35
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे	26	(5.96)	(2.35)
XV	**वर्ष हेतु कुल व्यापक आय (XIII+XIV) (अवधि हेतु लाभ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय)**		**2,260.39**	**5,633.82**
XVI	**प्रति इकिटी शेयर आय:**			
	(सतत प्रचालन हेतु)			
	(1) मूल (रु.में) (अंकित मूल्य रु 1,000 प्रति शेयर)	27	2.67	9.60
	(2) द्रवीकृत (रु.में) (अंकित मूल्य रु 1,000 प्रति शेयर)	27	2.66	9.60

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
XVII	**प्रति इकिटी शेयर आय:**			
	(असतत प्रचालनों हेतु)			
	(1) मूल (रु.में) (अंकित मूल्य रु 1,000 प्रति शेयर)		-	-
	(2) द्रवीकृत (रु.में) (अंकित मूल्य रु 1,000 प्रति शेयर)		-	-
XVIII	**प्रति इकिटी शेयर आय:**			
	(सतत तथा असतत प्रचालनों हेतु)			
	(1) मूल (रु.में) (अंकित मूल्य रु 1,000 प्रति शेयर)	27	2.67	9.60
	(2) द्रवीकृत (रु.में) (अंकित मूल्य रु 1,000 प्रति शेयर)	27	2.66	9.60

वित्तीय विवरण निर्मित करने वाले भाग के नोट 1 से 42

यह हमारे संलग्न अद्यतन प्रतिवेदन में सन्दर्भित लाभ तथा हानि विवरण है।

एकेजीवीजी एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स
एफआरएन: 018598N

साझेदार: अविनाश अग्रवाल
सदस्यता सं.: 501182

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

सतीश चंद्र अग्निहोत्री	अरुण बिजलवान	सुमीता शर्मा
प्रबंध निदेशक	निदेशक वित्त एंड सीएफओ	कंपनी सचिव
डीआईएन: 01637856	डीआईएन: 08012372	सदस्यता सं.: FCS5250

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 31.08.2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह का विवरण

राशि (रु. लाख में)

	विवरण		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
A.	**प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**			
	असाधारण मदों तथा कर पूर्व लाभ		**2,539.51**	**7,088.16**
	समायोजन **:-**			
	मूल्य ह्रास		209.98	15.34
	आयकर पर ब्याज		-	4.69
	ब्याज से आय		(3,410.03)	(7,789.11)
	अन्य व्यापक मदें		23.69	9.35
	लीज देयता पर ब्याज		278.38	105.99
	वित्तीय आस्तियों पर ब्याज से आय		(18.47)	(23.84)
	वित्तीय देनदारियों का परिशोधन		(58.09)	(10.19)
	सुरक्षा जमा पर ब्याज की समाप्ति		123.81	9.93
	उचित मूल्य समायोजन-सुरक्षा जमा		20.63	19.40
	प्रचालनात्मक पूँजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालनात्मक लाभ	**(1)**	**(290.59)**	**(570.28)**
	समायोजन :-			
	वित्तीय परिसम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)-अन्य		561.24	(59.67)
	अन्य चालू परिसम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)		(2,577.00)	672.27
	अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियों में कमी/ (वृद्धि)		18.45	23.71
	वित्तीय परिसम्पत्तियों के ऋण में कमी / (वृद्धि)		(194.20)	(231.59)
	वित्तीय दायितव में (कमी)/ वृद्धि-अन्य		23,772.71	(7,023.72)
	प्रावधानों में (कमी)/ वृद्धि		110.12	223.69
	अन्य चालू दायित्व में (कमी)/ वृद्धि		12,636.57	156.28
	अन्य गैर चालू दायित्व में (कमी) / वृद्धि		596.65	13.57
		(2)	**34,924.54**	**(6,225.46)**
	प्रचालनों से सृजित नगदी	**(1+2)**	**34,633.95**	**(6,795.74)**
	प्रदत्त आय कर		(196.23)	(1,746.59)
	प्रचालनात्मक गतिविधियों से सृजित कुल नकदी		**34,437.72**	**(8,542.33)**
B.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**			
	संपत्ति, संयन्त्र तथा उपकरणों एवं अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियों तथा सीडब्लयूआईपी की खरीद		(3,48,382.75)	(3,32,396.57)
	परियोजना कार्य एवं पूंजीगत वस्तुएँ हेतु पूँजी अग्रिम		(1,28,731.47)	(1,48,760.28)
	बैंक जमाओं में वृद्धि		53,000.00	(20,700.00)
	ब्याज से आय		4,158.61	8,936.57
	निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निबल नकदी		**(4,19,955.61)**	**(4,92,920.28)**

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
C. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
इक्विटी शेयर पूँजी के निर्गमन से कार्यवाहियाँ	2,00,000.00	4,52,500.00
शेयर अनुप्रयोग धन लम्बित आवंटन	1,00,000.00	-
शेयर निर्गमन व्यय	(240.00)	(467.50)
रेल मंत्रालय की ओर से ईएपी के लिए अग्रिम	1,90,000.00	10,000.00
लीज देयता पर ब्याज	(278.38)	(105.99)
लीज देयता पर भुगतान	(987.91)	(538.70)
वित्तीय गतिविधियों से सजित निवल नकदी	**4,88,493.71**	**4,61,387.81**
नकदी तथा नकदी समतुल्य में निबल वृद्धि / (कमी) (A+B+C)	**1,02,975.82**	**(40,074.80)**
प्रारम्भिक नकदी तथा नकदी समतुल्य	15,203.56	55,278.36
अन्तिम नकदी तथा नकदी समतुल्य	**1,18,179.38**	**15,203.56**
निम्नलिखित से निर्मित नकदी तथा नकदी समतुल्य:		
उपलब्ध मुद्रा	-	-
बैंक में शेष:		
– चालू खाता	8,381.70	2,213.08
– फ्लेक्सी खाते में	9,782.98	5,405.80
– तीन माह से कम मूल परिपक्वता सहित सावधि जमा	1,00,000.00	7,571.20
– अग्रदाय लेखा में	14.70	13.48
तुलन पत्र के अनुसार नकदी तथा नकदी समतुल्य	**1,18,179.38**	**15,203.56**

टिप्पणियाँ:

नकदी प्रवाह विवरण कारपोरेट मामले मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नकदी प्रवाह विवरण पर इंड एएस-7 में निर्धारित के अनुसार अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है। 31 मार्च 2021 के अनुसार वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों का समाधान नोट 28 (ii) में प्रस्तुत किया गया है।

यह हमारे अद्यतन संलग्न में सन्दर्भित नकदी प्रवाह का विवरण है।

एकेजीवीजी एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स
एफआरएन: 018598N

साझेदार: अविनाश अग्रवाल
सदस्यता सं.: 501182

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

सतीश चंद्र अग्निहोत्री	अरुण बिजलवान	सुमीता शर्मा
प्रबंध निदेशक	निदेशक वित्त एंड सीएफओ	कंपनी सचिव
डीआईएन: 01637856	डीआईएन: 08012372	सदस्यता सं.: FCS5250

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 31.08.2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण

A. इक्विटी शेयर पूँजी

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि (रु. लाख में)
1 अप्रैल, 2020 को शेष	7,58,00,000	7,58,000.00
वर्ष के दौरान शेयर पूँजी का निर्गमन	2,00,00,000	2,00,000.00
31 मार्च, 2021 को शेष	**9,58,00,000**	**9,58,000.00**

B. अन्य इक्विटी

राशि (रु. लाख में)

विवरण	आरक्षी एवं अधिशेष		शेयर अनुप्रयोग धन लम्बित आवंटन	कुल
	सामान्य आरक्षी	अनुरक्षित आय		
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	-	12,074.16	-	12,074.16
लेखांकन नीति में परिवर्तन अथवा अवधि पूर्व त्रुटियाँ	-		-	-
वर्ष के प्रारम्भ में पुन: कथित शेष	**-**	**12,074.16**	**-**	**12,074.16**
वर्ष हेतु लाभ	-	2,242.66	-	2,242.66
वर्ष हेतु अन्य व्यापक आय (निवल आय कर)	-	17.73	-	17.73
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय	**-**	**2,260.39**	**-**	**2,260.39**
अवधि के दौरान प्राप्त शेयर अनुप्रयोग धन	-	-	3,00,000.00	3,00,000.00
वर्ष के दौरान निर्गत शेयर	-	-	(2,00,000.00)	(2,00,000.00)
शेयर निर्गमन व्यय	-	(200.00)	-	(200.00)
वर्ष के अन्त में शेष	**-**	**14,134.55**	**1,00,000.00**	**1,14,134.55**

यह हमारे संलग्न अद्यतन प्रतिवेदन में सन्दर्भित इक्विटी में परिवर्तन का विवरण है।

एकेजीवीजी एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स
एफआरएन: 018598N

साझेदार: अविनाश अग्रवाल
सदस्यता सं.: 501182

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 31.08.2021

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

सतीश चंद्र अग्निहोत्री	अरुण बिजलवान	सुमीता शर्मा
प्रबंध निदेशक	निदेशक वित्त एंड सीएफओ	कंपनी सचिव
डीआईएन: 01637856	डीआईएन: 08012372	सदस्यता सं.: FCS5250

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण

A. इक्विटी शेयर पूँजी

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि (रु. लाख में)
1 अप्रैल, 2019 को शेष	2,45,50,000	2,45,500.00
वर्ष के दौरान शेयर पूँजी का निर्गमन	5,12,50,000	5,12,500.00
31 मार्च, 2020 को शेष	**7,58,00,000**	**7,58,000.00**

B. अन्य इक्विटी

राशि (रु. लाख में)

विवरण	आरक्षी एवं अधिशेष		शेयर अनुप्रयोग धन लम्बित आवंटन	कुल
	सामान्य आरक्षी	अनुरक्षित आय		
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	-	6,947.62	60,000.00	66,947.62
लेखांकन नीति में परिवर्तन अथवा अवधि पूर्व त्रुटियाँ	-	5.21	-	5.21
वर्ष के प्रारम्भ में पुन: कथित शेष	**-**	**6,952.83**	**60,000.00**	**66,952.83**
वर्ष हेतु लाभ	-	5,626.83	-	5,626.83
वर्ष हेतु अन्य व्यापक आय (निवल आय कर)	-	7.00	-	7.00
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय	**-**	**5,633.83**	**-**	**5,633.83**
अवधि के दौरान प्राप्त शेयर अनुप्रयोग धन	-	-	4,52,500.00	4,52,500.00
वर्ष के दौरान निर्गत शेयर	-	-	(5,12,500.00)	(5,12,500.00)
शेयर निर्गमन व्यय	-	(512.50)	-	(512.50)
वर्ष के अन्त में शेष	**-**	**12,074.16**	**-**	**12,074.16**

यह हमारे संलग्न अद्यतन प्रतिवेदन में सन्दर्भित इक्विटी में परिवर्तन का विवरण है।

एकेजीवीजी एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स
एफआरएन: 018598N

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

साझेदार: अविनाश अग्रवाल
सदस्यता सं.: 501182

सतीश चंद्र अग्निहोत्री
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 01637856

अरुण बिजलवान
निदेशक वित्त एंड सीएफओ
डीआईएन: 08012372

सुमीता शर्मा
कंपनी सचिव
सदस्यता सं.: FCS5250

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 31.08.2021

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियाँ (1-42)

1. सामान्य सूचना

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) भारत में अधिवासित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय द्वितीय तल, एशिया भवन, रोड सं. 205, सेक्टर9, द्वारका (दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली) नई दिल्ली-110077 है। यह कंपनी 12 फरवरी, 2016 को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत भारत में निगमित हुई थी। इसका उद्देश्य महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य के बीच हाई स्पीड रेल सेवाओं की योजना, रूपरेखा, विकास, निर्माण, प्रवर्तन, रखरखाव, प्रचालन तथा वित्त पोषण तथा / अथवा किसी अन्य क्षेत्र में, स्वयमेव अथवा अधिग्रहण द्वारा अथवा रेल मंत्रालय या भारत सरकार या ऐसे किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के अनुसार समस्त सहायक अवसंरचनात्मक सुविधाओं सहित किसी माध्यम या माध्यमों के संयोजन के नये ट्रांजिट रूट का निर्माण है।

2. महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

2.1 क) अनुपालन का विवरण

कंपनी के वित्तीय विवरण यथासमय संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इण्ड एएस) के अनुसार तैयार किये जा रहे हैं।

ख) मापन का आधार

वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित मदों को छोड़कर ऐतिहासिक लागत परिपाटी तथा उपचय आधार पर तैयार किया गया है जिन्हें प्रासंगिक भारतीय लेखांकन मानक द्वारा वांछित उचित मूल्य पर मापित किया गया है।

i. कुछ निश्चित वित्तीय परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों को उचित मूल्य पर मापित किया गया है (नोट सं. 2.21 पर वित्तीय विलेख से सम्बद्ध लेखांकन नीति का संदर्भ लें)

ii. परिभाषित लाभ योजना तथा योजना परिसम्पत्तियाँ।

ग) चालू बनाम गैर-चालू वर्गीकरण

कंपनी चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर बैलेंस शीट में संपत्ति एवं देनदारियों को प्रस्तुत करती है।

संपत्ति को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब वह हो: -

- सामान्य परिचालन चक्र में साधित होनी, या बेचने या उपभोग करने की अभिप्रेत;
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से संघटित;
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीनों के भीतर साधित होने की अपेक्षित है; या
- नकद या नकद समतुल्य जब तक कि रिपोर्टिंग की तारीख के कम से कम 12 महीनों बाद किसी दायित्व का आदान-प्रदान या उपयोग करने से प्रतिबंधित न हो।

अन्य सभी संपत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

देयता को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब वह हो: -

- सामान्य परिचालन चक्र में निपटारा होने के अपेक्षित;
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से संघटित;
- रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीने के भीतर निपटारा होने के कारण; या
- रिपोर्टिंग दिनांक के बाद कम से कम 12 महीने के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

अन्य सभी देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

आस्थगित कर संपत्ति और देनदारियों को गैर-चालू संपत्ति और देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

परिचालन चक्र:

परिचालन चक्र प्रसंस्करण हेतु संपत्ति के अधिग्रहण और नकद व नकद समतुल्य में उनकी वसूली के बीच का समय है। कंपनी ने अपने परिचालन चक्र को बारह महीनें तय किया है।

घ) आंकलन तथा निर्णय का उपयोग

इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु प्रबन्धन के लिए निर्णय, आंकलन तथा अभिधारणाएँ निर्मित करना अपेक्षित है जो वित्तीय विवरणों की तिथि पर लेखांकन नीतियों तथा परिसम्पत्तियों, दायित्वों, आकस्मिक परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों के प्रकटन और आय तथा व्ययों की प्रतिवेदित राशि को प्रभावित करते हैं। ऐसे अनुमानों के उदाहरणों में कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के तहत भावी दायित्व और सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के उपयोगी जीवन, कर्मचारी लाभ व्यय, प्रावधानों आदि का आंकलन सम्मिलित है। वास्तविक परिणाम इन आंकलन से भिन्न हो सकते हैं।

आंकलन तथा निहित अभिधारणाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इन आंकलन में परिवर्तनों के कारण भावी परिणामों में भिन्नता हो सकती है और वास्तविक परिणाम तथा आंकलन के मध्य के अन्तर को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणामों को ज्ञात / प्रकटित किया गया है।

वित्तीय विवरणों की समझ में वृद्धि के क्रम में, आंकलन के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के विषय में सूचना, वित्तीय विवरणों में चिन्हित राशियों पर सर्वाधिक प्रभाव डालने वाली लेखांकन नीतियों के प्रयोग में अनिश्चितता तथा महत्त्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित हैं:

- **सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण:** उपयोगी जीवन तथा अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा मूल्य ह्रास के साथ की जाती है। जीवनकाल भावी घटनाओं के पूर्वानुमान तथा ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित होता है।

- **प्रावधान:** तुलन पत्र की तिथि पर दायित्वों के समायोजन हेतु अनुमान के आधार पर प्रावधानों का निर्धारण किया जाता है।
- **आकस्मिक दायित्व / परिसम्पत्तियाँ:** प्रबन्धन के निर्णय पर आधारित आकस्मिक दायित्व/ परिसम्पत्तियों के प्रकटन की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर की जाती है और वर्तमान प्रबन्धकीय अनुमान को प्रदर्शित करने के लिए समायोजित की जाती हैं।
- **गैर वित्तीय परिसम्पतियों का क्षति परीक्षण:** सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की वसूली योग्य राशि तकनीकी विशेषज्ञों के अभिधारणा के निर्णय के आधार पर निर्धारित की जाती है।
- **आस्थगित कर परिसम्पतियों का अभिज्ञान:** आस्थगित कर सम्पत्तियों का अभिज्ञान भावी कर योग्य आय की सम्भाव्यता के आधार पर किया जाता है जिसके विरुद्ध आस्थगित कर का उपयोग किया जा सके।
- **रोजगार पश्चात लाभ:** रोजगार लाभ दायित्वों का मापन जीवनांकिक पूर्वानुमानों के आधार पर किया जाता है जिसमें मृत्युता तथा आहरण दर और छूट की दर पर भावी विकास से सम्बद्ध पूर्वानुमान, वेतन वृद्धि की दरें तथा मुद्रास्फीति दर शामिल हैं। कंपनी विचार करती है कि दायित्वों के मापन में प्रयुक्त पूर्वानुमान उचित तथा प्रलेखित हैं। किन्तु इन पूर्वानुमानों में कोई परिवर्तन होने से परिणामी गणनाओं पर तात्विक प्रभाव पड़ता है।

ड) सभी वित्तीय सूचनाएँ भारतीय रूपयों में प्रस्तुत की जाती हैं और अन्य रूप से कथित को छोड़कर समस्त मूल्य निकटतम लाख में प्रदर्शित किये जाते हैं।

राशियों को लाख रुपयों में प्रदर्शित किया गया है। यदि योग करने में कोई अनियमितता राउंड ऑफ (निकटतमीकरण) के कारण है तो इसे सुधारने की आवश्यकता नहीं होगी।

2.2 नकदी प्रवाह का विवरण

नकदी प्रवाह की गणना अप्रत्यक्ष विधि से की जाती है जिसके द्वारा गैर-नकदी प्रकृति के लेन-देनों के प्रभावों तथा विगत अथवा भावी नकदी प्राप्तियों या भुगतानों के किसी आस्थगित अदायगी या संग्रहण हेतु कर पूर्व लाभ/(हानि) को समायोजित किया जाता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश तथा वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाहों को उपलब्ध सूचना के आधार पर पृथक्कृत किया जाता है।

नकदी प्रवाह के विवरण में प्रस्तुतीकरण के उद्देश्य हेतु नकदी तथा नकदी समतुल्य के अन्तर्गत उपलब्ध नकदी, वित्तीय संस्थानों में आदेश पर धारित जमा, अन्य अल्पकालीन, तीन माह की मूल परिपक्वता वाले उच्च तरल निवेश जो ज्ञात नकद राशि में तुरन्त परिवर्तनीय हों और जिनके मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नगण्य हो तथा बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट को तुलन पत्र में वर्तमान दायित्वों में उधारियों के भीतर प्रदर्शित किया गया है।

2.3 प्रकार्यात्मक तथा प्रस्तुतीकरण मुद्रा

वित्तीय विवरणों में शामिल मदों को प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का उपयोग करके मापा जाता है जिसमें कंपनी प्रचालन (कार्यात्मक मुद्रा) करती है। वित्तीय विवरणों भारतीय रुपया (आईएनआर) में प्रदर्शित किया जाता है जो कि कंपनी की प्रकार्यात्मक तथा प्रस्तुतीकरण मुद्रा है।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा में किये गये लेन-देनों को लेन-देन के समय विद्यमान विनिमय दरों पर अभिलेखित किया जाता है।

विदेशी मुद्राओं में मौद्रिक मदों को प्रतिवेदन की तिथि के समय लागू दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

मौद्रिक मदों के समायोजन या परिवर्तन के कारण होने वाले विनिमय के अन्तर को लाभ या हानि के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

2.4 सम्पत्ति, संयन्त्र तथा उपकरण

(क) सम्पत्ति, संयन्त्र तथा उपकरणों की माप न्यून संचयी मूल्य ह्रास तथा खराबी क्षति की लागत पर, यदि कोई हो, की जाती है।

परिसम्पत्ति की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण हेतु प्रत्यक्ष आरोप्य लागत

ii. यदि अभिज्ञान मानदंडों की पूर्ति हो जाती है तो मदों के विनष्टीकरण और हटाने तथा उस साइट को पुनर्स्थापित करने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य जिस पर वह स्थित है।

(ख) यदि अभिज्ञान मानदंडों की पूर्ति हो जाती है तो प्रतिस्थापन की लागत, प्रमुख निरीक्षण, महत्वपूर्ण भागों की मरम्मत की लागत को पूंजीकृत किया जाता है।

(ग) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की किसी मद को निस्तारण के समय अथवा परिसम्पत्ति के सतत प्रयोग से कोई भावी आर्थिक लाभ होने की सम्भावना न हो तो इसे अमान्य कर दिया जाता है। सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की किसी मद का निस्तारण अथवा सेवामुक्ति से उत्पन्न किसी लाभ अथवा हानि को विक्रय कार्यवाहियों तथा परिसम्पत्ति की वाहक राशि के अन्तर के रूप में निर्धारित किया जाता है और इसे लाभ या हानि विवरण में स्थान दिया जाता है।

मूल्य ह्रास तथा ऋण परिशोधन

(क) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के मूल्यह्रास को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट के अनुसार उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) से प्रावधानित किया गया है।

(ख) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की किसी मद के प्रत्येक भाग को अलग-अलग मूल्यहासित किया जाता है, यदि उस मद की कुल लागत के सम्बन्ध में पुर्जे की लागत सार्थक है तथा उस पुर्जे का उपयोगी जीवन शेष परिसम्पत्ति के उपयोगी जीवन से भिन्न है।

(ग) कर्मचारियों को प्रदत्त परिसम्पत्ति

i. **कर्मचारियों को प्रदत्त परिसम्पत्ति:** मोबाइल फोन को छोड़कर, कर्मचारियों को प्रदत्त परिसम्पत्तियों एसएलएम आधार पर 3 साल की अवधि में मूल्यह्रासित किया गया है।

ii. **कर्मचारियों को प्रदत्त मोबाइल फोन:** कर्मचारियों को प्रदत्त परिसम्पत्तियों एसएलएम आधार पर 2 साल की अवधि में मूल्यह्रासित किया गया है।

iii. वापस न लेने के आधार पर कर्मचारियों को प्रदत्त ब्रीफ केस और लैंडलाइन उपकरण की लागत की प्रतिपूर्ति को भुगतान वर्ष में व्यय के रूप में प्रभारित किया गया है।

(घ) सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण के सार्थक मदों की चालू तथा तुलनात्मक अवधि हेतु परिसम्पतियों का आन्कलित उपयोगी जीवन (कर्मचारियों को दी गई परिसम्पतियों के अलावा) निम्नलिखित है:

फर्नीचर तथा फिक्सचर	10 वर्ष
ईडीपी परिसम्पत्तियाँ	3 वर्ष
कार्यालयी उपकरण	5 वर्ष
वाहन	8 वर्ष

(ङ) लीजहोल्ड इम्प्रूवमेंट्स (पट्टे की सम्पत्ति का निर्माण) उस महीने से पट्टे की अवधि में परिशोधित किए जाते हैं जिसमें इस तरह के सुधार को पूँजीकरण किया जाता है।

(च) मूल्यह्रास की विधियों, उपयोगी जीवन तथा अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर की गयी है।

2.5 अमूर्त परिसम्पत्तियाँ

1. प्रारंभिक मान्यता और माप

एक अमूर्त परिसम्पत्ति को तभी और केवल तभी मान्यता दी जाती है जहाँ यह सम्भावना हो कि भावी आर्थिक लाभ जो संपत्ति के लिए माना सकता है कंपनी की ओर प्रवाहित होगा और परिसम्पत्ति की लागत की माप विश्वसनीय ढंग से की जा सकती है।

कंपनी द्वारा खरीदी गई अमूर्त परिसम्पत्ति की कीमत प्रारंभिक मान्यता से गणना की जाती है। बाद में माप कम लागत पर संचित परिशोधन और संचित ह्रास घाटे से किये जाते हैं। मूल्य में अपने इच्छित उद्देश्य के लिए परिसम्पत्ति तैयार करने के लिए आवश्यक किसी भी प्रत्यक्ष योगदान की लागत शामिल हैं।

विकास कार्यों पर व्यय केवल तभी पूंजीकृत होगा जब लागत को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता है, उत्पादन या प्रक्रिया तकनीकी रूप से और व्यावसायिक रूप से संभव है, भविष्य के वित्तीय लाभ संभव हैं और कंपनी का इरादा है और विकास को पूरा करने और संपत्ति का उपयोग करने या बेचने के लिए पर्याप्त संसाधन रखती हैं।

अमूर्त परिसम्पत्ति के तहत पूंजीकरण के लिए व्यय को विकास की अमूर्त परिसम्पत्ति के रूप में माना जाता है जब तक कि वे अपने इच्छित उद्देश्य के लिए तैयार न हों।

2. **तदंतर लागत**

तदंतर व्यय को परिसंपत्ति की वहन राशि में वृद्धि के रूप में पहचाना जाता है, जब यह संभावित होता है कि होने वाले लागत भविष्य के आर्थिक लाभ उद्यम के लिए प्रवाहित होंगे और वस्तु की लागत की माप विश्वसनीय ढंग से की जा सकती है।

3. **मान्यता वापस लेना**

एक अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता तब वापस ली जाती है जब उनके उपयोग या निपटान के माध्यम से कोई भविष्य के वित्तीय लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है। अमूर्त परिसंपत्ति के एक आइटम के निपटान में लाभ और नुकसान, लाभ-हानि विवरण में पहचाने गए अमूर्त परिसंपत्ति की मात्रा की तुलना करके निर्धारित किया जाता है।

2.6 प्रगति पर पूंजीगत कार्य

रिपोर्टिंग की प्रत्येक तारीख को बकाया संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण के अधिग्रहण की गई राशि तथा उस तारीख से पहले अपेक्षित उपयोग हेतु तैयार नहीं संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण की लागत का खुलासा प्रगति पर पूंजीगत कार्य के तहत् किया जाता है।

व्यय जिनकी पहचान प्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा ली गई परियोजना के साथ की जा सकती है, को "प्रत्यक्ष परियोजना व्यय" के तहत "प्रगति पर पूंजीगत कार्य" में डेबिट कर दिया जाता है। कर्मचारी लाभ की प्रकृति वाले अप्रत्यक्ष व्यय और परियोजना से संबद्ध अप्रत्यक्ष व्यय को परियोजना से प्रभारित किया गया है। निर्माण की अवधि से जुड़े आय तथा अन्य आकस्मिक आय, जैसे कि ब्याज आय (इक्विटी के माध्यम से प्राप्त निधियों के तात्कालिक उपयोग से होने वाले को छोड़कर), निविदा प्रपत्रों की बिक्री आदि को निर्माण के दौरान होने वाले व्यय के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

2.7 भूमि

1. भूमि को भारतीय लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुत करने हेतु फ्रेमवर्क द्वारा आवश्यक नियंत्रण के आधार एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है।
2. विभिन्न सरकारी निकायों और विभागों सहित भूस्वामियों द्वारा सौंपे गए और कंपनी द्वारा कब्जा किए गए भूमि पार्सल को कंपनी के नाम पर हक़ विलेखों के पंजीकरण की प्रतीक्षा किए बिना, कंपनी द्वारा भूमि का कब्जा लेने के समय या भुगतान करने पर जो भी पहले हो, पूंजीकृत किया गया है।
3. बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, जब देय राशि देय हो तब बुक की जाएगी क्योंकि राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
4. पुनर्वास और पुनर्स्थापन और भूमि से संबंधित अन्य खर्चों की लागत को भूमि की कीमत में जोड़ा जाता है।

5. अस्थायी रूप से किए गए भुगतान / भूमि पर लीज-होल्ड भूमि सहित लागत, स्ट्रक्चर के अधिग्रहण की लागत कम हुई ऐसी संरचनाओं की बिक्री आय या मुआवजे के लिए प्रदान की गई बाध्यता के संगत प्रभाव को भूमि या लीज-होल्ड भूमि की लागत के रूप में माना जाता है।
6. अस्थायी रूप से किए गए भुगतान / अस्थायी आधार पर अधिग्रहित भूमि के प्रति प्रदान किए गए दायित्व का संगत प्रभाव भूमि के कब्जे की अवधि में परिशोधित होता है।
7. कंपनी के लिए भूमि खरीदने हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) को भुगतान की गई राशि को शुरूआत में एडवांस फॉर लैंड (सीएएलए) माना जाता है। उक्त उद्देश्य के लिए सीधे भूस्वामियों को सीएएलए खातों के माध्यम से संवितरण भूमि लागत के रूप में समायोजित किया जाता है और शेष राशि सीएएलए के साथ अग्रिम के रूप में दर्शाई जाती है।

2.8 प्रावधान, आकस्मिक देनदारियाँ तथा आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

क) उन देनदारियों के संबंध में प्रावधानों को मान्यता दी जाती है, जिनका मापन केवल प्राक्कलनों का काफी हद तक उपयोग करके किया जा सकता है, जब:

i. पिछली किसी घटना के परिणामस्वरूप कंपनी की वर्तमान समय में दायित्व हो।
ii. आर्थिक लाभ को शामिल कर संसाधनों का संभावित प्रसार, उन दायित्व के समाधान के लिए अपेक्षित हो, तथा
iii. दायित्व की राशि का प्राक्कलन विश्वसनीय तरीके से किया जा सकता है। प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख को प्रावधानों का पुनरावलोकन किया जा सकता है।

प्रावधानों की छूट प्रदान करना

जब राशि के समय-मूल्य का प्रभाव मेटेरियल हो, तो किसी प्रावधान की राशि उस दायित्व के समाधान के लिए अपेक्षित व्यय का वर्तमान मूल्य होगा।

ख) निम्नलिखित मामलों में से प्रत्येक में आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया जाता है:

i. किसी पिछली घटना से उत्पन्न वर्तमान दायित्व, जहाँ यह संभावना नहीं हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों का प्रसार अपेक्षित होगा, या
ii. वर्तमान दायित्व का एक विश्वसनीय प्राक्कलन तैयार नहीं किया जा सकता है, या
iii. एक संभाव्य दायित्व, जबतक संसाधन के प्रसार की संभाव्यता क्षीण हो।

आकस्मिक देनदारी तथा आकस्मिक परिसंपत्ति के विरुद्ध आवश्यक देनदारी तथा प्रावधानों का पुनरावलोकन प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख को किया जाता है।

ग) जब आर्थिक लाभ का प्रसार संभाव्य हो, तो आकस्मिक परिसंपत्तियों का खुलासा किया जाता है।

2.9 राजस्व की पहचान

क) ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व

i. ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व को तब पहचाना जाता है जब माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को ऐसी राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो उस प्रतिफल को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले हकदार होने की उम्मीद करती है।
ii. प्राप्त प्रतिफल या प्राप्त प्राप्य के उचित मूल्य पर ही राजस्व का मापन किया जाता है।

ख) अन्य राजस्व की पहचान

i. ब्याज आय की पहचान, प्रभावी ब्याज दर तरीके का उपयोग करके बकाया राशि तथा लागू योग्य ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए समयानुपातिक आधार पर किया जाता है।

2.10 पट्टा

i. पट्टाग्राही के रूप में

परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार को शुरू में उस लागत पर मापा जाता है, जिसमें प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित लीज देयता की प्रारंभिक राशि में, कोई भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और अंतर्निहित परिसंपत्ति को नष्ट करने और हटाने की अनुमानित लागत या अंतर्निहित परिसंपत्ति या उस साइट को पुनर्स्थापित करने की अनुमानित लागत जिस पर वह स्थित है, के योग में से पट्टा प्रोत्साहन के रुप में प्राप्त हुई राशि को घटाना शामिल है।

इसके पश्चात, राइट-ऑफ-यूज़ एसेट को स्ट्रेट-लाइन विधि का उपयोग करके प्रारंभ तिथि से लेकर राइट-ऑफ़-यूज़-एसेट के उपयोग की अवधि के अंत तक या लीज़ अवधि के अंत तक को घटाया जाता है। उपयुक्त-उपयोगी संपत्ति की अनुमानित उपयोगी जीवन संपत्ति, पौधों और उपकरणों के अनुमानित आधार पर निर्धारित की जाती है। इसके अलावा, राइट-ऑफ़-यूज़ एसेट कभी-कभी ह्रास के नुकसान, यदि कोई हो, से कम हो जाती है, और पट्टे की देयता की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखते हुए समायोजित की जाती है।

पट्टा देयता की गणना शुरू में लीज भुगतान की प्रारंभ तिथि पर की जाती है, जिनका प्रारंभ तिथि पर भुगतान नहीं किया गया हो, और पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट देकर, या यदि वह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो कंपनी की वृद्धिशील उधार दर से की जाती है।

लीज देयता को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है; जब किसी इंडेक्स या रेट में बदलाव से भविष्य के पट्टों के भुगतान में कोई बदलाव होता है, तो इसे पुनः मापा जाता है। जब इस तरह से पट्टा दायित्व को फिर से मापा जाता है, तो एक संगत समायोजन 'राइट ऑफ़ यूज़ ऑफ़ एसेटस की वहन राशि के लिए किया जाता है, या अगर सही उपयोग की परिसंपत्ति की वहन राशि शून्य हो गई हो तो लाभ और हानि में दर्ज किया जाता है।

कंपनी राइट-ऑफ़-यूज़ एसेट प्रस्तुत करती है जो "अन्य उपयोगिताओं के अधिकार" और बैलेंस शीट में "अन्य वित्तीय दायित्वों के अधिकार" के तहत निवेश परिसंपत्ति की परिभाषा को पूरा नहीं करती है।

अल्पावधि पट्टा और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टा

कंपनी ने अल्प अवधि पट्टों के लिए संपत्ति का उपयोग का अधिकार और लीज दायित्व को मान्यता नहीं देने का चयन किया है, जिनकी पट्टा अवधि 12 महीने या उससे कम है और जो कम मूल्य की

आस्तियों के पट्टे हैं। कंपनी इन पट्टों से जुड़े पट्टे के भुगतान को सीधी-रेखा के आधार पर एक व्यय के रूप में मानती है।

ii. पट्टादाता के रूप में

जब कंपनी पट्टादाता के रूप में होती है, तो यह पट्टे की स्थापना के समय निर्धारित करती है कि प्रत्येक पट्टा एक वित्त पट्टा है या परिचालन पट्टा है। प्रत्येक पट्टे को वर्गीकृत करने के लिए, कंपनी इस बात का समग्र मूल्यांकन करती है कि पट्टा अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व हेतु प्रासंगिक सभी जोखिम और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करता है या नहीं। यदि यह मामला है, तो पट्टा एक वित्त पट्टा है, यदि नहीं तो यह एक परिचालन पट्टा है। मूल्यांकन के हिस्से के रूप में, कंपनी कुछ संकेतकों पर विचार करती है जैसे कि पट्टा परिसंपत्ति के आर्थिक जीवन के प्रमुख हिस्से के रूप में है।

यदि किसी व्यवस्था में पट्टे और गैर-पट्टे के घटक शामिल हैं, तो कंपनी अनुबंध में प्रतिफल को आवंटित करने के लिए इंड एएस-115 "ग्राहकों से संविदा से राजस्व" लागू करती है।

कंपनी "अन्य आय" के हिस्से के रूप में लीज अवधि के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में परिचालन पट्टे के तहत प्राप्त लीज भुगतानों को पहचानती है।

2.11 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

परिसंपत्तियों की हानि पर इंड एएस -36 के अनुसार, वहाँ हानि का कोई संकेत है या नहीं, इसके विनिश्चय के लिए प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख को कंपनी की परिसंपत्तियों द्वारा वहन की जाने वाली राशि का पुनरावलोकन किया जाता है। यदि ऐसा कोई संकेत दिखाई पड़ता है, तो उचित मूल्य के उच्चतम में से विक्रय में होने वाले खर्च और उपयोग के मूल्य को घटाकर, परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का प्राक्कलन किया जाता है। ख़राबी संबंधी हानि को लाभ तथा हानि के विवरण में स्थान दिया जाता है, जब भी परिसंपत्ति द्वारा वहन की जाने वाली राशि या इसका नकद उत्पन्न करने वाली इकाई इसके वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाता है। पूर्व के लेखांकन अवधियों में पहचाने गए ख़राबी संबंधी हानि को उलट दिया जाता है यदि वसूली योग्य राशि के प्राक्कलन में कोई बदलाव आया है और ऐसी हानियाँ अब मौजूद नहीं हैं या कम हो गई हैं। लाभ तथा हानि के विवरण में ख़राबी संबंधी हानि को मान्यता प्रदान की जाती है।

2.12 उधारीकृत लागत

किसी परियोजना के लिए विशेष रूप से उधार ली गई निधियों पर होने वाले उधारीकृत लागत और इनमें पहचाने गए लागत को परियोजना के प्रारंभ होने के समय तक पूंजीकृत कर दिया जाता है या इसके किसी हिस्से को पूंजीकृत कर दिया जाता है और उसके उपरांत उसे उस विस्तार तक राजस्व में प्रभारित कर दिया जाता है, जिस विस्तार तक परिसंपत्तियाँ वाणिज्यिक परिचालन के अधीन हैं।

2.13 कर्मचारी लाभ

क) कम अवधि के कर्मचारी लाभ

सेवा ग्रहण करने की तारीख से बारह महीने के भीतर पूरी तरह से भुगतान योग्य सभी कर्मचारी लाभों को कम अवधि के कर्मचारी लाभों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लाभ जैसे कि वेतन, मजदूरी, तथा कम अवधि के अनुकंपित गैरहाजिरियों, एल.टी.सी. इत्यादि को उस अवधि में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

ख) लंबी अवधि के कर्मचारी लाभ

i. लंबी अवधि के कर्मचारी लाभ, जैसे लंबी अवधि के अनुकंपित गैरहाजिरियों तथा अर्ध वेतन छुट्टी के लिए दायित्वओं को उसी रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जैसे कि परिभाषित लाभ योजनाओं के मामलों में किया जाता है, जैसे नीचे (ग) (ii) में उल्लिखित है।

ग) सेवानिवृति उपरांत लाभ

i. **परिभाषित योगदानकारी योजनाएँ:** कंपनी भविष्य निधि योजना, सी.जी.आई.एस. तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के संबंध में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को परिभाषित योगदान करता है। इन योजनाओं के तहत् भुगतान किए गए/भुगतान योग्य योगदान की मान्यता उस अवधि के दौरान प्रदान की जाती है, जिस अवधि के दौरान कर्मचारी ने संबंधित सेवा प्रदान की है।

ii. **परिभाषित लाभ योजनाएँ:** उपादान एक सेवानिवृत्ति उपरांत पारिभाषित लाभ योजना है। बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देनदारी, बैलेंस शीट की तारीख को पारिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में से योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य घटाकर निकाला जाता है। पारिभाषित लाभ दायित्व की गणना एक स्वतंत्र गणक से की जाती है और प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पी.यू.सी.) तरीके का उपयोग किया जाता है।

घ) सेवानिवृति लाभ:

"प्रतिनियुक्ति पर रहने वाले कर्मचारी" के सेवानिवृति लाभों का लेखांकन रेल मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर किया जाता है।

ङ) पुन: मापन

अनुभव लाभ के समायोजन से उत्पन्न लाभ और हानि, परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन जैसे कि उपादान को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय में होते हैं। उन्हें इक्विटी में बदलाव और बैलेंस शीट में प्रतिधारित आय में शामिल किया गया है।

2.14 चालू आयकर

i. किसी वर्ष के लिए कर पर होने वाले व्यय में चालू आयकर तथा विलंबित कर शामिल रहता है।

ii. चालू कर का मापन उस राशि पर किया जाता है, जिस राशि का भुगतान लागू कर की दरों का उपयोग करके कर प्राधिकारियों को किया जाना है।

iii. राशि की गणना करने के लिए कर की दर या कर संबंधी कानून वही होते हैं, जो रिपोर्टिंग की तारीख को उन देशों में लागू रहते हैं या लागू होने वाले होते हैं, जहाँ कंपनी अपना परिचालन कर रही होती है और कर योग्य आय उत्पन्न कर रही होती है।

iv. ओ.सी.आई. मदों से संबंधित चालू कर को अन्य विस्तृत आय(ओ.सी.आई.) में मान्यता प्रदान की जाती

2.15 विलंबित कर

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा जारी भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस 12) "आयकर" के अनुसार।

i. विलंबित आयकर परिसंपत्तियाँ तथा देनदारियों की मान्यता उन तात्कालिक अंतरों के लिए दी जाती है, जिनकी गणना रिपोर्टिंग की तारीख को लागू या निश्चित रूप से लागू होने वाले कर की दरों या कर कानूनों का उपयोग करके की जाती है।

ii. विलंबित कर की पहचान उस विस्तार तक की जाती है, जहाँ तक यह संभाव्य हो कि वैसा कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके विरुद्ध घटाये जाने योग्य तात्कालिक अंतरों तथा अप्रयुक्त कर क्रेडिटों के पिछले बकायों तथा अप्रयुक्त कर हानियों को उपयोग में लाया जा सकता है।

iii. प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख को विलंबित आयकर परिसंपत्तियों द्वारा वहन की जाने वाली राशि का पुनरावलोकन किया जाता है और उसे इस विस्तार तक कम किया जाता है कि अब यह संभाव्य नहीं हो कि उपयोग की जाने वाली विलंबित आय कर परिसंपत्ति के सभी या किसी हिस्से की अनुमति प्रदान करने के लिए उपयुक्त कर योग्य आय उपलब्ध रहेगी।

iv. ओ.सी.आई. मद से संबंधित विलंबित कर की मान्यता अन्य विस्तृत आय(ओ.सी.आई.) में दी जाती है।

2.16 प्रति शेयर आय

1. प्रति शेयर मूल आय की गणना, किसी अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की प्रभारित औसत संख्या द्वारा, उस अवधि के लिए इक्विटी शेयर धारकों को योगदानकारी सकल लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की प्रभारित औसत संख्या का समायोजन बोनस के मुद्दे तथा शेयर में गिरावट की घटनाओं के लिए किया जाता है।

2. प्रति शेयर तरलीकृत आय की गणना के उद्देश्य से, उस अवधि के लिए इक्विटी शेयर धारकों को योगदानकारी सकल लाभ या हानि तथा अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की प्रभारित औसत संख्या का समायोजन, सभी तरलीकृत क्षमतावान इक्विटी शेयरों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है।

2.17 प्राथमिक व्यय

सभी प्राथमिक व्यय को व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जब ये व्यय होते हैं।

2.18 इक्विटी धारकों को लाभांश

भुगतान किए गए/ भुगतान योग्य लाभांश को मान्यता उस वर्ष के लिए प्रदान की जाती है, जिस वर्ष में संबंधित लाभांश को शेयरधारकों द्वारा या निदेशक मंडल द्वारा समुचित अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

2.19 बैलेंस शीट की तारीख के उपरांत घटित घटनाएँ

बैलेंस शीट की तारीख के उपरांत घटित घटनाओं को, इंड एएस 10 (बैलेंस शीट की तारीख के उपरांत आकस्मिकताएँ तथा घटित घटनाएँ) के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने में मान्यता प्रदान की जाती है।

2.20 उचित मूल्य मापन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख को उचित मूल्य पर कुछ विशेष वित्तीय उपकरणों का मापन करती है। उचित मूल्य वह मूल्य है, जिसे मापन की तारीख को क्रमबद्ध लेनदेन के रूप में किसी परिसंपत्ति को बेचने से प्राप्त किया जाता है या देनदारी के हस्तांतरण में चुकाया जाता है। उचित मूल्य मापन उन पूर्वानुमानों पर आधारित होता है, जो निम्न में किसी परिसंपत्ति को बेचने या देनदारियों के हस्तांतरण करने से होने वाले किसी भी लेनदेन से होता है:

- मूल बाजार में परिसंपत्ति या देनदारी के लिए,
- या मूल बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या देनदारी के सबसे लाभप्रद बाजार में

मूल या सबसे लाभप्रद बाजार कंपनी के पहुँच के भीतर होना चाहिए। किसी परिसंपत्ति या किसी देनदारी के उचित मूल्य का मापन उन पूर्वानुमानों का उपयोग करके किया जाता है, जिनका उपयोग बाजार में प्रतिस्पर्धी किसी परिसंपत्ति या देनदारी के मूल्यन में करते हैं और यह मान लिया जाता है कि बाजार के प्रतिस्पर्धी अपने सबसे अच्छे आर्थिक हित की दिशा में कार्य करते हैं। कंपनी मूल्यन की तकनीक का उपयोग करती है, जो परिस्थितियों में समुचित हों और जिसके लिए उचित मूल्य के मापन के लिए समुचित आँकड़े उपलब्ध होते हैं और संबंधित पर्यवेक्षी आदानों का उपयोग सबसे अधिकतम कर दिया जाता है तथा अपर्यवेक्षी आदानों का उपयोग निम्नतम कर दिया जाता है।

2.21 वित्तीय प्रपत्रः

क) प्रारंभिक मान्यता:

वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देनदारियों को मान्यता तब मिलती है, जब कंपनी लिखत के अनुबंधित प्रावधानों में एक पक्षकार बन जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देनदारियों का शुरु में मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण या जारी करने में प्रत्यक्ष तौर पर योगदानकारी विनिमय लागत (वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देनदारियों को छोड़ कर लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर) को वित्तीय परिसंपत्तियों या देनदारियों के प्रारंभिक मान्यता के समय मापन किए गए उचित मूल्य में जोड़ दिया जाता है या उससे घटा दिया जाता है।

ख) परिणामी मापन

वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण निम्नलिखित कोटियों में किया जाता है।

i. **मूर्तकरण लागत पर**

वित्तीय परिसंपत्तियों का परिशोधित मापन मूर्तकरण लागत पर किया जाता है, यदि इन वित्तीय परिसंपत्तियों को किसी ऐसे व्यापार के अंतर्गत रखा जाता है, जिसका उद्देश्य इन परिसंपत्तियों को धारित करना है ताकि संविदागत नकद का संग्रहण किया जा सके और वित्तीय परिसंपत्ति की अनुबंधित अवधि नकद प्रवाह को किसी विशिष्ट तिथि को बढ़ा सके और जो बकाया मूलधन की राशि पर मूलधन और ब्याज का केवल भुगतान मात्र हो।

ii. **अन्य विस्तृत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर**

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन अन्य विस्तृत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है, यदि इन वित्तीय परिसंपत्तियों को किसी ऐसे व्यापार के अंतर्गत रखा जाता है, जिसका उद्देश्य तब पूरा होता है जब संविदागत नकद का संग्रहण किया जाए तथा वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचा जाए और वित्तीय परिसंपत्ति का संविदागत अवधि नकद प्रवाह को किसी विशिष्ट तिथि को बढ़ा सके और जो बकाया मूलधन की राशि पर मूलधन और ब्याज का केवल भुगतान मात्र हो।

iii. **लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर**

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर तब किया जाता है, जब प्रारंभिक मान्यता पर इसका मापन अन्य विस्तृत आय के माध्यम से मूर्तकरण लागत पर या उचित मूल्य पर किया जाता है। लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देनदारियों के अधिग्रहण पर प्रत्यक्ष तौर पर योगदानकारी लेनदेन की लागत को अविलंब लाभ या हानि के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

वित्तीय देनदारियाँ

वित्तीय देनदारियों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जाता है:

i. **अमूर्तकरण लागत पर वित्तीय देनदारियाँ**

व्यापार तथा अन्य देयताओं, सुरक्षा जमा तथा धारिता राशि इत्यादि द्वारा दर्शाए गए अमूर्तकरण लागत पर वित्तीय देनदारियों को प्रारंभिक तौर पर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और उसके उपरांत प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करके इसे अमूर्तकरण लागत पर ले जाया जाता है।

ii. **लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियाँ (एफवीटीपीएल)**

कंपनी ने एफवीटीपीएल पर किन्हीं वित्तीय देनदारियों को चिह्नित नहीं किया है।

ग) मान्यता समाप्त करना

i. **वित्तीय परिसंपत्ति**

वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहाँ लागू हो वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों का एक समूह) की मान्यता तब खत्म की जाती है जब परिसंपत्ति से होने वाले नकद प्रवाह से जुड़ा संविदागत अधिकार समाप्त होता है या यह वित्तीय परिसंपत्तियों तथा इससे जुड़े सभी जोखिमों और लाभों को संपत्ति के स्वामित्व को हस्तांतरित कर देता है।

ii. वित्तीय देनदारी

एक वित्तीय देनदारी की मान्यता तब समाप्त की जाती है जब देनदारी के अधीन किसी दायित्व का निबटान कर दिया जाता है या निरस्त कर दिया जाता है या वह समाप्त हो जाता है। जब किसी वर्तमान वित्तीय देनदारी का स्थान, उसी ऋण प्रदाता के प्रति अन्य देनदारी परिणामी रूप से किसी अन्य शर्तों पर ले लेती है या किसी वर्तमान देनदारी की शर्तों को आंशिक रूप से बदला जाता है तो ऐसे बदलाव या सुधार को वास्तविक देनदारी की मान्यता समाप्त करने के रूप में माना जाता है और नई देनदारी की मान्यता तथा क्रमशः वहन की जाने वाली राशियों में अंतर को लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

घ) वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि:

ख़राबी संबंधी हानि की मापन तथा उनकी पहचान के लिए, कंपनी अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ई.सी.एल.) मॉडल को अपनाती है। कंपनी व्यापार प्राप्तियों पर ख़राबी संबंधी हानि भत्ते की पहचान के लिए सरलीकृत दृष्टिकोण का पालन करती है। सरलीकृत दृष्टिकोण के लागू होने में यह अपेक्षित नहीं होता कि कंपनी क्रेडिट जोखिम में बदलाव का पता लगाए। इसके अलावा यह अपने प्रारंभिक मान्यता से ही प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख को लाइफटाइम ई.सी.एस. पर आधारित ख़राबी संबंधी हानि की पहचान करता है।

कंपनी अन्य विस्तृत आय ऋण उपकरण के माध्यम से अमूर्तकरण लागत पर तथा उचित मूल्य पर वहन किए जा रहे, अपनी परिसंपत्तियों से जुड़े अपेक्षित क्रेडिट हानि का आंकलन दूरगामी सोच के आधार पर करता है। ख़राबी संबंधी हानि का यह तरीका इस बात पर लागू होता है कि क्या क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं।

किसी अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त ई.सी.एल. ख़राबी संबंधी हानि भत्ता (या विपरीत) की पहचान लाभ तथा हानि के विवरण में आय/व्यय के रूप में की जाती है।

2.22 विक्रय के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियाँ (या निपटान समूह)

जब गैर-चालू परिसम्पत्तियों (अथवा निस्तारण समूह) की वाहित राशि विक्रय लेन-देन के माध्यम से मूलधन के रूप में वसूल की जानी हो और विक्रय को अत्यधिक सम्भाव्य माना जाता है तो गैर-चालू परिसम्पत्तियों को विक्रय हेतु धारित परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। विक्रय को केवल उस समय अत्यधिक सम्भाव्य माना जाता है जब परिसम्पत्ति अथवा निस्तारण समूह इसकी वर्तमान स्थिति में तुरन्त विक्रय के लिए उपलब्ध है, यह असम्भाव्य है कि विक्रय वापस कर लिया जायेगा और विक्रय वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर प्रत्याशित है। विक्रय हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत निस्तारण समूहों को वाहित राशि के न्यूनतर पर उल्लिखित हैं और विक्रय हेतु उचित मूल्य की लागत कम होती है। विक्रय हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत हो जाने पर सम्पत्ति, संयन्त्र तथा उपकरण एवं अमूर्त परिसम्पत्तियों को मूल्यह्रासित नहीं किया जाता है। विक्रय हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों को वित्तीय स्थिति के विवरण में अलग से प्रस्तुत किया गया है।

यदि एंड एएस 105 "विक्रय हेतु धारित गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ तथा स्थगित प्रचालनों" द्वारा बताए गए मानदंड पूरे नहीं होते हैं, तो निपटान समूह को बिक्री हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाना रोक दिया जाता है। गैर-चालू परिसंपत्ति जो बिक्री हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत होना बंद हो जाती है, उसे निम्न के न्यूनतर स्तर पर मापा जाता है (i) बिक्री हेतु धारित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किए जाने से पूर्व इसकी अग्रणीत राशि तथा इसमें उस मूल्यह्रास को समायोजित किया जाता है, जिसे यदि उस संपत्ति को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया होता तो मान्यता दी जाती है, और (ii) विक्रय हेतु धारित के रूप में निपटान समूह में वर्गीकृत न होने की तिथि पर इसकी वसूली योग्य राशि।

2.23 पूर्व अवधि समायोजन

जिस अवधि में त्रुटि हुई, उससे पहले की अवधि के लिए तुलनात्मक मात्रा को बहाल करके महत्वपूर्ण पूर्व अवधि की त्रुटियों को पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाता है। यदि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले त्रुटि हुई है, तो प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी की प्रारंभिक शेष राशि को तब तक बहाल किया जाता है जब तक कि यह अव्यावहारिक न हो, इस मामले में, तुलनात्मक जानकारी को नए लेखांकन से संभावित रूप से लागू करने के लिए समायोजित किया जाता है जो कि संभावित रूप से सबसे प्रारंभिक तिथि से व्यावहारिक है।

पूर्वदत्त व्यय

प्रत्येक मामले में 5,00,000 रुपये तक के पूर्वदत्त व्यय को वर्ष के व्यय/आय के रूप में माना जाता है और खातों के प्राकृतिक प्रमुख के तहत लिया जाता है।

2.24 वे मानक/संशोधन जो जारी किए गए लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं हैं:

एमसीए ने भारतीय लेखा मानक संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचना दिनांक 18 जून 2021 के माध्यम से जारी किया था। भारतीय लेखा मानक संशोधन नियम, 2021 में निम्नलिखित मानकों में संशोधन किया गया है: -

1. भारतीय लेखा मानकों को पहली बार अपनाना (इंड एएस-101)
2. शेयर-आधारित भुगतान (इंड एएस-102)
3. व्यापार संयोजन (इंड एएस-103)
4. बीमा अनुबंध1 (इंड एएस-104)
5. बिक्री और बंद परिचालन के लिए धारित गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां (इंड के रूप में-105)
6. खनिज संसाधनों का अन्वेषण और मूल्यांकन (इंड एएस-106)
7. वित्तीय लिखत: प्रकटीकरण (इंड एएस-107)
8. वित्तीय लिखत (इंड एएस-109)
9. संयुक्त व्यवस्था (इंड एएस-111)
10. विनियामक आस्थगित खाते (इंड एएस-114)
11. ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व (इंड एएस-115)
12. पट्टे (इंड एएस-116)
13. वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति (इंड एएस-1)

14. लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन एवं त्रुटियां (इंड एएस-8)
15. आयकर (इंड एएस-12)
16. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (इंड एएस-16)
17. समेकित और पृथक वित्तीय विवरण (इंड एएस-27)
18. एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों में निवेश (इंड एएस-28)
19. अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग (इंड एएस-34)
20. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां (इंड एएस-37)
21. अमूर्त संपत्ति (इंड एएस-38)
22. निवेशित संपत्ति (इंडिया एएस-40)

इन संशोधनों की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2021 को या उसके पश्चात् शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी वर्तमान में संशोधनों के प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है और अभी तक वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव तय नहीं किया है।

नोट :- 3

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

राशि (रु. लाख में)

विवरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	पट्टाधृत भूमि	भवन	ट्रैक स्लैब	पट्टाधृत सुधार	फर्नीचर एवं फिक्सचर	मोटर वाहन	ईडीपी परिसंपत्तियां	कार्यालयी उपकरण	कुल
सकल वाहक राशि										
1 अप्रैल 2019 को	**1,06,760.42**	**-**	**-**	**-**	**342.74**	**252.46**	**75.02**	**667.20**	**304.44**	**1,08,402.28**
संवर्धन	2,27,091.70	18,138.20	-	-	330.06	259.44	-	236.07	278.40	2,46,333.87
निस्तारण/समायोजन	-	-	-	-	(31.21)	(6.76)	0.00	(7.58)	(13.63)	(59.18)
31 मार्च 2020 को	**3,33,852.12**	**18,138.20**	**-**	**-**	**641.59**	**505.14**	**75.02**	**895.69**	**569.21**	**3,54,676.97**
संवर्धन	1,97,157.24	188.80	3,772.71	1,339.76	1.65	223.93	-	256.63	153.32	2,03,094.04
निस्तारण/समायोजन	-	0.00	**-**	**-**	**-**	(13.30)	**-**	(7.10)	(14.95)	(35.35)
31 मार्च 2021 को	**5,31,009.36**	**18,327.00**	**3,772.71**	**1,339.76**	**643.24**	**715.77**	**75.02**	**1,145.22**	**707.58**	**5,57,735.66**
संचित मूल्यह्रास और हानि										
1 अप्रैल 2019 को	**-**	**-**	**-**	**-**	**79.98**	**23.10**	**10.55**	**118.77**	**44.25**	**276.65**
वर्ष हेतु प्रभारित मूल्यह्रास	**-**	**-**	**-**	**-**	76.60	57.36	8.91	206.03	113.06	461.96
निस्तारण/समायोजन	**-**	**-**	**-**	**-**	(5.21)	(3.47)	0.00	(3.71)	(5.58)	(17.97)
31 मार्च 2020 को	**-**	**-**	**-**	**-**	**151.37**	**76.99**	**19.46**	**321.09**	**151.73**	**720.64**
वर्ष हेतु प्रभारित मूल्यह्रास	-	-	2.76	182.79	394.44	94.86	8.91	304.43	156.56	1,144.75
निस्तारण/समायोजन	-	-	-	-	-	(1.56)	-	(2.45)	(5.03)	(9.04)
31 मार्च 2021 को	**-**	**-**	**2.76**	**182.79**	**545.81**	**170.29**	**28.37**	**623.07**	**303.26**	**1,856.35**
निवल वाहक मूल्य										
31 मार्च 2021 को	**5,31,009.36**	**18,327.00**	**3,769.95**	**1,156.97**	**97.43**	**545.48**	**46.65**	**522.15**	**404.32**	**5,55,879.31**
31 मार्च 2020 को	**3,33,852.12**	**18,138.20**	**-**	**-**	**490.22**	**428.15**	**55.56**	**574.60**	**417.48**	**3,53,956.33**

नोट 3.1 - पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि / पट्टाधृत भूमि के अलावा, भूमि अधिग्रहण लागत और भूमि अधिग्रहण से संबंधित व्यय एवं सुविधाएं शामिल हैं। कुछ मामलों में, भूमि फ्रीहोल्ड है और अभी कंपनी के नाम पर हस्तांतरित नहीं हुई। भूमि के मूल्य में भारत सरकार/रेल मंत्रालय/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों आदि से रु. 18,327.00 लाख (पीवाई रु. 18,138.20 लाख) की अधिग्रहीत पट्टे की भूमि शामिल है। हालांकि, कुछ मामलों में, पट्टे की शर्तें पूरी होनी शेष हैं। कुछ मामलों में फ्रीहोल्ड भूमि अधिग्रहित स्वामित्व/ दाखिलखारिज का हस्तांतरण लंबित है।

नोट 3.2 - भूमि से संबंधित व्यय को फ्रीहोल्ड भूमि, लीजहोल्ड भूमि और भूमि के उपयोग के अधिकार के लिए संबंधित भूमि के मद के अनुपात में वर्ष के दौरान आवंटित किया गया है।

नोट :- 4

जारी पूंजीगत कार्य

राशि (रु. लाख में)

विवरण	**कुल**
1 अप्रैल, 2019	**38,443.68**
संवर्धन (अनुगामी व्यय)	3,31,135.78
समायोजन	(2,46,254.21)
31 मार्च, 2020 को	**1,23,325.25**
संवर्धन (अनुगामी व्यय)	1,54,615.31
समायोजन	(5,354.30)
31 मार्च, 2021 को	**2,72,586.26**

नोट 4.1 - जारी पूँजीगत कार्य का विवरण

राशि (रु. लाख में)

विवरण	वित्त वर्ष 2019-20				वित्त वर्ष 2020-21		
	शेष राशि 01.04.2019 तक	संवर्धन	समायोजन	31.03.2020 तक	संवर्धन	समायोजन	31.03.2021 तक
निर्माण/खरीद लागत	3,112.80	15,545.53	-	18,658.33	86,562.44	(5,112.47)	1,00,108.30
भूमि (नोट 4.1.1)	-	2,46,254.21	(2,46,254.21)	-	-	-	-
उपयोगिता स्थानांतरण	13,747.15	51,790.42	-	65,537.57	48,829.98	-	1,14,367.55
परामर्श सेवा लागत	8,767.46	3,687.18	-	12,454.64	4,235.63	-	16,690.27
प्राथमिक परियोजना लागत	2,753.18	1,248.65	-	4,001.83	1,119.74	-	5,121.57
आकस्मिक परियोजना लागत	10,148.87	12,785.88	-	22,934.75	14,501.26	(241.83)	37,194.18
घटाया : निविदा का विक्रय एवं अन्य आय	(85.78)	(176.09)	-	(261.87)	(633.74)	-	(895.61)
कुल	**38,443.68**	**3,31,135.78**	**(2,46,254.21)**	**1,23,325.25**	**1,54,615.31**	**(5,354.30)**	**2,72,586.26**

नोट 4.1.1 - पिछले वर्ष में, भूमि को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, और जैसे की लागू है राइट फॉर यूज़ ऑफ़ लैंड के अमूर्त संपत्ति के तहत पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

नोट :- 5

अन्य अमूर्त परिसम्पतियाँ

राशि (रु. लाख में)

विवरण	सॉफ्टवेयर	राइट फॉर यूज़ ऑफ़ लैंड	कुल
सकल वाहक राशि			
1 अप्रैल, 2019 को	197.28	8,194.18	**8,391.46**
संवर्धन	11.45	1,324.79	1,336.24
निस्तारण/ समायोजन	-	-	-
31 मार्च, 2020 को	**208.73**	**9,518.97**	**9,727.70**
संवर्धन	179.44	394.08	573.51
निस्तारण/ समायोजन *	-	(8231.36)	(8231.36)
31 मार्च, 2021 को	**388.17**	**1,681.69**	**2,069.85**
परिशोधन व्यय तथा खराबियाँ			
1 अप्रैल, 2019 को	50.54	4.49	**55.03**
वर्ष के लिए परिशोधन शुल्क	67.42	244.68	312.11
निस्तारण/ समायोजन	-	-	-
31 मार्च, 2020 को	**117.96**	**249.17**	**367.14**
वर्ष के लिए परिशोधन शुल्क	82.28	119.99	202.27
निस्तारण/ समायोजन *	-	(241.83)	(241.83)
31 मार्च, 2021 को	**200.24**	**127.33**	**327.58**
निवल वाहक राशि			
31 मार्च, 2021 को	187.92	1,554.35	**1,742.27**
31 मार्च, 2020 को	90.77	9,269.80	**9,360.57**

* पश्चिम रेलवे के पत्र सं. डब्ल्यू 340/23, दिनांक 22.02.2019 के के जवाब में, कंपनी ने पूर्व वर्षों में मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एमएएचएसआर) के लिए कुछ भूमि पार्सल के अधिग्रहण / हैंडओवर के लिए 8,000.00 लाख रुपये का आंशिक भुगतान किया था। मूल संचार प्राप्त हुआ है, परिसंपत्तियों का जीवन काल 35 वर्ष माना गया और तदनुसार किए गए भुगतान को परिशोधित किया गया एवं पूंजीगत कार्य में प्रगति में दर्शाया गया। चालू वर्ष के दौरान, कंपनी को पश्चिम रेलवे से एक और पत्र दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुआ है, जिसमें भूमि के हिस्से के लिए अतिरिक्त अनंतिम भुगतान और अतिरिक्त जानकारी एवं उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर लेखांकन प्रशोधन (इन परिसंपत्तियों के जीवन काल सहित) के पुनर्मूल्यांकन के लिए कहा गया है। चूंकि उक्त भूमि के अधिग्रहण की नियम और शर्तें अभी भी तैयार नहीं हैं, जिसमें पश्चिमी रेलवे के साथ अस्थायी मूल्यांकन और कंपनी द्वारा किया गया पुनर्मूल्यांकन शामिल है, इसे लेखांकन अनुमान में बदलाव के रूप में माना गया है। तदनुसार, 7,758.17 लाख रुपये की राशि को चालू वर्ष में पूंजीगत अग्रिमों में पुनर्वर्गीकृत किया गया है और 241.83 लाख रुपये की परिशोधन लागत "पूंजीगत कार्य प्रगति पर" के तहत दर्ज की गई है, को भी पूंजीगत अग्रिमों में पुनर्संमूहित किया गया है। नियमों और शर्तों के तैयार होने और अंतिम विचार हेतु लंबित होने तक, भविष्य के लाभ और हानि के विवरण पर अनुमान में उपरोक्त बदलाव का वित्तीय प्रभाव 31 मार्च, 2021 तक सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

नोट 5.1 - विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	1,558.66	1,220.86
कुल	**1,558.66**	**1,220.86**

नोट 5.2 - राइट ऑफ़ यूज़ ऑफ़ एसेट्स

राशि (रु. लाख में)

विवरण	भवन	वाहन	कुल
सकल वाहक राशि			
1 अप्रैल, 2019 को			
इंड एएस-116 के संक्रमण पर समायोजन	1,038.61	208.71	1,247.31
वर्ष के दौरान संवर्धन	22.32	30.84	53.15
निस्तारण/समायोजन	-	-	-
31 मार्च, 2020 को	**1,060.93**	**239.54**	**1,300.47**
वर्ष के दौरान संवर्धन	2,652.76	34.16	2,686.93
निस्तारण/समायोजन	(789.07)	-	(789.07)
31 मार्च, 2021 को	**2,924.62**	**273.69**	**3,198.33**
संचयी मूल्यह्रास तथा खराबियाँ			
1 अप्रैल, 2019 को			
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क	508.93	61.89	570.82
निस्तारण/समायोजन	-	-	-
31 मार्च, 2020 को	**508.93**	**61.89**	**570.82**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क	1,027.74	76.85	1,104.59
निस्तारण/समायोजन	(789.07)	-	(789.07)
31 मार्च, 2021 को	**747.60**	**138.74**	**886.34**
निवल वाहक राशि			
31 मार्च, 2021 को	2,177.02	134.96	**2,311.98**
31 मार्च, 2020 को	552.00	177.65	**729.65**

नोट :- 6
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ - गैर चालू

नोट 6.1 - ऋण

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
विवरण अप्रतिभूत, उचित समझा गया		
कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम (एचबीए) ऋण	16.41	26.18
सुरक्षा जमा	214.49	271.81
कुल	**230.90**	**297.99**

नोट :- 7
आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (निवल)

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
A. आस्थगित कर दायित्व		
सम्पत्ति, संयन्त्र तथा उपकरण	-	8.54
कुल आस्थगित कर दायित्व	**-**	**8.54**
B. आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ		
प्राथमिक व्यय	131.57	118.11
सम्पत्ति, संयन्त्र तथा उपकरण	99.28	-
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान	152.56	113.36
कुल आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ	**383.41**	**231.47**
निवल आस्थगित कर (दायित्व) / परिसम्पत्तियाँ	**383.41**	**222.93**

स्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (दायित्व) में प्रचालन

राशि (रु. लाख में)

विवरण	प्राथमिक व्यय	सम्पत्ति, सयन्त्र तथा उपकरण	कर्मचारी लाभ व्यय	कुल
1 अप्रैल, 2019 को प्रारम्भिक शेष	**17.26**	**(30.36)**	**76.00**	**62.90**
वर्ष के दौरान प्रभारित/ (जमा)				
लाभ एवं हानि को	100.85	21.82	39.71	162.38
अन्य व्यापक आय को	-	-	(2.35)	(2.35)
31 मार्च 2020 को अन्तिम शेष	**118.11**	**(8.54)**	**113.36**	**222.93**
वर्ष के दौरान प्रभारित/ (जमा)				
लाभ एवं हानि को	13.46	107.82	45.16	166.43
अन्य व्यापक आय को	-	-	(5.96)	(5.96)
31 मार्च 2021 को अन्तिम शेष	**131.57**	**99.28**	**152.56**	**383.41**

नोट :- 8

अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
a) अग्रिम पूंजी		
अचल परिसम्पत्तियों हेतु अग्रिम***	6.95	12.40
भूमि अधिग्रहण हेतु अग्रिम	74,398.70	51,751.52
अन्य हेतु अग्रिम****	2,82,859.31	1,76,769.58
b) अन्य		
पूर्व दत्त व्यय उचित मूल्य समायोजन-प्रतिभूति जमा*	29.51	42.90
उचित मूल्य समायोजन-भवन निर्माण अग्रिम (एचबीए)**	7.57	12.63
कुल	**3,57,302.04**	**2,28,589.03**

* यह प्रतिभूति जमा के उचित मूल्य तथा लेन-देन मूल्य के मध्य अन्तर के अपरिशोधित भाग को प्रदर्शित करता है।

** यह भवन निर्माण अग्रिम (एचबीए) ऋण के उचित मूल्य तथा लेन-देन मूल्य के मध्य अन्तर के अपरिशोधित भाग को प्रदर्शित करता है।

*** यह संबंधित पक्षों को दिए गए अग्रिम शून्य रुपये (गत वर्ष 1.84 लाख रुपये) को प्रदर्शित करता है।

**** इसमें कंपनी की ओर से ठेकेदार द्वारा संचालित किए जा रहे बैंक खाते में पड़ी शेष राशि शामिल है जिसमें ठेकेदार को कंपनी के उपयोगिता स्थानांतरण कार्यों के संबंध में निर्दिष्ट लेनदेन करने की अनुमति है। इसलिए, उक्त शेष राशि को पूंजीगत अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है।

नोट :- 9
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ - चालू

नोट 9.1 - नकदी तथा नकदी समतुल्य

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
उपलब्ध मुद्रा	-	-
बैंकों में शेष:		
– चालू खाते में	8,381.70	2,213.08
– फ्लेक्सी खाते में	9,782.98	5,405.80
अग्रदाय खाते में	14.70	13.48
सावधि जमा (3 माह या उससे कम की मूल परिपक्वता सहित)	1,00,000.00	7,571.20
कुल	**1,18,179.38**	**15,203.56**

कंपनी की तत्काल नकदी आवश्यकताओं, और संबंधित अल्पकालिक जमा दरों पर अर्जित ब्याज के आधार पर अल्पकालिक जमा एक दिन और तीन महीने के बीच की अलग-अलग अवधि हेतु किए जाते हैं।

नोट 9.2 - बैंक शेष नकदी तथा नकदी समतुल्य के अतिरिक्त

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
बैंकों में शेष:		
सावधि जमा (3 माह से 12 माह तक मूल परिपक्वता सहित)	-	53,000.00
सावधि जमा (12 माह से अधिक मूल परिपक्वता सहित)	-	-
कुल	**-**	**53,000.00**

नोट 9.3 - ऋण

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
अप्रतिभूत, उचित समझा गया		
कर्मचारी को भवन निर्माण अग्रिम (एचबीए) ऋण	2.55	3.82
प्रतिभूति जमा	498.01	340.75
कुल	**500.56**	**344.57**

नोट 9.4 - अन्य चालू वित्तीय आस्तियाँ (परिशोधन लागत पर)

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
ब्याज प्रोद्भूत किन्तु अवधि एवं सावधि जमाओं पर बकाया नहीं	20.67	769.26
अन्य प्राप्तियाँ	1.64	32.89
ब्याज प्राप्तियाँ	307.53	88.92
कुल	**329.84**	**891.07**

नोट :- 10

अन्य चालू परिसंपत्तियां

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
पूँजी अग्रिम के अतिरिक्त अग्रिम		
व्ययों हेतु अग्रिम	66.38	5.35
अन्य		
पूर्वदत्त व्यय	247.16	51.11
उचित मूल्य समायोजन-प्रतिभूति जमा*	20.63	19.40
उचित मूल्य समायोजन-भवन निर्माण अग्रिम (एचबीए)**	0.76	1.20
अग्रिम-एचएसआर इनोवेशन ट्रस्ट	3.52	3.52
नई एचएसआर परियोजनाओं पर खर्च (संदर्भ नोट 17.1)	1,846.75	238.74
कुल	**2,185.20**	**319.32**

* यह प्रतिभूति जमा के उचित मूल्य तथा लेन-देन मूल्य के मध्य अन्तर के अपरिशोधित भाग को प्रदर्शित करता है।

** यह भवन निर्माण अग्रिम (एचबीए) ऋण के उचित मूल्य तथा लेन-देन मूल्य के मध्य अन्तर के अपरिशोधित भाग को प्रदर्शित करता है।

नोट :- 11

इक्विटी शेयर पूँजी

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
अधिकृत शेयर पूँजी		
प्रत्येक रु. 1000 के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर	20,00,000.00	20,00,000.00
(31 मार्च, 2020 को प्रत्येक रु. 1000 के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर)	20,00,000.00	20,00,000.00
निर्गत/अभिदत्त तथा प्रदत्त पूँजी		
प्रत्येक रु. 1000 के 9,58,00,000 इक्विटी शेयर	9,58,000.00	7,58,000.00
(31 मार्च, 2020 को प्रत्येक रु. 1000 के 7,58,00,000 इक्विटी शेयर)	9,58,000.00	7,58,000.00

नोट 11.1 - इक्विटी शेयरों तथा शेयर पूँजी की संख्या का समाधान विवरण

विवरण	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
	शेयरों की संख्या	राशि (रु. लाख में)	शेयरों की संख्या	राशि (रु. लाख में)
प्रारम्भ में निर्गत/अभिदत्त तथा प्रदत्त इक्विटी पूँजी	7,58,00,000	7,58,000	2,45,50,000	2,45,500
बकाया जोड़: अवधि के दौरान निर्गत शेयर	2,00,00,000	2,00,000	5,12,50,000	5,12,500
वर्ष के अन्त में निर्गत/अभिदत्त एवं प्रदत्त इक्विटी	**9,58,00,000**	**9,58,000**	**7,58,00,000**	**7,58,000**

नोट 11.2 - शेयर से सम्बद्ध अधिकार, वरीयता तथा प्रतिबन्ध

कंपनी के पास केवल एक ही वर्ग के इक्विटी शेयर हैं जिन्हें इक्विटी शेयरों के रूप में सन्दर्भित किया गया है जिसका सममूल्य रु. 1000/- है। प्रत्येक शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में इक्विटी शेयरधारक समस्त अधिमान्य राशियों के वितरण के पश्चात कंपनी की किसी भी शेष परिसम्पत्तियों को प्राप्त करने का हकदार हैं। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान शेयरधारकों को वितरण हेतु घोषित लाभांश शून्य (पिछला वर्ष: शून्य) था।

नोट 11.3 - कंपनी में कुल शेयरों के 5% से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
	शेयरों की संख्या	% धारिता	शेयरों की संख्या	% धारिता
इकिटी शेयर				
रेल मंत्रालय, भारत सरकार तथा इसके नामित	8,95,00,000	93.42%	7,45,00,000	98.28%
गुजरात सरकार	63,00,000	6.58%	13,00,000	1.72%
कुल	**9,58,00,000**	**100.00%**	**7,58,00,000**	**100.00%**

नोट 11.4 - रिपोर्टिंग तिथि से ठीक पहले पांच वर्षों की अवधि के दौरान कोई इक्विटी शेयर बोनस के रूप में या नकद के अलावा अन्य रुप में जारी नहीं किए गए थे और कोई शेयर वापस नहीं खरीदा गया था।

नोट :- 12
अन्य इक्विटी

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
प्रतिधारित आय (नोट 12.1 का सन्दर्भ लें)	14,134.55	12,074.16
शेयर अनुप्रयोग धन लम्बित आवंटन (नोट 12.2 का सन्दर्भ लें)	1,00,000.00	-
कुल	**1,14,134.55**	**12,074.16**

नोट 12.1 - प्रतिधारित आय

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
प्रारंभिक शेष	12,074.16	6,947.63
जोड़ : अवधि के दौरान लाभ	2,242.66	5,626.82
घटाया : शेयर निर्गमन व्यय	(200.00)	(512.50)
जोड़ : पूर्व-अवधि समायोजन	-	5.21
जोड़ : निबल आय कर के परिभाषित लाभ दायित्व के पुनर्मूल्यन से उत्पन्न अन्य व्यापक आय	17.73	7.00
अन्तिम शेष	**14,134.55**	**12,074.16**

आरक्षियों की प्रकृति तथा उद्देश्य:

(a) आरक्षित आय

आरक्षित आय कंपनी के अविभाजित मुनाफे का प्रतिनिधित्व करती है।

नोट 12.2 - शेयर अनुप्रयोग धन लंबित आवंटन

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
प्रारंभिक शेष	-	60,000.00
जोड़ : अवधि के दौरान प्राप्त शेयर अनुप्रयोग धन	3,00,000.00	4,52,500.00
घटाया : वर्ष के दौरान निर्गत शेयर	(2,00,000.00)	(5,12,500.00)
अन्तिम शेष	**1,00,000.00**	**-**

नोट :- 13

वित्तीय दायित्व - गैर चालू

नोट 13.1 - अन्य वित्तीय दायित्व (परिशोधन लागत पर)

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
रेल मंत्रालय से अग्रिम (नोट 13.1.1 का सन्दर्भ लें)	2,00,000.00	10,000.00
प्रतिभूति जमा	4,463.49	463.18
पट्टे देयताएं	1,652.60	192.06
कुल	**2,06,116.09**	**10,655.24**

नोट 13.1.1 - वित्त मंत्रालय (एमओएफ) ने मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एमएएचएसआर) परियोजना हेतु ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी ("जेआईसीए") के साथ कुछ समझौते निष्पादित किए हैं। चुकौती अवधि 50 वर्ष (15 वर्ष की छूट अवधि सहित) है। ब्याज दर 0.1% प्रतिवर्ष है।

प्रयोजन	परियोजना के लिए प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण	एमएएचएसआर का निर्माण	एमएएचएसआर का निर्माण
स्वीकृत ऋण राशि (मिलियन जेपीवाई में)	10,453	89,547	1,50,000
ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने की तिथि	15.09.2017	28.09.2018	29.10.2018

नतीजतन, रेल मंत्रालय ("एमओआर") ने 31 मार्च 2021 तक जेआईसीए ऋण के संदर्भ में बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना ("ईएपी") के रूप में कंपनी को 200,000/- लाख रुपये की आंशिक राशि जारी की है।

कंपनी और एमओआर के बीच उपरोक्त ईएपी के संबंध में नियम और शर्तें इन वित्तीय विवरणों की तिथि तक विचाराधीन हैं। संबंधित नियमों और शर्तों को अंतिम रूप देने तक, कंपनी ने उपरोक्त ईएपी को "वित्तीय देनदारियों-गैर-वर्तमान" शीर्ष के तहत अन्य देय राशि के रूप में प्रस्तुत किया है और इन वित्तीय विवरणों में कोई परिणामी खर्च दर्ज नहीं किया गया है।

नोट :- 14
प्रावधान गैर - चालू

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	393.62	231.44
सामान / समायोजन भत्ते हेतु प्रावधान	18.81	15.84
यात्रा भत्ता हेतु प्रावधान	68.20	63.13
कुल	**480.63**	**310.41**

नोट :- 15
अन्य गैर - चालू दायित्व

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
प्रतिभूति जमाओं में उचित मूल्य समायोजन	611.21	14.56
कुल	**611.21**	**14.56**

नोट :- 16
वित्तीय दायित्व - चालू

नोट 16.1 - अन्य वित्तीय दायित्व (परिशोधन लागत पर)

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
अन्य देयताएँ*	18,163.58	4,380.76
देय वेतन	27.90	7.39
प्रतिभूति जमा	1,557.14	1,001.93
पट्टा देयताएँ	808.20	569.72
कुल	**20,556.82**	**5,959.80**

* अन्य देय गैर-ब्याज वाले लिखत हैं।

नोट :- 17
अन्य चालू दायित्व

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
विधिक बकाये		
ग्राहक से अग्रिम (नोट 17.1 देखें)	10,207.00	-
अन्य		
विधिक बकाये	2,804.70	577.28
प्रतिभूति जमाओं में उचित मूल्य समायोजन	229.07	26.92
कुल	**13,240.77**	**604.20**

नोट 17.1 - रेल मंत्रालय (एमओआर) ने भारत के कुछ निर्दिष्ट स्थानों में सात हाई स्पीड रेल ("एचएसआर") कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ("डीपीआर रिपोर्ट") तैयार करने का काम सौंपा है। तदनुसार, कंपनी को उक्त कार्य के संबंध में 31 मार्च, 2021 (31 मार्च, 2020: शून्य) को समाप्त वर्ष के दौरान 10,207/- लाख रुपये का अग्रिम प्राप्त हुआ है।

उक्त डीपीआर परियोजनाओं पर लागू नियम और शर्तें अभी भी विचाराधीन हैं और 31 मार्च, 2021 तक सभी कॉरिडोर का कार्य प्रगति पर है। नियमों और शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए, इन डीपीआर पर 31 मार्च, 2021 तक किए गए व्यय को "अन्य चालू परिसंपत्तियां" के तहत माना जाता है और एमओआर से प्राप्त अग्रिमों को "ग्राहक से अग्रिम" के रूप में प्रकट किया गया है।

नोट :- 18

प्रावधान-चालू

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
सीएसआर व्यय के लिए प्रावधान	-	45.65
उपदान हेतु प्रावधान	83.66	107.48
अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान	28.89	9.93
सामान/निपटान के लिए प्रावधान	0.20	0.11
यात्रा भत्ता हेतु प्रावधान	10.55	9.77
सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ हेतु प्रावधान	2.42	12.84
कुल	**125.72**	**185.78**

नोट :- 19

चालू कर परिसंपत्तियां (निवल) /वर्तमान कर देयता (निवल)

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
वर्तमान कर परिसंपत्तियां		
वर्तमान कर हेतु प्रावधान	-	(1,621.12)
अग्रिम कर तथा स्रोत पर कर	-	1,746.59
कटौती आयकर पिछले वर्ष वापसी योग्य	125.22	217.55
कुल	**125.22**	**343.02**
वर्तमान कर देयता		
वर्तमान कर हेतु प्रावधान	463.87	-
अग्रिम कर तथा स्रोत पर कर	(414.63)	-
कुल	**49.24**	**-**

नोट :- 20

अन्य आय

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
ब्याज से आय		
एफडीआर पर ब्याज आय	749.55	7,700.65
ब्याज आय -फ्लेक्सी खाता	1,492.17	34.50
ब्याज आय -अन्य	1,168.31	53.96
कर्मचारी से एचबीए ऋण की ब्याज आय	6.42	3.17
वित्तीय आस्तियों पर ब्याज आय	18.47	23.84
अन्य गैर-परिचालन आय		
अन्य प्राप्तियां	200.06	-
वित्तीय देनदारियों का परिशोधन	58.09	10.19
कुल	**3,693.07**	**7,826.31**

नोट :- 21

कर्मचारी लाभ व्यय

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन, मजदूरी तथा बोनस	6,548.30	5,276.15
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	514.06	440.12
स्टाफ कल्याण व्यय	1,031.82	760.66
कुल	**8,094.18**	**6,476.93**
घटाया : सीडब्लयूआईपी में अन्तरित	(7,939.01)	(6,385.34)
कुल	**155.17**	**91.59**

नोट :- 22

वित्त लागत

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
कर पर ब्याज	0.10	4.87
प्रतिभूति जमा पर ब्याज की मोचन	123.81	9.93
पट्टा देनदारी पर ब्याज	278.38	105.99
	402.29	**120.79**
घटाया : सीडब्लयूआईपी में अन्तरित	(400.85)	(114.94)
कुल	**1.44**	**5.85**

नोट :- 23

मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
मूर्त परिसम्पत्तियों का मूल्य ह्रास (नोट-3 का सन्दर्भ लें)	1,144.75	461.96
अमूर्त परिसम्पत्तियों का परिशोधन (नोट-5 का सन्दर्भ लें)	202.27	312.11
राइट ऑफ़ यूज़ एसेट्स का परिशोधन (नोट-5.2 का सन्दर्भ लें)	1,104.59	570.82
कुल	**2,451.61**	**1,344.89**
घटाया : सीडब्लयूआईपी में अन्तरित	(2,241.63)	(1,329.55)
कुल	**209.98**	**15.34**

नोट :- 24

अन्य व्यय

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
कार्यालय का भाड़ा	515.47	489.26
शुल्क, दरें तथा कर	117.53	62.04
मरम्मत, रखरखाव तथा अन्य	157.24	159.34
ऊर्जा तथा ईंधन	138.83	102.78
यात्रा व्यय	864.33	1,154.30
लेखा परीक्षकों को भुगतान (नोट 24.1 का सन्दर्भ लें)	2.62	2.61
विधिक एवं पेशेवर शुल्क	247.00	108.51
मुद्रण तथा स्टेशनरी	95.23	73.64
संचार व्यय	90.66	89.34
पुस्तकें तथा पीरियाडिकल्स	0.97	9.36
अतिथि सत्कार	10.48	45.40
मिश्रित व्यय	18.17	696.51
गृह प्रबंधन व्यय	312.72	263.20
श्रम शक्ति की आउटसोर्सिंग	1,774.24	1,600.81
विज्ञापन व्यय	11.18	71.84
वेबसाइट विकास प्रभार	27.14	30.07
सीएसआर व्यय	107.47	67.00
विदेशी मुद्रा हानि (निवल)	37.02	0.32
कुल	**4,528.30**	**5,026.33**
घटाया : सीडब्लयूआईपी में अन्तरित	(3,741.33)	(4,400.96)
कुल	**786.97**	**625.37**

नोट 24.1 - लेखापरीक्षकों के भुगतान का विवरण

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
लेखापरीक्षकों को भुगतान		
लेखापरीक्षा शुल्क	2.50	2.50
ऊपरी व्यय	0.12	0.11
कुल	**2.62**	**2.61**

नोट :- 25

आय कर व्यय

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
चालू आय कर:		
चालू आयकर प्रभार	463.87	1,621.12
पूर्व वर्ष का आय कर	(0.59)	2.60
आस्थगित कर:		
चालू वर्ष के परिप्रेक्ष्य में	(166.43)	(162.38)
कुल	296.85	1,461.34

अन्य व्यापक आय में आय कर व्यय

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
आस्थगित कर:		
चालू वर्ष के परिप्रेक्ष्य में	5.96	2.35
	5.96	**2.35**
कुल कर व्यय	**302.81**	**1,463.69**

कर व्यय तथा लेखा लाभ के मध्य समाधान :

राशि (रु. लाख में)

विवरण	**31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु**
जारी प्रचालनों से लेखा कर पूर्व लाभ	2,563.20	7,097.51
आय कर से पूर्व लेखा लाभ	**2,563.20**	**7,097.51**
भारत के विधिक आय कर दर **25.168%** (गत वर्ष 25.168%)	645.10	1,786.30
उन राशियों पर प्रभावित कर, जो कर योग्य आय की गणना में घटाव योग्य (कर योग्य) नहीं हो		
इंड एएस समायोजन (निवल)	(20.93)	(19.88)
विलम्ब से जमा कर पर प्रदत्त ब्याज	0.02	1.23
पूर्व निर्धारण वर्ष में प्राथमिक व्ययों की अनुमति नहीं दी	-	(13.91)
शेयर जारी करने में व्यय के लिए समायोजन	(36.88)	(26.81)
कर की दर में बदलाव के कारण विलंबित कर समायोजन	(160.47)	(160.02)
मूल्यह्रास का समायोजन	(150.50)	(119.93)
कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी	27.05	14.11
पिछले वर्ष का आयकर व्यय	(0.59)	2.60
	302.81	**1,463.69**
आय कर व्यय के लाभ एवं हानि के विवरण में प्रतिवेदित किया गया (चालू प्रचालनों से सम्बद्ध)	302.81	1,463.69
प्रभावी कर की दर	**11.81%**	**20.62%**

नोट :- 26

अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के घटक

राशि (रु. लाख में)

विवरण	**एफवीटीओसीआई रिजर्व**	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु**
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापीकरण	23.69	9.35
कुल	**23.69**	**9.35**
परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मापीकरण पर कर	(5.96)	(2.35)
कुल	**(5.96)**	**(2.35)**

नोट :- 27

प्रति शेयर आय (ईपीएस)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ प्रति शेयर)	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ प्रति शेयर)
मूल ईपीएस		
जारी प्रचालन से (नोट 27.1 का सन्दर्भ लें)	2.67	9.60
असतत प्रचालन से (नोट 27.1 का सन्दर्भ लें)	-	-
द्रवीकृत ईपीएस		
जारी प्रचालन से (सन्दर्भ नोट 27.2)	2.66	9.60
असतत प्रचालन से (सन्दर्भ नोट 27.2)	-	-

नोट 27.1 - प्रति शेयर मूल आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त आय तथा इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या :

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
कंपनी के इक्विटी धारकों को गुणारोपित लाभ:		
जारी प्रचालन से (₹ लाख में)	2,242.65	5,626.83
असतत प्रचालन से (₹ लाख में)	-	-
प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त आय (रु. लाख में)	**2,242.65**	**5,626.83**
प्रति शेयर मूल आय के उद्देश्य हेतु शेयरों की भारित औसत संख्या (शेयरों की संख्या लाख में)	838.55	586.08
जारी प्रचालन से	2.67	9.60
असतत प्रचालन से	-	-

नोट 27.2 - प्रति शेयर द्रवीकृत आय

प्रति शेयर द्रवीकृत आय की गणना में प्रयुक्त आय तथा इक्विटी की भारित औसत संख्या:-

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
कंपनी के इक्विटी धारकों को गुणारोपित लाभ:		
जारी प्रचालन से (₹ लाख में)	2,242.65	5,626.83
असतत प्रचालन से (₹ लाख में)	-	-
सतत प्रचालनों से प्रति शेयर द्रवीकृत आय की गणना में प्रयुक्त	**2,242.65**	**5,626.83**
जारी प्रचालन से	2.66	9.60
असतत प्रचालन से	-	-

प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के लिए समाधानीत प्रति शेयर द्रवीकृत आय के उद्देश्य से इक्विटी शेयरों की भारित संख्या निम्न है:

विवरण	**31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु**
प्रति शेयर मूल आय के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या (शेयरों की संख्या लाख में)	838.55	586.08
डाइल्यूशन का प्रभाव :	3.42	-
प्रति शेयर द्रवीकृत आय के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या (शेयरों की संख्या लाख में)	**841.97**	**586.08**

नोट :- 28

(i) <u>पूंजी प्रबंधन</u>

कंपनी का उद्देश्य अपनी पूंजी का प्रबंधन इस तरह से करना है कि एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की उनकी क्षमता को सुनिश्चित तथा सुरक्षित किया जा सके, ताकि कंपनी शेयरधारकों को अधिकतम प्रतिलाभ तथा अन्य हितधारकों को लाभ उपलब्ध कराना जारी रख सके। कंपनी के पास 31 मार्च, 2021 तक कोई उधारी नहीं थी।

आगे पुन: कंपनी आर्थिक स्थितियों तथा वित्तीय प्रसंविदाओं की वांछनीयताओं में परिवर्तन के आलोक में समायोजन करने हेतु अपनी पूँजी संरचना का प्रबन्धन करती है। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान पूँजी प्रबन्धन के उद्देश्य, नीतियों अथवा प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

(ii) 31 मार्च 2021 तक वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं का समाधान

राशि (रु. लाख में)

विवरण	पट्टे की देयताएं	इक्विटी शेयर पूंजी	स्टाम्प शुल्क देय	आवेदन राशि शेयर	रेल मंत्रालय की ओर से ईएपी की ओर अग्रिम	कुल
1 अप्रैल, 2019 को शेष	**-**	**2,45,500.00**	**55.00**	**-**	**-**	**2,45,555.00**
इंड एएस 116 के अंगीकरण पर मान्यता	1,247.32	-	-	-	-	1,247.32
1 अप्रैल, 2019 को पुनः कथित शेष	**1,247.32**	**2,45,500.00**	**55.00**	**-**	**-**	**2,46,802.32**
नकद प्रवाह:-						
- भुगतान	(644.69)	-	(467.50)	-	-	(1,112.19)
- आगम	-	4,52,500.00	-	-	10,000.00	4,62,500.00
गैर-नकद:-						
- वर्ष के दौरान संवर्धन	53.16	-	512.50	-	-	565.66
- उचित मूल्य	106.00	-	-	-	-	106.00
- इक्विटी शेयर पूंजी के रूप में शेयर आवेदन धन की मान्यता	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
31 मार्च, 2020 को शेष	**761.78**	**7,58,000.00**	**100.00**	**-**	**10,000.00**	**7,68,861.78**
इंड एएस 116 के अंगीकरण पर मान्यता	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल, 2020 को पुनः कथित शेष	**761.78**	**7,58,000.00**	**100.00**	**-**	**10,000.00**	**7,68,861.78**
नकद प्रवाह:-						
- भुगतान	(1,266.29)	-	(240.00)	-	-	(1,506.29)
- आगम	-	2,00,000.00	-	1,00,000.00	1,90,000.00	4,90,000.00
गैर-नकद:-						
- वर्ष के दौरान संवर्धन	2,686.93	-	200.00	-	-	2,886.93
- उचित मूल्य	278.38	-	-	-	-	278.38
- इक्विटी शेयर पूंजी के रूप में शेयर आवेदन धन की मान्यता	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2021 को शेष	**2,460.80**	**9,58,000.00**	**60.00**	**1,00,000.00**	**2,00,000.00**	**12,60,520.80**

नोट :- 29

उचित मूल्य मापन

(i) श्रेणीवार वित्तीय विलेख

राशि (रु. लाख में)

.	31 मार्च 2021 को			31 मार्च 2020 को		
	एफवीटीपीएल*	एफवीटीओसीआई**	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल*	एफवीटीओसीआई **	परिशोधित लागत
वित्तीय आस्तियां						
(i) प्रतिभूति जमा	-	-	712.50	-	-	612.56
(ii) कर्मचारियों हेतु एचबीए ऋण	-	-	18.96	-	-	30.00
(iii) नकदी तथा नकदी समतुल्य	-	-	1,18,179.38	-	-	15,203.56
(iv) ऊपर (iii) के अतिरिक्त बैंक शेष	-	-	-	-	-	53,000.00
(v) अन्य	-	-	329.84	-	-	891.07
कुल वित्तीय आस्तियां	**-**	**-**	**1,19,240.68**	**-**	**-**	**69,737.19**
वित्तीय दायित्व						
(i) प्रतिभूति जमा	-	-	6,020.63	-	-	1,465.11
(ii) रेल मंत्रालय से अग्रिम (इएपी की ओर)	-	-	2,00,000.00	-	-	10,000.00
(iii) पट्टा दायित्व	-	-	2,460.80	-	-	761.78
(iv) अन्य	-	-	18,191.48	-	-	4,388.15
कुल वित्तीय दायित्व	**-**	**-**	**2,26,672.91**	**-**	**-**	**16,615.04**

* लाभ तथा हानि से उचित मूल्य

** अन्य व्यापक आय से उचित मूल्य

(ii) आस्तियाँ तथा दायित्व जिन्हें उस परिशोधित लागत पर मापित किया गया जिसके लिए उचित मूल्यों का प्रकटन किया गया है।

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
	वाहक मूल्य	उचित मूल्य	वाहक मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय आस्तियाँ				
प्रतिभूति जमा	712.50	877.68	612.56	766.91
कर्मचारियों को ऋण	18.96	20.22	30.00	30.48
कुल वित्तीय आस्तियाँ	**731.46**	**897.90**	**642.56**	**797.39**
वित्तीय दायित्व				
प्रतिभूति जमा	6,020.63	6,439.01	1,465.11	1,459.35
कुल वित्तीय दायित्व	**6,020.63**	**6,439.01**	**1,465.11**	**1,459.35**

a. अल्पकालीन प्रतिभूति जमा की वाहक राशि, नकदी तथा नकदी समतुल्य एवं अन्य अल्पकालीन प्राप्तियों तथा अन्य देयताओं को अल्पकालीन प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य के समान माना गया है।

b. दीर्घकालीन प्रतिभूति जमाओं के उचित मूल्य की गणना वर्तमान बाजार दर का प्रयोग करते पट्टाकृत नकदी प्रवाह पर की गयी है। उन्हें अप्रेक्षणीय इनपुट के समावेश के कारण उचित मूल्य पदानुक्रम के लेवल-3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

उचित मूल्य पदानुक्रम

लेवल 1 - समरूप आस्तियों अथवा दायित्वों हेतु सक्रिय बाजार में कोट किये गये मूल्य (असमायोजित)

लेवल 2 – कोट किये गये मूल्यों के अतिरिक्त इनपुट को लेवल 1 में शामिल किया गया है जो परिसम्पत्तियों (आस्तियों) हेतु या तो प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात मूल्य के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात मूल्यों से व्युत्पन्न) प्रेक्षणीय हैं।

लेवल 3 - आस्तियों या दायित्वों हेतु इनपुट जो प्रेक्षणीय बाजारी डाटा (अप्रेक्षणीय इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

निम्नलिखित तालिका आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर तथा परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय आस्तियों तथा दायित्वों के उचित मूल्य मापन पदानुक्रम को प्रस्तुत करती है:

31 मार्च, 2021 को वित्तीय आस्तियों हेतु उचित मूल्य मापन पदानुक्रम का परिमाणात्मक प्रकटन:

राशि (रु. लाख में)

विवरण	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3	कुल
कुल परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय आस्तियों जिसके लिए उचित मूल्य प्रकटित किये गये हैं:				
प्रतिभूति जमा	-	-	877.68	877.68
कर्मचारी ऋण	-	-	20.22	20.22
	-	**-**	**897.90**	**897.90**

31 मार्च, 2021 को वित्तीय दायित्वों हेतु उचित मूल्य मापन पदानुक्रम का परिमाणात्मक प्रकटन:

राशि (रु. लाख में)

विवरण	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3	कुल
विवरण परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय दायित्व जिसके लिए उचित मूल्य प्रकटित किय गये हैं:				
प्रतिभूति जमा	-	-	6,439.01	6,439.01
	-	**-**	**6,439.01**	**6,439.01**

31 मार्च, 2020 को वित्तीय आस्तियों हेतु उचित मूल्य मापन पदानुक्रम का परिमाणात्मक प्रकटन:

राशि (रु. लाख में)

विवरण	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3	कुल
कुल परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय आस्तियों जिसके लिए उचित मूल्य प्रकटित किये गये हैं:				
प्रतिभूति जमा	-	-	766.91	766.91
कर्मचारी ऋण	-	-	30.48	30.48
	-	**-**	**797.39**	**797.39**

31 मार्च, 2020 को वित्तीय दायित्वों हेतु उचित मूल्य मापन पदानुक्रम का परिमाणात्मक प्रकटन:

राशि (रु. लाख में)

विवरण	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3	कुल
विवरण परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय दायित्व जिसके लिए उचित मूल्य प्रकटित किय गये हैं:				
प्रतिभूति जमा	-	-	1,459.35	1,459.35
	-	**-**	**1,459.35**	**1,459.35**

नोट :- 30
वित्तीय जोखिम प्रबन्धन

वित्तीय विलेखों के सम्बन्ध में कंपनी विभिन्न जोखिमों से संवेदनशील है। कंपनी के सम्मुख बाजारी जोखिम, साख जोखिम तथा तरलता जोखिम हैं। कंपनी के वित्तीय जोखिम की गतिविधियों का नियन्त्रण उचित नीतियों तथा प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है और उन वित्तीय जोखिमों को कंपनी की नीतियों तथा जोखिम उद्देश्यों के अनुरूप चिह्नित, मापित तथा प्रबन्धित किया जाता है जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:

क) बाजारी जोखिम

बाजारी जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय विलेख का भावी नकदी प्रवाह बाजार के मूल्यों में परिवर्तन के कारण घटेगा-बढ़ेगा। बाजारी जोखिम में ब्याज दर जोखिम तथा विदेशी मुद्रा जोखिम शामिल हैं। कंपनी को ब्याज दर का कोई जोखिम नहीं है क्योंकि कंपनी के पास प्रतिवेदन की तिथि तक कोई ऋण/उधारी नहीं है।

ख) विदेशी मुद्रा जोखिम

विनिमय में उतार-चढ़ाव भारत से बाहर कार्य से सम्बद्ध परियोजना हेतु सेवाओं के आयात के कारण होता है। कंपनी के पास विदेशी विनिमय जोखिम से बचने के लिए कोई अवरोधक विलेख नहीं है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी का विदेशी मुद्रा जोखिम में महत्वपूर्ण जोखिम इस प्रकार है:

राशि (रु. लाख में)

विवरण	यूएसडी	जेपीवाई
31 **मार्च** 2021 **को**		
आस्तियाँ: ठेकेदारों को अग्रिम	24019.62	456.34
31 **मार्च** 2020 **को**		
आस्तियाँ: ठेकेदारों को अग्रिम	-	-

विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता

निम्नलिखित तालिकाएं यूएसडी और जेपीवाई विनिमय दरों में यथोचित संभावित परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करती हैं, जिसमें अन्य सभी चर स्थिर हैं। कंपनी के कर पूर्व लाभ पर प्रभाव मौद्रिक आस्तियों और

देनदारियों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण पड़ा है। अन्य सभी मुद्राओं के लिए विदेशी मुद्रा में कंपनी का एक्सपोजर भौतिक नहीं है।

राशि (रु. लाख में)

	यूएसडी दर में परिवर्तन	कर पूर्व लाभ पर प्रभाव
31 मार्च 2021 को	5% -5%	927.17 (927.17)
31 मार्च 2020 को	-	-

राशि (रु. लाख में)

	जेपीवाई दर में परिवर्तन	कर पूर्व लाभ पर प्रभाव
31 मार्च 2021 को	5% -5%	22.82 (22.82)
31 मार्च 2020 को	-	-

ग) साख जोखिम

प्रतिपक्षी द्वारा इसके दायित्व पर चूक का जोखिम है जिससे वित्तीय क्षति होती है। कंपनी विभिन्न वित्तीय विलेखों के साख जोखिम के प्रति संवेदनशील है उदाहरणार्थ कर्मचारियों को अग्रिम, प्रतिभूति जमा एवं अन्य प्राप्तियाँ। साख जोखिम के प्रति अधिकतम संवेदनशीलता वित्तीय आस्तियों के वाहक मूल्य के बराबर होती है।

घ) वित्तीय विलेख तथा नकदी जमा

बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के साथ शेषों के साख जोखिम का प्रबन्धन कंपनी की नीतियों के अनुरूप किया जाता है। अधिशेष के निवेश केवल प्रतिरूपी से प्राप्त वित्तीय कोट के आधार पर अनुमोदित प्रतिरूपी के साथ किया जाता है।

ङ) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम कंपनी की तरलता आवश्यकताओं की निगरानी मासिक अनुमानों के आधार पर की जाती है। कंपनी की तरलता के प्रमुख स्रोत शेयर पूँजी के निर्गमन से उत्पन्न नकदी तथा नकदी समतुल्य।

कंपनी हमारी तरलता आवश्यकताओं का प्रबन्धन नकदी अन्तर्ग्रवाह की सतत निगरानी तथा पर्याप्त नकदी एवं नकदी समतुल्यों के अनुरक्षण द्वारा करती है। किसी कमी के निर्धारण के लिए निबल नकदी आवश्यकताओं की तुलना उपलब्ध नकदी से की जाती है। अल्पकालीन तरलता आवश्यकताओं में प्रमुख रूप से परियोजना सम्बन्धी कार्य हेतु देय व्यय, कर्मचारियों के बकाये, प्रतिभूति जमा तथा प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर प्रकार्य के सामान्य प्रचालन के दौरान उत्पन्न प्रतिधारण राशि शामिल हैं।

नोट :- 31

आकलन तथा अभिधारणाएं

नीचे भविष्य से सम्बन्धित प्रमुख अभिधारणाएँ तथा प्रतिवेदन अवधि के अन्त में आकलन अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत हैं जिनमें आगामी वित्त वर्ष की आस्तियों की वाहक राशि तथा दायित्वों में तात्विक समायोजन के पर्याप्त जोखिम हो सकता है:

क) उचित मूल्यांकन मापन तथा मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय दायित्वों के उचित मूल्यों का मापन डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों के प्रयोग द्वारा किया जाता है। इन विधियों के लिए इनपुट जहाँ सम्भव हो प्रेक्षणीय बाजारों से किन्तु जहाँ व्यवहार्य न हो तो उचित मूल्य प्राप्त करने में वांछित निर्णय की मात्रा से लिए जाते हैं। निर्णयों में इनपुटों के विचार जैसे तरलता जोखिम, साख जोखिम तथा परिवर्तनशीलता शामिल हैं। इन कारकों के विषय में अभिधारणाओं में परिवर्तन वित्तीय विलेखों के प्रतिवेदित उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

ख) कर

आस्थगित कर आस्तियों की मान्यता है कि यह सम्भव है कि करयोग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध क्षतियों का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर आस्तियों की राशि के निर्धारण के लिए उचित प्रबन्धन निर्णय अपेक्षित है जिसे उपयुक्त समय तथा भावी करयोग्य लाभ के स्तर और भावी कर योजना नीतियों के आधार पर चिन्हित किया जा सकता है।

ग) सम्पत्ति, संयन्त्र तथा उपकरण का उपयोगी जीवन

सम्पत्ति, संयन्त्र तथा उपकरण के उपयोगी जीवन का अनुमान कालातीत, माँग, प्रतिस्पर्धा तथा अन्य आर्थिक कारकों सहित अनेक कारकों पर निर्भर करता है। कंपनी प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि के अन्त में सम्पत्ति, संयन्त्र तथा उपकरण के उपयोगी जीवन की समीक्षा करती है।

घ) पट्टों

कंपनी यह निर्धारित करने में अपने अनुमान का उपयोग करती है कि अनुबंध में पटे हैं या नहीं, पट्टा समझौते का विस्तार विकल्प और पटे समझौते का समाप्ति विकल्प का उपयोग किया जाएगा या नहीं। इसके अलावा, कंपनी पट्टों के उपयोग और पट्टे की उचित छूट दर की गणना में अनुमान का उपयोग करती है।

नोट :- 32

सम्बद्ध पक्ष प्रकटीकरण

नोट 32.1 - सम्बद्ध पक्ष

नोट 32.1.1 - इकाई के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	पदनाम
सुनीत शर्मा (19-01-2021 से प्रभावी)	अंशकालिक अध्यक्ष
सतीश चंद्र अग्निहोत्री (01-07-2021 से प्रभावी)	प्रबंध निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक)
अचल खरे (30-06-2021 तक)	प्रबंध निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक)
राजेन्द्र प्रसाद	निदेशक परियोजना (पूर्णकालिक निदेशक)
अरुण बिजलवान	निदेशक वित्त (पूर्णकालिक निदेशक)
विजय कुमार	निदेशक रॉलिंग स्टॉक (पूर्णकालिक निदेशक)
संदीप कुमार	निदेशक विद्युत एवं प्रणाली (पूर्णकालिक निदेशक)
रवींद्र नाथ सिंह	अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक
अंजू रंजन	अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक
प्रभातकुमार रमनलाल पटेलिया	अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक
विनोद कुमार यादव (31 दिसंबर 2020 तक)	अंशकालिक अध्यक्ष
सुमीता शर्मा	कंपनी सचिव

नोट 32.1.2 - अन्य सम्बद्ध पक्ष

अन्य सम्बद्ध पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति
एनएचएसआरसीएल कर्मचारी समूह उपदान न्यास	सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ न्यास
एनएचएसआरसीएल चिकित्सा न्यास	सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ न्यास
एचएसआर इनोवेशन सेंटर न्यास	अनुसंधान एवं विकास न्यास

नोट 32.2 - सम्बद्ध पक्षों के लेन-देन तथा शेष

नोट 32.2.1 - प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिकों की क्षतिपूर्ति:

वर्ष के दौरान निदेशकों तथा प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिकों के अन्य सदस्यों का पारिश्रमिक निम्नवत था:

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
अल्पकालीन लाभ	273.85	248.42
रोजगार पश्चात लाभ	56.86	57.65
अन्य दीर्घकालीन लाभ	23.03	20.24
	353.74	**326.31**

नोट 32.2.2 - न्यास के साथ लेन-देन

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
एनएचएसआरसीएल कर्मचारी समूह उपदान न्यास	107.48	-
एनएचएसआरसीएल चिकित्सा न्यास	12.84	32.56
एचएसआर इनोवेशन सेंटर न्यास	304.78	3.52
	425.10	**36.08**

नोट 32.3 - संबंधित सरकारी संस्थाओं के साथ लेनदेन

उपर्युक्त कथित लेन-देनों के अतिरिक्त कंपनी ने सरकारी संस्थाओं से सम्बद्ध लेन-देन किये हैं जो निम्नलिखित शामिल हैं किन्तु सीमित नहीं हैं :

सरकार का नाम - रेल मंत्रालय, भारत सरकार (संस्था पर पूर्ण नियन्त्रण) तथा गुजरात सरकार

वित्त वर्ष 2020-21 **और** 2019-20 **के दौरान किये गये कुछ प्रमुख लेन-देन:**

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	
	रेल मंत्रालय (एमओआर)	गुजरात सरकार	रेल मंत्रालय (एमओआर)	गुजरात सरकार
इक्विटी शेयर पूँजी से प्राप्त राशि	1,50,000.00	1,50,000.00	4,50,000.00	2,500.00
रेल मंत्रालय से अग्रिम	1,90,000.00	-	-	-
परियोजनाओं के लिए प्राप्त अग्रिम (अनुबंध देनदारियां)	10,207.00	-	-	-
उपयोगितों को स्थानान्तरित करने तथा अन्य अनुषंगी कार्यों हेतु किया गया भुगतान	(1,826.68)	-	(6,831.20)	-
सरकारी भूमि की खरीद के लिए किया गया भुगतान	-	5,817.84	-	3,846.47

नोट :- 33

आकस्मिक दायित्व और पूंजी प्रतिबद्धता

(i) **पूँजी वचनबद्धता**

31.03.2021 तक प्रावधानित नहीं (निवल अग्रिम) और पूँजी खाते पर क्रियान्वित किये जाने वाले कार्य की राशि रु. 31,88,613.50 लाख (पूर्व वर्ष में रु. 95,301.63 लाख) है।

(ii) **कंपनी के विरुद्ध ऋण के रूप में न लिए गये दावे** की राशि रु. शून्य (पूर्व वर्ष में रु.शून्य है)।

नोट :- 34

कंपनी ने कर्मचारी लाभ व्ययों को कारपोरेट मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित इण्ड एएस 19 "कर्मचारी लाभ" के अनुरूप संचालित किया है। परिभाषित अंशदान योजना, परिभाषित लाभ योजना तथा इण्ड एएस 19 के अनुसार लाभ और हानि तथा तुलन पत्र के विवरण में अंकित अन्य दीर्घकालीन लाभ योजनाएँ निम्नलिखित हैं-

a) **परिभाषित अंशदान योजनाएँ**

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2020-21	2019-20
कंपनी ने वर्ष हेतु लाभ और हानि विवरण में निम्नलिखित राशियों को मान्यता दी		
भविष्य निधि आदि में नियोक्ता का अंशदान	256.91	187.83
	256.91	**187.83**

b) परिभाषित लाभ योजनाएँ तथा अन्य दीर्घकालीन लाभ योजनाएँ:

नोट 34.1 - उपदान तथा अवकाश नकदीकरण

नोट 34.1.1 - योजना की देयता

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2020-21		2019-20	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	192.90	422.51	108.52	241.37

नोट 34.1.2 - सेवा लागत

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2020-21		2019-20	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
चालू सेवा लागत	72.75	160.29	58.43	130.52
लाभों/क्षतियों में काट-छाँट सहित विगत सेवा लागत	-	-	-	-
गैर नियमित निपटान पर लाभ या हानि	-	-	-	-
कुल सेवा लागत	72.75	160.29	58.43	130.52

नोट 34.1.3 - निवल ब्याज लागत

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2020-21		2019-20	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
परिभाषित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	7.51	16.70	3.26	7.56
योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	(0.07)	-	(0.08)	-
शुद्ध ब्याज लागत (आय)	7.44	16.70	3.19	7.56

नोट 34.1.4 - लाभ दायित्व में बदलाव

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2020-21		2019-20	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	108.52	241.37	42.62	98.66
ब्याज लागत	7.51	16.70	3.26	7.56
सेवा लागत	72.75	160.29	58.43	130.52
लाभों/ क्षतियों में काट-छाँट सहित विगत सेवा लागत	-	-	-	-
लाभ का भुगतान	-	(16.20)	-	(6.82)
दायित्व पर बीमांकिक क्षति / (लाभ)	4.13	20.35	4.20	11.46
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	192.90	422.51	108.52	241.37

नोट 34.1.5 - दायित्व पर बीमांकिक लाभ / हानि का द्विभाजन

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2020-21		2019-20	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
जनसांख्यिकी अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	-	-	-	0.12
वित्तीय आकलन में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली बीमांकिक (लाभ)/ हानि	3.14	6.81	10.12	23.26
अनुभव समायोजन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	0.99	13.53	(59.72)	(11.92)

नोट 34.1.6 - नियोजन आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / हानि

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2020-21		2019-20	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
अपेक्षित ब्याज आय	(0.07)	-	(0.08)	-
नियोजन आस्तियों पर वास्तविक आय	0.72	-	0.04	-
आस्तियों पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ / (हानि)	0.65	-	(0.04)	-

नोट 34.1.7 - दायित्व के निवल मूल्य में परिवर्तन:

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2020-21		2019-20	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
आरंभिक शेष	107.48	241.37	41.62	98.66
ब्याज लागत	7.43	16.70	3.19	7.56
वर्तमान सेवा लागत	72.75	160.29	58.43	130.52
लाभों/क्षतियों में काट-छाँट सहित विगत सेवा लागत	-	-	-	-
लाभ भुगतान	-	(16.20)	-	(6.82)
न्यास को योगदान		-	-	-
दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	(107.48) 3.48	20.35	4.24	11.46
अंतिम शेष	83.66	422.51	107.48	241.37

नोट 34.1.8 - नियोजन आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2020-21		2019-20	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
वर्ष की शुरुआत में नियोजन आस्तियों का उचित मूल्य	1.04	-	1.00	-
नियोजन आस्तियों पर संभावित लाभ	0.72	-	0.04	-
नियोक्ता का योगदान	107.48	-	-	-
लाभ भुगतान	-	-	-	-
दायित्वों पर बीमांकिक (हानि)/ लाभ	-	-	-	-
अंतिम शेष	109.24	-	1.04	-

नोट 34.1.9 - तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2020-21		2019-20	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
वर्ष के अन्त में दायित्व का अनुमानित वर्तमान मूल्य	192.90	422.51	108.52	241.37
वर्ष के अन्त में नियोजन आस्तियों का उचित मूल्य	(109.24)	-	(1.04)	-
	83.66	422.51	107.48	241.37
चालू	83.66	28.89	107.48	9.93
गैर-चालू	-	393.62	-	231.44

नोट 34.1.10 - लाभ तथा हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2020-21		2019-20	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
चालू सेवा लागत	72.75	160.29	58.43	130.52
लाभों/क्षतियों में काट-छाँट सहित विगत सेवा लागत	-	-	-	-
ब्याज लागत	7.44	16.70	3.19	7.56
वर्ष में मान्यता प्राप्त निबल बीमांकिक (लाभ) /क्षति	-	20.35	-	11.46
लाभ तथा हानि विवरण में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	80.18	197.34	61.62	149.54

नोट 34.1.11 - अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त व्यय

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2020-21		2019-20	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
प्रारम्भ में निबल संचयी अमान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ / (क्षति)		-	-	-
वर्ष हेतु पीबीओ पर बीमांकिक लाभ / (क्षति)	(4.13)	-	(4.20)	-
वर्ष हेतु आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/ (क्षति)	0.65	-	(0.04)	-
वर्ष के अन्त में अमान्यताप्राप्त बीमांकिक लाभ / (क्षति)	(3.48)	-	(4.24)	-

नोट 34.1.12 - चालू और गैर-चालू में वर्ष के अंत में पीबीओ का विभाजन

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2020-21		2019-20	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
चालू दायित्व (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	0.60	28.89	0.37	9.93
गैर-चालू दायित्व (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	192.30	393.62	108.15	231.45
कुल वर्ष के अंत में पी.बी.ओ.	192.90	422.51	108.52	241.38

नोट 34.1.13 - निवल (दायित्व)/ आस्तियों का विभाजन

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2020-21		2019-20	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
चालू दायित्व	(83.66)	28.99	(107.48)	9.93
गैर-चालू दायित्व	-	393.62	-	231.45
कुल वर्ष के अंत में पी.बी.ओ.	(83.66)	422.51	(107.48)	241.37

नोट 34.1.14 - अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित योगदान

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2020-21		2019-20	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
सेवा लागत	85.87	179.40	73.62	157.86
निवल ब्याज लागत	5.69	28.73	7.44	16.70
अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित व्यय	91.56	208.13	81.06	174.57

नोट 34.1.15 - परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफ़ाइल

राशि (रु. लाख में)

वर्ष	उपदान	अवकाश नकदीकरण
0 से 1 वर्ष	0.60	28.89
1 से 2 वर्ष	8.22	8.18
2 से 3 वर्ष	12.46	26.20
3 से 4 वर्ष	10.18	22.81
4 से 5 वर्ष	4.92	8.32
5 से 6 वर्ष	10.47	22.36
6 वर्ष के बाद	146.06	305.74

नोट 34.2 - छुट्टी किराया रियायत (एलटीसी), सामान भत्ता, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ

नोट 34.2.1 - नियोजन दायित्व

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2020-21			2019-20		
	एल.टी.सी.	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	एल.टी.सी.	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	78.76	19.01	51.25	72.90	15.95	47.20

नोट 34.2.2 - सेवा लागत

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2020-21			2019-20		
	एल.टी.सी.	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	एल.टी.सी.	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
चालू सेवा लागत	49.88	11.22	19.43	45.09	10.66	15.20
लाभों/क्षतियों में काट-छाँट	-	-	-	-	-	-
सहित विगत सेवा लागत						
गैर-नियमित निपटान पर लाभ या हानि	-	-	-	-	-	-
कुल सेवा लागत	49.88	11.22	19.43	45.09	10.66	15.20

नोट 34.2.3 - निवल ब्याज लागत

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2020-21			2019-20		
	एल.टी.सी.	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	एल.टी.सी.	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
परिभाषित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	5.04	1.10	3.27	6.71	1.00	2.57
नियोजन आस्तियों पर ब्याज आय	-	-	2.38	-	-	(0.08)
निबल ब्याज लागत (आय)	5.04	1.10	0.89	6.71	1.00	2.49

नोट 34.2.4 - वर्तमान लाभ दायित्व में परिवर्तन

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2020-21			2019-20		
	एल.टी.सी.	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	एल.टी.सी.	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
वर्ष के प्रारम्भ में नियोजन आस्तियों का उचित मूल्य	72.90	15.95	47.20	87.64	13.04	33.56
ब्याज लागत	5.04	1.11	3.27	6.71	1.00	2.57
सेवा लागत	49.88	11.22	19.43	45.09	10.66	15.20
गत सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
लाभ भुगतान	(3.22)	-	-	(19.40)	-	-
कुल दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	(45.85)	(9.26)	(18.65)	(47.14)	(8.74)	(4.13)
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	78.76	19.01	51.25	72.90	15.95	47.20

नोट 34.2.5 - दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) / हानि

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2020-21			2019-20		
	एल.टी.सी.	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	एल.टी.सी.	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
जनसांख्यिकी अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	-	-	-	-	0.01	-
वित्तीय आकलन में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली बीमांकिक (लाभ) / हानि	1.38	0.38	0.80	2.82	1.49	3.82
अनुभव समायोजन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	(47.23)	(9.64)	(19.45)	(49.97)	(10.24)	(7.96)

नोट 34.2.6 - नियोजन आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / हानि

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2020-21			2019-20		
	एल.टी.सी.	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	एल.टी.सी.	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
अपेक्षित ब्याज आय	-	-	2.38	-	-	0.08
नियोजन आस्तियों पर वास्तविक आय	-	-	1.64	-	-	0.79
आस्तियों पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ / (हानि)	**-**	**-**	**(0.74)**	**-**	**-**	**0.72**

नोट 34.2.7 - तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2020-21			2019-20		
	एल.टी.सी.	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	एल.टी.सी.	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
वर्ष के अन्त में दायित्वों का अनुमानित वर्तमान मूल्य	78.76	19.01	51.25	72.90	15.95	47.20
वर्ष के अन्त में नियोजन आस्तियों का उचित मूल्य	-	-	(48.84)	-	-	(34.36)
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त (निबल आस्तियाँ)/निवल दायित्व	78.76	19.01	2.42	72.90	15.95	12.84
चालू	10.56	0.20	2.42	9.77	0.11	12.84
गैर चालू	68.20	18.81	-	63.13	15.83	-

नोट 34.2.8 - लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2020-21			2019-20		
	एल.टी.सी.	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	एल.टी.सी.	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
चालू सेवा लागत	49.88	11.22	19.43	45.09	10.66	15.20
लाभों/क्षतियों में काट-छाँट सहित विगत सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
ब्याज लागत	5.04	1.10	-	6.71	1.00	2.49
वर्ष में मान्यता प्राप्त निबल बीमांकिक (लाभ) / क्षति	(45.85)	-	-	(47.14)	-	-
लाभ तथा हानि विवरण में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	9.07	12.32	19.43	4.66	11.66	17.69

नोट 34.2.9 - अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त व्यय

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2020-21			2019-20		
	एल.टी.सी.	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	एल.टी.सी.	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
प्रारम्भ में निबल संचयी अमान्यता	-	-	-	-	-	-
प्राप्त बीमांकिक लाभ / (क्षति)	-	9.26	18.65	-	8.74	4.13
वर्ष हेतु पीबीओ पर बीमांकिक लाभ / (क्षति)	-	-	(0.74)	-	-	0.72
आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (क्षति) वर्ष हेतु	-	9.26	17.91	-	8.74	4.85
वर्ष के अन्त में गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ/(क्षति)						

नोट 34.2.10 - नियोजन आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2020-21			2019-20		
	एल.टी.सी.	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	एल.टी.सी.	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
वर्ष की शुरुआत में नियोजन आस्तियों का उचित मूल्य	-	-	34.36	-	-	1.00
नियोजन आस्तियों पर संभावित लाभ	-	-	1.64	-	-	0.79
नियोक्ता का योगदान	-	-	12.84	-	-	32.56
लाभ भुगतान	-	-	-	-	-	-
दायित्वों पर बीमांकिक (हानि)/ लाभ	-	-	-	-	-	-
अंतिम शेष	-	-	48.84	-	-	34.36

नोट 34.2.11 - दायित्व के निवल मूल्य में परिवर्तन:

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2020-21			2019-20		
	एल.टी.सी.	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	एल.टी.सी.	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
आरंभिक शेष	72.90	15.95	12.84	87.64	13.04	32.56
ब्याज लागत	5.04	1.10	0.89	6.71	1.00	2.49
चालू सेवा लागत	49.88	11.22	19.43	45.09	10.66	15.20
लाभों/ क्षतियों में काट-छाँट सहित विगत सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
लाभ भुगतान	(3.22)	-	-	(19.40)	-	-
न्यास को योगदान	-	-	(12.84)	-	-	(32.56)
दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	(45.85)	(9.26)	(17.91)	(47.14)	(8.74)	(4.85)
अंतिम शेष	78.75	19.01	2.42	72.90	15.95	12.84

नोट 34.2.12 - चालू और गैर चालू में वर्ष के अंत में पी.बी.ओ का द्विभाजन

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2020-21			2019-20		
	एल.टी.सी.	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	एल.टी.सी.	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
चालू दायित्व (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	10.56	0.20	1.15	9.77	0.11	1.06
गैर-चालू दायित्व (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	68.20	18.81	50.10	63.13	15.84	46.14
कुल वर्ष के अंत में पी.बी.ओ.	78.76	19.01	51.25	72.90	15.95	47.20

नोट 34.2.13 - निवल (दायित्व) / आस्तियों का विभाजन

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2020-21			2019-20		
	एल.टी.सी.	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	एल.टी.सी.	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
चालू दायित्व	-	-	(2.42)	-	-	(12.84)
गैर-चालू दायित्व	-	-	-	-	-	-
कुल वर्ष के अंत में पी.बी.ओ.	-	-	(2.42)	-	-	(12.84)

नोट 34.2.14 - अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित योगदान

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2020-21			2019-20		
	एल.टी.सी.	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	एल.टी.सी.	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
सेवा लागत	-	17.76	23.02	-	16.57	19.13
निवल ब्याज लागत	-	1.29	0.16	-	1.10	0.89
अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित व्यय	-	19.05	23.16	-	17.67	20.02

नोट 34.2.15 - परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफ़ाइल

राशि (रु. लाख में)

वर्ष	एल.टी.सी.	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
0 से 1 वर्ष	-	0.20	-
1 से 2 वर्ष	-	0.30	-
2 से 3 वर्ष	-	0.38	-
3 से 4 वर्ष	-	0.56	-
4 से 5 वर्ष	-	0.75	-
5 से 6 वर्ष	-	0.99	-
6 वर्ष के बाद	-	12.78	-

नोट 34.3 - तुलन पत्र की तिथि पर मुख्य बीमांकिक अभिधारणा

बीमांकिक अभिधारणा:	2020-21	2019-20
मूल्यांकन की विधि :	परियोजना इकाई साख विधि	परियोजना इकाई साख विधि
छूट दर :	6.80%	6.92%
वेतन वृद्धि दर :	6.50%	6.50%
सेवानिवृत्ति की आयु :	60 वर्ष	60 वर्ष
आहरण दर:	30 वर्ष तक-3%	30 वर्ष तक-3%
	31 वर्ष से 44 वर्ष तक-2%	31 वर्ष से 44 वर्ष तक-2%
	44 वर्ष से अधिक-1%	44 वर्ष से अधिक-1%
मृत्यु दर	100% भारतीय सुनिश्चित मृत्यु दर (2012-14)	100% भारतीय सुनिश्चित मृत्यु दर (2012-14)

नोट 34.4 - संवेदनशीलता विश्लेषण

राशि (रु. लाख में)

विवरण	अभिधारणा में परिवर्तन	सामान भत्ते पर उपदान	उपदान प्रभार पर प्रभाव	अवकाश नकदीकरण पर प्रभाव	एलटीसी पर प्रभाव	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ पर प्रभाव
छूट दर	0.50%	(1.09)	(12.67)	(27.36)	(5.39)	(3.51)
	(0.50%)	1.21	14.00	30.21	5.97	3.89
वेतन वृद्धि	0.50%	-	13.97	30.15	-	-
	(0.50%)	-	(12.76)	(27.56)	-	-

नोट :- 35

विदेशी मुद्रा व्यय

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2020-21	2019-20
परियोजना से सम्बद्ध व्यय (सीडब्ल्यूआईपी)	19567.75	446.29
विदेशी टीए/डीए	-	64.35
विदेश यात्रा व्यय	-	65.18
अन्य विदेश यात्रा व्यय	-	13.09
	19567.75	588.90

नोट :- 36

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी

कंपनी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) पर रु. 153.12 लाख रुपये खर्च करने की आवश्यकता है जो इस प्रकार है:

राशि (रु. लाख में)

वर्ष	खर्च करने के लिए आवश्यक राशि	खर्च राशि	अव्ययित
2020-21	107.47	153.12	(45.65)
2019-20	67.00	21.35	45.65
कुल	174.47	174.47	-

नोट 36.1 -- वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली बोर्ड द्वारा स्वीकृत राशि:

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2020 को समाप्त वर्ष हेतु
वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली बोर्ड द्वारा स्वीकृत राशि	107.47	67.00

नोट 36.2 -- वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण इस प्रकार है:

राशि (रु. लाख में)

विवरण	नकदी में	नकदी में भुगतान किया जाना बाकी है।	कुल
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु			
(i) किसी भी आस्तियाँ का निर्माण / अधिग्रहण	-	-	-
(ii) ऊपर दिए गए (i) के अलावा अन्य उद्देश्य पर			
a) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में उल्लिखित चार निधियों में योगदान	109.84	-	109.84
b) विभिन्न कोविड-19 व्यय और पीएम केयर फंड में योगदान	43.28	-	43.28
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु			
(i) किसी भी आस्तियाँ का निर्माण / अधिग्रहण	-	-	-
(ii) ऊपर दिए गए (i) के अलावा अन्य उद्देश्य			
स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता	21.35	-	21.35

नोट :- 37

कोविड 19 प्रकटीकरण

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 11 मार्च, 2020 को एक नए महामारी (कोविड -19) के प्रकोप को एक वैश्विक महामारी घोषित किया। इसके परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने 24 मार्च, 2020 को देशव्यापी तालाबंदी की घोषणा की और गैर-आवश्यक व्यवसायों को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया और वस्तुओं और सेवाओं, यात्रा, आदि के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया।

जैसा कि कंपनी द्वारा निष्पादित व्यवसाय की प्रकृति, गैर-आवश्यक श्रेणी के अंतर्गत आती है, कंपनी ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी लॉकडाउन निर्देशों के अनुपालन में एक अस्थायी परियोजना में संचालन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। इस राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन प्रतिबंधों ने 22 मार्च, 2020 से लॉकडाउन अवधि के दौरान परियोजना के निष्पादन में बाधा, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान और कर्मियों की अनुपलब्धता के कारण कंपनी के सामान्य संचालन को प्रभावित किया था।

केंद्र और राज्य सरकारों ने लॉकडाउन को हटाने के लिए कदम उठाए हैं और कंपनी उसी का पालन कर रही है और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अपनी गतिविधियों को फिर से शुरू किया है। कंपनी मई की शुरुआत से धीरे-धीरे विभिन्न परियोजना स्थलों पर परिचालन कार्य पुनः शुरू कर रही है। कंपनी ने सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक सावधानी बरती है और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के सभी दिशा-निर्देश भी लागू किए हैं।

वित्तीय प्रदर्शन

कंपनी का मानना है कि वर्ष 2020-21 के लिए, कंपनी के राजस्व और लाभप्रदता के संदर्भ में कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर कोविड 19 महामारी का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

तरलता

कंपनी के पास इसके संचालन के लिए पर्याप्त तरलता है।

कंपनी मौजूदा आर्थिक स्थितियों पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में संपत्ति, व्यापार प्राप्य, आस्थगित कर, अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय संपत्ति आदि सहित अपनी संपत्ति की वहन राशि की वसूली की उम्मीद करती है।

सुचारू कामकाज के लिए उठाए गए कदम

लॉकडाउन अवधि के दौरान, कंपनी ने व्यापार पोस्ट कोविड -19 लॉकडाउन के लिए नए सामान्य को पुनर्जीवित करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। कंपनी के गैर-महत्वपूर्ण स्थानों पर काम सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों के लिए घर से काम करने और रोस्टर से काम के साथ सुव्यवस्थित किया गया था। इसके अलावा, कंपनी ने कोविड 19 के लिए कठोर निगरानी प्रक्रियाओं को लागू किया है जो निम्नलिखित सुनिश्चित करता है:

i. सभी कर्मचारियों और आगंतुकों की थर्मल स्क्रीनिंग
ii. नियमित आधार पर परिसर और वाहनों की स्वच्छता रखना
iii. सभी कार्यस्थलों पर सामाजिक दूरी बनाए रखना
iv. मास्क पहनना और हाथों की नियमित सफाई करना
v. सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों के नियमित स्वास्थ्य अपडेट
vi. अपने सभी कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

कोविड -19 के भविष्य के प्रभाव का अनुमान

परियोजना में काम शुरू होने के साथ, कंपनी लगातार अपने संचालन की समीक्षा कर रही है और महामारी के कारण बर्बाद समय के लिए पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हालांकि प्रबंधन को उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजस्व और लाभप्रदता में कमी होगी, लॉकडाउन व्यवधान के प्रभाव का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाएगा और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्रगति के रूप में सूचित किया जाएगा। राज्य और केंद्र सरकारों और स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा किए जा रहे विभिन्न महामारी रोकथाम प्रयासों की सफलता पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसलिए इस स्तर पर विश्वसनीयता के साथ भविष्य के प्रभाव का पूर्वानुमान लगाना समय से पहले है।

वैश्विक स्वास्थ्य महामारी का वास्तविक प्रभाव लगाए गये अनुमान से अलग हो सकता है, क्योंकि भारत और विश्व स्तर पर कोविड-19 की स्थिति बिगड रही है। हालांकि, कंपनी भावी आर्थिक स्थितियों में किसी भी भौतिक परिवर्तन पर आगे भी बारीकी से निगरानी रखेगी।

नोट :- 38

इंड एएस-116 के तहत प्रकटीकरण

(i) 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी, कंपनी ने इंड-116 "पटों" को अपनाया और 1 अप्रैल 2019 को संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का उपयोग करके सभी पटटे अनुबंधों के लिए मानक लागू किया और प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर अर्जित आय को संचयी समायोजन किया है। कंपनी ने प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर शेष लीज भुगतानों के वर्तमान मूल्य द्वारा संपत्ति और इसी पटे देयता का उपयोग करने का अधिकार रिकॉर्ड करने का विकल्प चुना है और इसलिए इंड ए एस-116 को अपनाने के कारण बरकरार रखी गई कमाई पर प्रभाव शून्य है।

(ii) 31 मार्च 2019 को समाप्त हए वर्ष की तुलनाओं को समायोजित नहीं किया गया है और इसलिए 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए हमारी वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में शामिल लेखांकन नीतियों के तहत रिपोर्ट किया जाना जारी रहेगा।

(iii) प्रारंभिक आवेदन पर चुने गए व्यावहारिक समीक्षकों का सारांश।

(a) प्रारंभिक आवेदन की तारीख पर पटे की अवधि के 12 महीने से कम समय के लिए पट्टों के लिए उपयोग की सही संपत्ति और देनदारियों को मान्यता नहीं देने की छूट के लिए आवेदन किया है।

(b) प्रारंभिक आवेदन की तारीख में उपयोग संपत्ति के अधिकार के माप से प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को छोड़कर।

(c) इंड एएस-116 केवल उन्हीं अनुबंधों पर लागू होता है जो पहले इंड एएस -17 के तहत पट्टे पर वर्गीकृत किए गए थे।

(d) पट्टों के पोर्टफोलियो के लिए एकल छूट दर लागू।

(e) अनुबंध का विस्तार करने या पट्टे को समाप्त करने के विकल्प हैं, तो पट्टे की अवधि निर्धारित करने में, दूरदर्श का उपयोग करें

(iv) इंड एएस -17 के तहत लीज़ दायित्व के बीच अंतर और लीज़ देनदारी के मूल्य के रूप में संक्रमण की तारीख पर मुख्य रूप से इंड एएस-116 के तहत वर्तमान मूल्य के लिए लीज़ देनदारियों की छूट है।

(v) पट्टे पर देयताओं पर लागू भारित औसत वृद्धिशील दर 8.15% है।

(vi) कंपनी द्वारा परिचालन पट्टों के तहत परिसंपत्तियों का सारांश इस प्रकार है:

परिसंपत्तियों का विवरण	पट्टादाता नाम	लीज अवधि	समाप्ति खंड
बिल्डिंग नंबर 8, यूनिवर्सल मैजेस्टिक, पी एल लोखंडे मार्ग, गोवंडी वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र- 400043	वरद विनायक एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	01-03-2019	28-02-2022
प्रोडक्टिविटी हाउस, प्रोडक्टिविटी रोड, अलकापुरी, वडोदरा - 390007	बड़ौदा प्रोडक्टिविटी परिषद	01-02-2018 01-11-2019	31-01-2021 31-01-2021
एशिया भवन, रोड नंबर 205, सेक्टर 9 द्वारका, नई दिल्ली - 110077	एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट	01-03-2018	28-02-2021
बिल्डिंग नं. 3, मिलेनियम बिज़नेस पार्क, नवी मुंबई, महाराष्ट्र	माइक्ट प्राइवेट लिमिटेड	09-06-2018	08-06-2021
शॉप नं 3 से 8, गुरु नानक को-ऑपरेटिव सोसाइटी, नवली, ताल, पालघर जिला, महाराष्ट्र	योगेश नागिदास राणा	15-07-2018	14-07-2020
तीसरी मंजिल, डी21 कॉर्पोरेट पार्क, द्वारका सेक्टर 21, नई दिल्ली-110077	मणिकरण पावर लिमिटेड	10-01-2020	10-01-2025
5 वाहनों	लीज प्लान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	30-03-2019	15-04-2023
20 वाहनों	लीज प्लान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	14-01-2018	09-05-2022
6 वाहनों	मर्क्यरी कार रेंटल्स प्राइवेट लिमिटेड	29-01-2019	28-01-2023
4 वाहनों	मर्क्यरी कार रेंटल्स प्राइवेट लिमिटेड	23-12-2019	15-03-2024
5 वाहन	मर्क्यरी कार रेंटल्स प्राइवेट लिमिटेड	23-12-2019	15-03-2024

(vii) पट्टा देयता और राइट्स ऑफ़ यूज़ एसेट्स में उतार-चढ़ाव

(a) राइट्स ऑफ़ यूज़ एसेट्स की वहन राशि और वर्ष के दौरान उतार-चढ़ाव नोट 5.2 में खुलासा किया गया है।

(b) पट्टा देयता में उतार-चढ़ाव नीचे दिया गया है:

राशि (रु. लाख में)

विवरण	भवन	वाहन	भवन	वाहन
	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2020 को
वर्ष की शुरुआत में प्रारंभिक शेष	577.05	184.74	-	-
इंड एएस के रूप में कार्यान्वयन पर मान्यता	-	-	1,038.61	208.71
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,652.76	34.16	22.32	30.84
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त ब्याज	260.58	17.81	86.47	19.52
वर्ष के दौरान किया गया भुगतान / पट्टों के लिए कुल नकद का बहिर्गमन	(1,173.88)	(92.41)	(570.35)	(74.34)
वर्ष के अंत में अंतिम शेष	**2,316.51**	**144.30**	**577.05**	**184.73**

(viii) कंपनी ने कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टों के अल्पकालिक पट्टों के लिए पट्टा देयता को मान्यता नहीं देने के लिए चुना है। इन पट्टों से संबंधित व्यय पट्टा देयता की माप में शामिल नहीं हैं। उसी का विवरण इस प्रकार है: -

राशि (रु. लाख में)

विवरण	भवन	वाहन	भवन	वाहन
	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2020 को
लघु अवधि के पट्टे	515.47	-	489.26	-
कम मूल्य के परिसंपत्तियों के पट्टे	-	-		-
	515.47	**-**	**489.26**	**-**

(ix) लीज देयताएं बैलेंस शीट में निम्नानुसार प्रस्तुत हैं :-

राशि (रु. लाख में)

विवरण	भवन	वाहन		भवन	वाहन	
	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2021 को	कुल	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2020 को	कुल
चालू भाग	727.52	80.68	808.20	503.35	66.37	569.72
गैर-चालू भाग	1,588.99	63.62	1,652.61	73.70	118.36	192.06
	2,316.51	**144.30**	**2,460.81**	**577.05**	**184.73**	**761.78**

(x) 31 मार्च 2021 तक लीज देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021			31 मार्च 2020		
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष और उससे अधिक	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष और उससे अधिक
कार्यालय पट्टा	734.77	638.66	1,431.49	535.21	96.10	-
वाहन	92.41	52.96	17.11	81.43	81.43	51.06
	827.18	**691.63**	**1,448.60**	**616.64**	**177.53**	**51.06**

(xi) परिवर्तनीय पट्टा भुगतान से संबंधित व्यय शून्य हैं।

(xii) संपत्ति के उपयोग के अधिकार को उप-पट्टे पर देने से होने वाली आय कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xiii) बिक्री और लीजबैक लेनदेन से लाभ/हानि कंपनी पर लागू नहीं है।

नोट 38.1 - संपत्ति की क्षीणता

समीक्षा के आधार पर, प्रबंधन की राय है कि कंपनी की गैर-वित्तीय संपत्तियों का आर्थिक प्रदर्शन अपेक्षा से कम नहीं है और इसलिए बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार किसी भी तरह की संपत्ति की क्षीणता नहीं हुई है।

नोट :- 39

इंड एएस-116 "ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व" के तहत प्रकटीकरण

अनुबंध शेष

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
व्यापार प्राप्तियां	-	-
अनुबंध संपत्ति	-	-
अनुबंध देयताएं	10,207.00	-

व्यापार प्राप्तियां

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
वर्ष की शुरुआत में व्यापार प्राप्तियां	-	-
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त विवल राजस्व	-	-
समायोजन	-	-
वर्ष के दौरान प्राप्त भुगतान	-	-
व्यापार प्राप्तियों का अंतिम शेष	-	-

अनुबंध संपत्ति

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
वर्ष की शुरुआत में अनुबंध संपत्ति	-	-
अनुबंध संपत्ति से व्यापार प्राप्य में स्थानांतरण और	-	-
प्रगति के माप में परिवर्तन के परिणामस्वरूप संवर्धन		
वर्ष के अंत में अनुबंध संपत्ति	-	-

अनुबंध देयताएं

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
वर्ष की शुरुआत में अनुबंध देयताएं	-	-
अनुबंध देनदारियों से राजस्व में स्थानांतरण और	-	-
प्रगति के माप में परिवर्तन के परिणामस्वरूप संवर्धन		
वर्ष के अंत में अनुबंध देयताएं	10,207.00	-

चालू रिपोर्टिंग अवधि में कोई राजस्व मान्यता प्राप्त नहीं हुई था जो कि पूर्व वर्ष में संतुष्ट प्रदर्शन दायित्वों से संबंधित हो।

प्रदर्शन दायित्व

परियोजना के संबंध में समूह के प्रदर्शन दायित्व ग्राहक को परियोजना रिपोर्ट की डिलीवरी और ग्राहक की अंतिम स्वीकृति पर संतुष्ट होंगे।

नोट :- 40

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में संशोधन:

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 24 मार्च, 2021 की अपनी अधिसूचना के तहत, 1 अप्रैल, 2021 से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में संशोधन किया। प्रबंधन का मानना है कि चूंकि परिवर्तन 1 अप्रैल, 2021 से लागू हैं, इसलिए ये संधोधन 1 अप्रैल, 2021 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष पर लागू होते हैं और 1 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद शुरू होने वाले लेखांकन वर्षों के संबंध में जारी वित्तीय विवरणों पर लागू होते हैं। इसलिए, 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर विचार नहीं किया जाता है।

सामाजिक सुरक्षा पर संहिता, 2020

सामाजिक सुरक्षा पर संहिता, 2020 ("कोड") रोजगार के दौरान और रोजगार के पश्चात् के कर्मचारी लाभों से संबंधित है, जिसे सितंबर 2020 में भारतीय संसद की मंजूरी और राष्ट्रपति की सहमति मिली हुई है। संहिता को भारत के राजपत्र में और इसके पश्चात्, 13 नवंबर, 2020 मसौदा नियम प्रकाशित किए गए, और हितधारकों के सुझाव आमंत्रित किए गए। हालांकि, कोड के प्रभावी होने की तारीख को अधिसूचित नहीं किया गया है। कंपनी संहिता के प्रभावी होने पर उसके प्रभाव का आकलन करेगी और संहिता के प्रभावी होने की अवधि में किसी भी संबंधित प्रभाव को रिकॉर्ड करेगी।

नोट :- 41

नोट 40 में दिए गए प्रकटीकरण के अलावा, पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति की पुष्टि करने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, पुनर्वर्गीकृत/पुन: समूहित किया गया है।

नोट :- 42

वित्तीय विवरण की स्वीकृति

निदेशक मंडल द्वारा 31.08.2021 को आयोजित बैठक में वित्तीय विवरणों को मंजूरी दी गई है।

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए **नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) में निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र ऑडिट के आधार पर अधिनियम की धारा 143 में निर्धारित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह कहा गया है कि ऐसा उनके द्वारा उनकी ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 31.08.2021 के आधार पर किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की ओर से, मैंने अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए **नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक ऑडिट किया है। यह अनुपूरक लेखा-परीक्षा, वैधानिक लेखा परीक्षकों के काम के कागज़ात को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और लेखा रिकॉर्डों में से कुछ की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखा-परीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143 (6)(बी) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी भी टिप्पणी या पूरक को उत्पन्न करेगा।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए तथा उनकी ओर से

(सुबु आर.)
प्रधान निदेशक लेखा-परीक्षा
रेलवे कमर्शियल, नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 01.10.2021